

Sixth Series, No. 7

Friday, April 1, 1977
Chaitra 11, 1899 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

First Session
(Sixth Lok Sabha)



सत्यमेव जयते

LOK SABHA SECRETARIAT
New Delhi

CONTENTS

No. 7—Friday, April 1, 1977/Chaitra 11, 1899 (Saka)

| | COLUMNS |
|---|----------------|
| Members Sworn | 1 |
| Short Notice Question | 1—19 |
| Question of Privilege— | |
| Certain Remarks by Shri T. N. Kaul on television network in U.S.A. in July, 1975 | 19—24 |
| Papers laid on the Table | 24—30 |
| Business of the House— | |
| Shri Ravindra Varma | 30—33 |
| Caltex [Acquisition of shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the undertakings in India of Caltex (India) Limited] Bill— <i>Introduced.</i> | 34 |
| Statement <i>re.</i> Caltex [Acquisition of shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the undertakings in India of Caltex (India) Limited] Ordinance, 1976— <i>Laid.</i> | 35 |
| Election of Deputy Speaker | 35—39 |
| Motion of Thanks on the Address by the Vice-President acting as President— | |
| Shri Y. P. Shastri | 40—45 |
| Shri K. Lakkappa | 45—53 |
| Shrimati Mrinal Gore | 53—59, 61—66 |
| Shri Raj Narain | 67—92 |
| Statement <i>re.</i> Fixation of Interim Rates of Wages for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees— | |
| Shri Ravindra Varma | 59—61 |
| Resolution <i>re.</i> Appointment of High Powered Committee to go into Certain Conspiracy | 93—147 |
| Shri Kanwar Lal Gupta | 95—120, 144—47 |
| Shri Vasant Sathe | 121—26 |

| | COLUMNS |
|--|----------------|
| Shri Madhu Limaye | 126—37 |
| Shri C. M. Stephen | 137—42 |
| Chaudhuri Charan Singh | 143—44 |
| Resolution re. Probe into Atrocities committed during Internal Emergency— | |
| Shri Jyotirmoy Bosu | 148—50 |

LOK SABHA DEBATES

2

LOK SABHA

Friday, April 1, 1977/Chaitra 11, 1899
(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock

[MR. SPEAKER in the Chair]

MEMBERS SWORN

Shri S. B. Shah (Kheri)

Shri Madhav Prasad Tripathi (Doma-
riaganj)

Shrimati Kamala Bahuguna (Phul-
pur).

SHORT NOTICE QUESTION

Re-opening of Jute Mills in West Bengal

SNQ 1. SHRI DHIRENDRANATH
BASU: Will the Minister of COM-
MERCE AND CIVIL SUPPLIES AND
COOPERATION be pleased to state:

(a) whether the closed jute mills of
West Bengal will be re-opened or
taken over by Government; and

(b) whether Government are con-
sidering to provide or make arrange-
ment for adequate compensation for
the unemployed workmen of the
closed jute mills?

THE MINISTER OF COMMERCE
AND CIVIL SUPPLIES AND CO-
OPERATION (SHRI MOHAN
DHARIA): (a) and (b). A State-
165 L.S.—1

ment is laid on the Table of the
House.

Statement

The Jute Industry is one of the
major organised industries of the
country and occupies a significant
position in the national economy. Al-
though its share in the country's ex-
port trade has of late declined for
various reasons, it still holds a pre-
eminent position and accounts for a
sizable portion of the country's dollar
earnings. With about 43,000 looms
installed in 74 units, the industry ac-
counted for about 32 per cent of world
production and about 46 per cent of
world export of jute goods in 1974.
The total capital employed in the in-
dustry is of the order of Rs. 300
crores approximately, generating em-
ployment to approximately two and
half lakh workers. Moreover, culti-
vation of jute provides a living to
nearly forty lakh farm families.

To a large extent, the jute indus-
try depends for its health on the
external market. Of late, our foreign
jute market has shrunk to a disturb-
ing extent. Besides recession, com-
petition from synthetics and other
jute exporting countries added to the
difficulty of the industry. The lack
of investment for modernisation, re-
search and development and out-
dated family based management
system are some of the well-known
causes of the present situation of the
jute industry. Due to various rea-
sons, the jute industry has been pass-
ing through a serious situation.

As on the 30th December, 1976, the
following jute mills are affected by
work stoppage:

1. Khardah Jute Mill.
2. Union Jute Co.

[Shri Mohan Dharia]

3. Bharat Jute Mill.
4. Waverly.
5. Naffar Chandra.
6. Alexandra.
7. Kelvin
8. Rai Bahadur Hurdutrai Motilal Jute Mill, having resumed production on 13-10-1976 again was affected by work stoppage with effect from the 25th December, 1976.

On the 30th December, 1976, a Committee under the Chairmanship of Shri P. K. Kaul, Additional Secretary, Ministry of Commerce was formed for ensuring that closed jute mills, capable of being reopened, would start functioning. The Committee has gone into the cases of work stoppage and has been making a case by case study of the problems of the affected jute mills.

Kelvin Jute Mill and Waverly Jute Mill resumed production with effect from 1-2-1977 and 31-1-1977 respectively. Moreover, Kinnison Jute Mill, which was almost on the verge of closure, has also been revived.

The Committee has been holding series of meetings and is trying to tie up all financial arrangements required for reopening the affected jute mills. The work of the Committee has been further activated. Dialogues have been held by the Committee with the Banks concerned as also with the Industrial Re-construction Corporation of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India and the Reserve Bank of India. It has been generally agreed, in principle, that in viable cases, start up expenses and additional margin requirements would be provided by the Industrial Re-construction Corporation of India. It has further been agreed, in principle, that working capital requirements would be provided by the concerned commercial banks and that capital requirements for modernisation, re-

novation, balancing etc. will be provided by the Industrial Finance Corporation of India. The cases of reopening Khardah Jute Mill, Union Jute Company and Alexandra Jute Mill are in advanced stage of consideration.

The State Government of Bihar has been requested to examine the viability of Rai Bahadur Hurdutrai Motilal Jute Mill so that they may obtain institutional finance for reopening the same jute mill, in case it is found viable.

Negotiations have been initiated for arranging some concessional finance for restarting Naffarchandra Jute Mill.

The question relating to grant of admissible reliefs to the industrial workers affected by work stoppage falls within the jurisdiction of the respective State Governments.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: May I know whether the Government is considering giving any compensation to unemployed workmen, who remain unemployed due to closure of jute mills in West Bengal?

SHRI MOHAN DHARIA: I have said in the statement that five jute mills are closed in West Bengal and one jute mill in Bihar. All efforts are being made by the government to see that the mills which are now closed resume work. It is in this connection that I referred to the committee which has been appointed under the chairmanship of Shri Kaul. The House will be happy to know that Waverly Mill had started working on 31 January 1977 and Kelvin Mill on 1 February 1977. Besides Khardah Jute Company, Alexandra and Union Jute Company are in an advanced stage of negotiations because the public financial institutions have agreed to come forward in respect of those mills and we are trying our best so that employees would not suffer and

production of jute also would not suffer.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: Will the Minister be pleased to probe into the causes of closure of jute mills in West Bengal?

SHRI MOHAN DHARIA: Sir, I said in my reply that lack of investment for modernisation, research and development and out-dated family based management system are some of the well-known causes for the present situation of the jute industry and it shall be the endeavour of my Ministry to go into the whole thing.

SHRI CHITTA BASU: Are the Government aware of the fact that the jute industry in West Bengal is in severe crisis and would the Government make any assurance that they would make an in-depth study of the crisis of the jute industry? Of course, the previous Government had appointed a committee of this nature and it did not bring in any fruitful results. Would the hon. Minister be pleased to state whether there is another Committee going to be appointed which will go into crisis in this industry and suggest remedial measures? My second question is whether the Government proposes to nationalise the industry as a whole in the interests of the workers, in the interests of the jute growers and in the interest of the country's economy? Whether it is also a fact that about 80,000 workers in the jute industry have lost their jobs during the last few months? What relief the Government proposes to give to these people who have lost their jobs? Whether it is also a fact that a large number of Badli workers are working in the industry? What steps the Government proposes to take to employ them on a permanent basis in the industry?

SHRI MOHAN DHARIA: Sir, so far as the working of the Committee is concerned, it will be a great injustice to the Committee to say that they

have not done any job. I am thoroughly satisfied with their work and since I took charge of the Ministry, I activated the working of the Committee itself and in this connection, we have contacted some public financial institutions. This is the first time that the public financial institutions have come together to help this industry, particularly the jute mills. Regarding the nationalisation of jute mills, there is no such proposal before the Government. My friend would agree with me that by nationalising jute mills, all these problems cannot necessarily be solved because the issues and the reasons are quite different. Regarding relief to workers, I do have all my sympathies so far as the workers are concerned. I wish that early steps had been taken by the previous Government when the apprehensions regarding the closure of the mills were there. Unfortunately it was not done. However, this House will appreciate that labour matters of this industry is under the jurisdiction of the State Governments and not under the Central Government. Regarding 'badli' workers, it is for the State Governments to take into consideration how many badli workers are working there. However, I can assure the House that I shall take up this issue with the State Governments so that these workers do not suffer.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, both my hon. friends are considering that the jute industry problems are the problems of West Bengal only. But it is the problem of whole of India because it is a large foreign exchange earning industry and it is also maintaining thousands of labourers in Bihar, Orissa, and West Bengal. And in view of the crisis, there seems to be a belief that there had been some under-hand dealings in jute mills by the erstwhile Congress Ministers. This had created a kind of suspicion there. It is also believed that certain artifi-

[Shri Samar Guha]

cial crisis had been created in the jute mills and also in the functioning of the jute Corporation. I would like to know whether the government would institute enquiries at two levels. The first enquiry should be to see whether there has been any underhand dealings with the jute magnates for the collection of funds for the election as well as party funds and also whether in dealing with the Jute Corporation a similar thing happened. That is one cycle. The second cycle is that the committee which has been appointed should be reoriented or reorganised with mostly experts to go into the details about the nature of the crisis and suggest solutions not only to save the industry but also to enhance the production as well as jute cultivation in West Bengal.

SHRI MOHAN DHARIA: As I said this is one of the major industries of our country. Unfortunately, the countries which used to import jute from us have started using synthetic materials instead of jute. That is one basic reason for the demand going down. There is also a tendency in the world today to handle in bulk and naturally articles like foodgrains and others are carried through holds. In retail packaging lot of plastics are used. That is why the demand has gone down. About internal consumption, we are trying our best to see that the jute industry does not suffer for lack of demand. The other problem is about per-acre yield. There were not much efforts made to have better yield. The yield is about 1100 lbs. per acre. If we can increase the yield, it may be possible to take care of the prices and also ensure that the mills get adequate raw material. We are aware of the problems of the industry. About underhand dealings and collection of funds, we shall have to go into it. I cannot say offhand anything today. I shall certainly go into this aspect. About the committee, I can assure the House

that the Kaul Committee has been (doing an extremely) good job. We shall certainly take the help of expertise that may be needed so that we can modernise the industry and take it out of the crisis that it has been facing.

श्री युवराज : क्या वाणिज्य मंत्री जी यह बताएंगे कि बिहार राज्य की सरकार ने इस सम्बन्ध में आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार को शीघ्र अपने अधीन लेने की सिफारिश की है ?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उस के बारे में मैं यह बता दूँ कि बिहार गवर्नमेंट के साथ हमारा डाइलोग चल रहा है और वहाँ पर जो एक जूट मिल, राय बहादुर हरिदत्त राय मोती लाल जूट मिल, बन्द है, वह शुरू हो सके, इसके लिए हमने कोशिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट का सहयोग हमें मिलेगा। हमारी तरफ से हमारी जो फाईनेन्शियल इंस्टीट्यूशन है, उस का पूरा सहयोग दिया जाएगा।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You are no doubt aware of the fact that 40 lakhs of farmers from Andhra, Bihar, Assam, Orissa and West Bengal are engaged in the jute industry. There are 2½ lakh workers, majority of whom are from Bihar, UP and Orissa; 16 to 17 lakhs are engaged in the trade of jute; 60 to 70 thousand workers have been laid off or retrenched. As of today, I want to know how many mills are really lying closed. On 8th February, 1977 after my release from the black era of emergency. I spoke to Prof. D. P. Chattopadhyaya, the then Commerce Minister and he had promised that he was ensuring opening of at least two mills in the Budge Budge area. What has been done about it?

The IDBI is also going to give soft loan to jute, engineering and textile industry. Is it not a fact that the

Indian Jute Mills Association have paid Rs. 2 crores through one of your predecessors during UP elections and Rs. 5 crores in the current elections.

The trouble had been the greed for maximum profit. Rs. 100 crores have been given for modernisation. What is modernisation? Modernisation means shrinkage of job opportunities. Will this be suitable in our conditions?

Export duty is virtually abolished. They have purchased it under pressure. Jute is one of the highest foreign exchange earning commodity. Therefore, regarding reinstatement of those who have been laid off, you cannot shrink the responsibility because you reap the harvest. The money that is earned through foreign exchange comes through the central exchequer. You cannot pass on the liability to the State Government. You have to intervene in the matter.

About compensation to the workers to cover debt for survival, what are you going to do about it? They are living in semi starvation conditions. Many have become destitutes and they are on the streets. The only remedy is nationalisation of jute mills. There is a very interesting report from Dedhalm laboratory in the United States which has said that jute could be processed to make it fit for human garments. Why that report has been shelved? And why that report has not been implemented?

SHRI MOHAN DHARIA: Regarding information about the present jute mills, the production, number of workers employed and all that, if the hon. Member refers to the statement which has been laid on the Table of the House by me, in its first para, it contains lot of information. Anyway, I cannot prevent Mr. Bosu from making the statement while he is asking a supplementary.

I have already said that nationalisation of jute industry is not the solu-

tion to the present crisis. The issues are quite deep. Presently while facing the marketing problem, particularly in the foreign areas because of the use of synthetics instead of jute, I do agree with Mr. Bosu that all possible efforts shall have to be made so that along with the use of new science and technology, jute is converted for some other purposes so that the demand and the markets could be propped up.

Regarding relief to workers, I have said that we are sympathetic and I entirely agree that this problem shall have to be resolved as early as possible. It shall be my endeavour and I can assure the House that out of these 8 mills which were closed on 30-12-76 at least six mills will be operating within the next three or four months. That shall be my endeavour. But the problem will be regarding the raw material. My friend Mr. Bosu is very well aware that the raw material shall be available from July onwards, particularly from September/October onwards. Till that time we have no buffer stock and no imports are possible. I have examined that possibility also. Let us be realistic to the problem. Anyway, I assure that I have all my sympathies so far as workers are concerned. If we resume the working of the mills, we can solve the problem to a great extent. Regarding interim relief, I shall request the Labour Minister of the Central Government to take up this matter with the State Government.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: May I know from the Minister whether, as a result of the closure of jute mills, our exports of jute and jute goods have declined? If so, what is the amount of loss suffered so far?

SHRI MOHAN DHARIA: Our exports have not declined because of the closure of the mills. They have declined because there is no demand in the foreign market.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is so because it is being manipulated.

शौधरी बलबीर सिंह : जूट से बने हुए माल को प्रोत्साहन देने के लिए और इंटरनेशनल मार्किट में जो इसके एक्सपोर्ट में मी आ गई है, सको प्रोत्साहन देने के लिए क्या पोलिथीन के थैले जो सरकारी इदारे इस्तेमाल करते हैं उन पर आप रोक लगाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस सवाल से नहीं उटता है। आप सवाल को पढ़ें और उसके बाद पूछें।
The Minister will answer you; but it has no bearing on this question.

शौधरी बलबीर सिंह : मांग को बढ़ाने के लिए पोलिथीन बैन्ज जो सरकारी इदारे इस्तेमाल करते हैं, उनको बन्द किया जा सकता है। मिलें बन्द हो रही हैं। यह बहुत इम्पार्टेंट सवाल है।

श्री मोहन धारिया : हमारा इसका एक्सपोर्ट बढ़े इसके लिये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको पूरी तरह से एबालिश कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में अगर सिथेटिक का इस्तेमाल होता है सिमेंट के लिए भी होता है, फटिलाइजर के लिए भी होता है तो अगर जूट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे सिमेंट हो या फटिलाइजर हो उसका काफी नुक्सान होता है। यह भी हमें खयाल रखना होगा। पूरी बात को खयाल में रख कर हमें काम करना होगा। ज्यूट इंडस्ट्री बढ़े ज्यूट का उत्पादन बढ़े इसके लिए जो कोशिश करनी है वह हम करते रहेंगे।

(Interruption)

MR. SPEAKER: The question is about West Bengal.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: My question is very simple. Mr. Mohan Dharia is a knowledgeable person, I know. His predecessor, Mr. Devi Prasad Chattopadhyaya,

made a categorical statement on the floor of this House just before dissolution of Lok Sabha that the Khardah jute mill will be re-opened. A question was put to him and he gave a reply. May I ask the Minister whether his predecessor has run away with the file? If the files are available with the new Minister, he may consult them and take steps immediately. I know that he has already committed to this that within 4 months, 6 mills will be re-opened. May I appeal to him kindly to see that the Khardah mill is re-opened within a month, and not 6 months? The new Minister should not follow in the footsteps of his predecessor of simply expressing pious wish and thereby hood-wink the people.

SHRI MOHAN DHARIA: From my little experience I can say that even though Mr. Chattopadhyaya is no more in the Ministry, the files are available in the Ministry. I would be glad to start the mills as early as possible. But there are several inherent difficulties. I can tell them. The matter regarding one mill has gone to the High Court.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Regarding Khardah mill, I can tell you that the case is no longer in the High Court.

SHRI MOHAN DHARIA: I am quoting several difficulties that are there and in one case the liquidation proceedings are there. We are telling the States that they should not be liquidated. So, naturally, now we shall have to go to the High Court. In the case of other mills, it is not a question of finance so much. Those mills require repairs. They are old mills. There should be replacement of everything, right from the management. There are several questions. Without applying my mind to all those problems, I am not really going to pump the money of the people into these jute mills. But I can assure my hon. friends that all possible care will be taken to see that the jute mills

which are closed, start as expeditiously and early as possible. But we should not do anything in haste because of which we will again be the sufferers.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: The Minister has correctly stated that one of the causes for the closure of the mills is that there is no demand for jute goods in foreign countries. I want to know what sort of arrangements he is making so that there will be a good market for jute goods abroad. Secondly, Shri Samar Guha has said that we have got suspicion about some people making some money. I want to know whether he has got any definite information about it which he can supply to the House.

SHRI MOHAN DHARIA: I have mentioned in my statement:

“That lack of investment for modernisation, research and development and out-dated family-based management system are some of the well known causes of the present situation of the jute industry.”

I have not stated that the jute mills have closed because the foreign markets have gone down. I have not made any such statement. Secondly, regarding the malpractices, it shall be my endeavour to go into them. But, as the hon. Member is well aware, all these under-hand dealings are carried out without any evidence. So, it is very difficult to find them out because of want of evidence. What we can do is to take care of them for the future.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: What can the Minister here do when the Minister in the State is hand in glove with the Jute Mill Owners' Association?

MR. SPEAKER: No, Mr. Bhattacharya, this is not the way to ask a question.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: It is a fact. If you will kindly permit me, I will prove that it is a fact.

MR. SPEAKER: Will he kindly sit down? Even if it is a fact, it cannot be raised like this between the two Members. There is a procedure for that in the House.

श्री उपसेन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल की जूट मिलों का उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा है क्या मंत्री जी अपनी सरकार की नीति की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि इन तमाम मिलों का जो पश्चिम बंगाल तथा दूसरे प्रान्तों में हैं उनका तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जायगा ?

श्री मोहन धारिया : मैं ने तो बता दिया है कि केवल राष्ट्रीयकरण करने से यह मसला हल नहीं होगा और जो कारण मैं ने अपने स्टेटमेंट में बताये हैं उन के आधार पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि जूट इंडस्ट्री हमारे देश की बड़ी इंडस्ट्री है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यह इंडस्ट्री आगे बढ़े ।

I am not going into the question whether previously one Minister was hand in glove with the Jute Mill Owners' Association. But this House can rest assured that, so far as this Government is concerned, there will not be any sort of under-hand dealing as in the past. In fact, I have already started operations to clean the Commerce Ministry, which has got some notorious name outside. I can assure this House further-more that not only in the case of the officers but also the industrialists or the exporters, if they try to play any unfair practice, all possible care will be taken to see that they do not have any place in the Commerce Ministry, they do not get any co-operation from the Commerce Ministry. The House can rest assured of that.

SHRI K. LAKKAPPA: In the course of his reply, the hon. Minister has stated that the States have got a

[Shri K. Lakkappa]

certain responsibility. So, I would like to know the attitude of the Government towards the financial assistance required by the States from the Centre for easing the situation there.

SHRI MOHAN DHARIA: I have already stated that this question is related to the sick jute mills. We have already discussed the matter with the public finance institutions. It is the first time perhaps that they have come forward, as they have done in the case of the textile industry or the engineering industry, to give proper assistance to these sick jute mills. To that extent all possible co-operation will be given to these mills and the State Governments, and no party politics will come between the State and the Centre as in the past.

श्री लखन लाल कपूर : बिहार में 30 फीसदी जट पैदा होता है, मैं जानना चाहता हूँ कि कटिहार के राय बहादुर हरदत्त चमरिया जूट मिल को सरकार अपने हाथ में लेने के लिये क्या कोई समय निर्धारित करेगी ?

किशनगंज और फारबेसगंज में सरकारी जूट मिल खोलने के लिये शिलान्यास हो चुका है, इन दोनों स्थानों पर कब तक मिल खोलने की व्यवस्था होगी ?

जो मिल बन्दी और मन्दी के कारण जूट उत्पादकों को घाटा हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार एस० टी० सी० के माध्यम से उनकी जूट खरीद कर क्या उनके घाटे की पूर्ति की व्यवस्था करेगी ?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य के सवालों का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। बिहार गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही है। कि वहां पर जो जूट मिल बन्द हैं वह कैसे जल्दी से जल्दी चालू हो सकते हैं। इसकी कोशिश हमारी चल रही है।

SHRI T. A. PAI: In view of the fact that jute is one of the most important industries of the country employing lakhs of people and that the future of the industry depends upon our international markets, apart from short-term measures that the Government would like to take, I would request them to look into the long-term prospects within three months and prepare a comprehensive plan because so far we have been attending to it in a piece-meal manner to meet expediencies from time to time. It is a question of not only the international markets but also how the internal market can be stimulated and how the industry, which has failed to take advantage of research and development in the course of these years, can meet foreign competition. Would the Government therefore consider not only substitution of old machinery by new machinery but, if necessary, the restructuring of the industry?

SHRI MOHAN DHARIA: I entirely agree with the hon. Member and I can assure him that with the co-operation of the hon. Member and other Members of the House we would very much like to take care of this industry and take measures in a proper perspective. My Ministry will endeavour to see how we can have that sort of planning.

श्री ठुक्कमदेव नारायण यादव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बीमार जूट मिलों के लिये क्या उन्होंने किसी दवा का अब तक आविष्कार किया है जिससे उनको जल्द से जल्द तन्दुरुस्त बनाया जा सके ? जूट मिलों के बन्द होने से, किसान जो उत्पादन करता है, उससे उसकी खेती पर भी असर पड़ता है। अगर जूट मिल बन्द होगी तो किसान की हालत भी बदतर होगी और उसके परिवार पर भी असर पड़ेगा। बीमार मिल जल्द तन्दुरुस्त हो सके और किसान की खेती भी सुधर सके, इसके लिये जल्द कदम उठाये जाने चाहिये।

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, मैंने उनका ही जवाब दिया था। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस बारे में हमारी पूरी कोशिश होगी।

SHRI S. KUNDU: Mr. Speaker, Sir, I read the statement of the hon. Minister with great care and attention. I would like to know from the hon. Minister whether the crisis in Jute Industry would be accounted for to the gains of emergency? The jute industry started facing crisis after June 25th soon after the second emergency was declared and more than 50 jute mills were closed down with the result that about 80,000 workers, direct and indirect, were thrown out of employment. Concessions amounting to about Rs. 16 crores are given to them. I would like to know from the hon. Minister whether he would make a statement regarding this so that we could know what are the gains of emergency? Day before yesterday, there was a report in the Economic Times. According to that report, some more jute mills are going to be closed. I would like to know what is the real state of affairs in this industry? Thirdly, in the statement, in the second paragraph, it is mentioned, "Of late, our foreign jute market has shrunk to a disturbing extent." I think this is a story of about one year back. This story was given by the Ministry of Commerce which administered the department during the emergency. I think the hon. Minister would throw some light on this. I think as usual some officers must have prepared this statement. The facts are not upto date. I would like to know what is the actual position of the entire market?

SHRI MOHAN DHARIA: So far as this industry and the emergency is concerned, perhaps the present state of affairs of the jute industry itself is enough to reflect over the so-called gains of emergency. This industry had suffered badly during the emergency. It has never happened in the

past. So far as the next point regarding some additional mills falling sick is concerned, I have taken note of it. If the reference of the hon. Member is towards those jute mills from Andhra where there is a strike, I may say that I am equally ignorant because I have read about it this morning. I have called for the reports of the State Governments. I may further add that I am as ignorant as the hon. Member is. As far as your third point regarding the entire position of the market is concerned, I have already replied to that point.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Mr. Speaker, Sir, about 90,000 workers have been retrenched due to the closure of these jute mills. I want to know from the hon. Minister whether any measures will be taken against the owners of these mills for illegally closing these mills? I also want to know from the hon. Minister whether Government will advise the Jute Corporation of India to supply raw jute to the flour mills for reopening of the jute mills?

SHRI MOHAN DHARIA: That is the reason why the word 'stoppage' of the jute mills has been used in my statement. I have not used the word 'closure'. I do not know whether it is legal or illegal. It is for the State Governments to find out whether the management has closed these mills legally or illegally; whether there was any lay-off or not and whether they would pay compensation for it or not. I know nothing about it. I am very much concerned about the stoppage of work which amounts to retrenchment immediately. Regarding the other aspect, I have already explained.

श्री मनोहर लाल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो बड़ी-बड़ी जूट मिलें बीमार पड़ी हैं, उन की व्यवस्था ठीक करने के साथ साथ क्या सरकार छोटे पैमाने पर जूट उद्योग की तरक्की के लिए कदम उठाएगी जिस से कारखानों को भी फायदा होगा ?

श्री मोहन धारिया : यह जूट कारपोरेशन जो हमने पैदा किया है वह ऐसे काश्तकारों की मदद करने के लिए और जूट इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए किया है। इन का काम जितना अच्छा होना चाहिए था वह नहीं था। अब यह कारपोरेशन अच्छा काम करेगा ऐसी हमें उम्मीद है।

श्री मनोहरलाल : मेरा प्रश्न साफ नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो बीमार मिलें पड़ी हुई हैं उन की व्यवस्था करने के साथ-साथ छोटे मोटे रैमाने पर जूट उद्योग की तरक्की के लिए भी क्या सरकार व्यवस्था करेगी।

MR. SPEAKER: We have taken a long time on this short notice Question. Because there is no Question Hour, I wanted to be liberal. That was why I allowed 40 minutes on this Question. When we have Question Hour next week, if we take up time like this on a Question, we will be able to dispose of only one or two Questions. It is not possible. Today, there is no Question Hour and that was why I thought, let all the Members get a chance. That is enough.

11.40 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

CERTAIN REMARKS BY SHRI T. N. KAUL,
ON TELEVISION NETWORK IN U.S.A. IN
JULY, 1975

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Mr. Speaker, Sir, Under Rule 222/223, I have already given notice seeking your consent to raise an issue of privilege. The facts of the case are as follows:—

On 11-7-75, after the proclamation of Emergency, Shri T. N. Kaul, the then Indian Ambassador in U.S., presently Chairman, Indian Council for Cultural Relations—I am told he

has resigned today or yesterday—in an interview telecast by the B.B.C., one of the national television network of the USA said:

“Political leaders had not been jailed but detained in houses.”

This is a gross distortion of truth and it wholly contradicts publications already made in Part II Bulletins of Lok Sabha under your orders and authority notifying arrests and detentions of a number of political leaders in the Opposition. By this action, he has committed a serious breach of privilege of the House as well as of the Members detained in jails.

I, therefore, request that the matter be referred to the Privileges Committee for proceeding further into it.

11.40 hrs.

MR. SPEAKER: The hon. Minister.

श्री मधु लिमये (बांका) : आप मुझे थोड़ा सुन लीजिए। इस पर मैं बोलना चाहता हूँ।

MR. SPEAKER: I have asked the Minister to reply.

श्री मधु लिमये : जवाब बाद में देंगे न ?

MR. SPEAKER: That means all the Members can speak on this. I would like to have your assistance and cooperation on this, in future also, in regard to the procedure to be adopted as to whether other Members can speak on a matter of privilege raised by an hon. Member. If other Members also participate, then it becomes a debate. If I allow Mr. Limaye, I will have to allow Mr. Subramaniam Swamy also and other Members from the other side also. Am I to allow all the Members to support him or oppose him?

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं इन दिनों नोटिस नहीं दे रहा हूँ आप की मदद करने के लिए, इसलिए आप मुझे थोड़ा सुन लीजिए ।

MR. SPEAKER: I know that. लेकिन आप को टाइम देने के बाद तो दूसरे मेम्बरों को भी देना पड़ेगा ।

श्री मधु लिमये : वह तो आप को डिसाइड करना है ।

MR. SPEAKER: Once I allow him, then others can also speak. I do not mind. Let others also speak. Once this is allowed, I will be in trouble. I do not want any debate now. The hon. Minister.

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने जो मामला उठाया है उस के बारे में श्री टी० एन० कौल से स्पष्टीकरण मांगा गया था । श्री कौल का कहना यह है कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का उन का कोई इरादा नहीं था । वे कहते हैं कि वे टेलीविजन पर बात कर रहे थे और उस समय जो जानकारी उन को उपलब्ध थी उस के आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया । अपनी सफाई में उन्होंने यह भी कहा है कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने जिन पार्लिय मेन्टरी बुलेटिन्स का हवाला दिया है वह बुलेटिन्स उन्होंने देखी नहीं थीं, वह बुलेटिन्स उनको भेजी नहीं जाती हैं । (व्यवधान) श्री कौल का यह भी कहना है कि पूरी जानकारी न होने के कारण जो जानकारी उस समय उपलब्ध थी, वह उन्होंने दी ।

अध्यक्ष महोदय, यदि आप देखेंगे तो यह जुलाई, 1975 का मामला है । अपनी सफाई में उनका कहना है कि अगर पूरी जानकारी न देने के कारण किसी को चोट पहुंची हो.. (व्यवधान)

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): One may tell lies for the country but not for an individual. (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जुलाई तो मैं कह ही रहा हूँ । तो उनका कहना है कि पूरी बात न कहने के कारण अगर किसी को चोट लगी है तो उसको वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं मगर उनका इरादा गलत बात कहने का नहीं था ।

इसमें मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा वह तथ्य पर आधारित नहीं था लेकिन उन्होंने किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन किया या नहीं किया, इसका फैसला तो अध्यक्ष महोदय, आपको ही करना है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । पहली बार इस देश में गैर कांग्रेसी सरकार जनता द्वारा चुनी गई है । विगत दो वर्षों में जो भी बात इन्दिरा सरकार के द्वारा की गई है उस पर चादर बिछाने का प्रयास जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी—ऐसा हम लोगों ने करोड़ों लोगों को आश्वासन दिया है । इसलिए मैं अपने लायक मित्र वाजपेयी जी से कहूंगा कि आप तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे लेकिन साथ साथ आप लोग इनको संरक्षण देने का भी प्रयास मत कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यह विशेषाधिकार का सवाल है या नहीं इस पर निर्णय देते समय आपको पहली बात तो यह सोचनी है कि क्या कौल साहब का यह निवेद है कि उनको पूरी जानकारी नहीं थी, सच्चाई पर आधारित है और क्या कौल साहब के पास सही जानकारी भारत सरकार के द्वारा और विदेश मंत्रालय

[श्री माधु लिमये]

के द्वारा दी गई थी या नहीं तथा क्या कौल साहब अखबार वगैरह पढ़ते हैं या नहीं क्योंकि श्री जय प्रकाश नारायण तो इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन श्री मोरारजी सदस्य थे, क्या वे नेता हैं इसके बारे में कोई शक है, क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी नेता हैं इसके बारे में कोई शक है, छोड़ दीजिए आप माधु लिमये और ज्योतिर्मय बसु को, हम तो मामूली आदमी हैं, हमको वे मामूली मानते थे लेकिन श्री मोरारजी देसाई और श्री वाजपेयी तो इस सदन के सदस्य थे और ऐसी हालत में उनके द्वारा यह कहना कि मुझे सही जान गरी नहीं थी— इस पर यह सदन विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होगा, यह मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। इसलिए आप इस पर जल्दी फैसला करने के बजाये या तो जनरल पर्पजेज कमेटी बुलायें या कुछ नेताओं को अपने चेम्बर में बुलायें और गहराई से विचार करें। पूरे विदेश मंत्रालय को, इंफार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री और विदेशी दूतावासों को विरोध पक्ष को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वे हाउस अरेस्ट की बात करते हैं लेकिन हमारे साथ क्या क्या बीती है वह जब समय आयेगा तब आप और सदन के सामने पेश करूँगा। आपको इस सवाल को एक साधारण और मामूली सवाल समझ कर नहीं टालना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है। जो वस्तुस्थिति है उसको मैंने सदन के सामने रखा है। किसी को बचाने का या पाप पर पर्दा डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जहां तक विशेषाधिकार का सवाल है उस पर निर्णय तो आपके हाथ में है उसको मैं नहीं कर सकता। (व्यवधान)

SHRI S. KUNDU (Balasore): On a point of order.

SOME HON. Members rose—

MR. SPEAKER:: All the hon. Members may please sit down. Point of order is leading to disorder. I would request the hon. Members to leave it in my hands, as the hon. Minister has said. I am not going to give a ruling here and now. I will give my thought to it. I suggest, instead of wasting the time of the House, if any hon. Member can throw light on this to me, he can certainly do so in my Chamber. I am passing on to the next item.

11.51 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

FIRST REPORT OF SARKARIA COMMISSION, MEMORANDUM OF ACTION TAKEN AND STATEMENT *re.* REASONS FOR NOT LAYING HINDI VERSION OF THE REPORT

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following papers under sub-section (4) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952:—

- (i) First Report of the Sarkaria Commission set up to inquire into the allegations against the former Chief Minister and other Ministers of Tamil Nadu (Parts I and II).
- (ii) Memorandum of Action taken on the Report (Hindi and English versions).

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the Report. [Placed in library. See No. LT-20/77.]

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): May I ask, Sir, whether copies of these important documents will be circulated to Members? Secondly, in regard to item (ii)

'Memorandum of Action taken on the Report', does it mean the action taken by this Government or by the predecessor Government?

SHRI MORARJI DESAI: Action has not yet been taken. It is being considered.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: On appoint of information. Does 'action' mean action taken or proposed to be taken?

MADRAS CITY POLICE (AMDT.) Act, 1976, NOTIFICATIONS UNDER BORDER SECURITY FORCE ACT, 1968 AND CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE (AMDT.) RULES, 1977

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Madras City Police (Amendment) Act, 1976 (President's Act No. 39 of 1976) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 5th November, 1976, under sub-section (3) of section 3 of the Tamil Nadu State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1976. [Placed in library. See No. LT-21/77.]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968:—

(i) S. O. 11(E) published in Gazette of India dated the 6th January, 1977, containing Corrigendum to Notification No. S.O. 429(E) dated the 24th June, 1976.

(ii) S.O. 12(E) published in Gazette of India dated the 6th January, 1977 containing Corrigendum to Notification No. S.O. 430(E) dated the 24th June, 1976. [Placed in library. See No. LT-22/77.]

(3) A copy of the Central Industrial Security Force (Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 127 in Gazette of India dated the 29th January, 1977, under sub-section (3) of section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968. [Placed in Library. See No. LT-23/77.]

NOTIFICATIONS UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): On behalf of Shri Prakash Singh Badal, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:—

(1) The Sugar (Price Determination for 1976-77 Production) Order, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 887(E) in Gazette of India dated the 19th November, 1976.

(2) G.S.R. 892(E) published in Gazette of India dated the 22nd November, 1976 containing Corrigendum to Notification No. G.S.R. 815(E) dated the 24th September, 1976.

(3) G.S.R. 913(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 9th December, 1976 containing Corrigendum to Notification No. G.S.R. 542(E) dated the 27th October, 1975.

(4) G.S.R. 941(E) (English version) and G.S.R. 942(E) (Hindi version) published in Gazette of India dated the 22nd December, 1976 containing Corrigenda to Notification No. G.S.R. 887(E) dated the 19th November, 1976. [Placed in library. See No. LT-24/77.]

REPORTS UNDER BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970 AND ANNUAL REPORT OF DELHI FINANCIAL CORPORATION FOR 1975-76

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H.

[Shri H. M. Patel]
M. PATEL): I beg to lay on the
Table:—

(1) A copy each of the following Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:—

- (i) Report of the working and activities of the Central Bank of India for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (ii) Report of the working and activities of the Bank of India for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (iii) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (iv) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (v) Report on the working and activities of the United Commercial Bank for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (vi) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (vii) Report on the working and activities of the United Bank of India for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.

- (viii) Report on the working and activities of the Dena Bank for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (ix) Report on the working and activities of the Syndicate Bank for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (x) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (xi) Report on the working and activities of the Allahabad Bank for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (xii) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (xiii) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.
- (xiv) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year ended the 31st December, 1975 along with the Accounts and the Auditor's Report thereon.

[Placed in Library. See No. LT-25/77]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Financial Corporation together with a statement of Assets and Liabilities, Profit and Loss Account and the Auditor's Report for the

year 1975-76 published in Notification No. F. 6/11/76-Fin(G) in Delhi Gazette dated the 18th November, 1976, under sub-section (3) of section 88 of the State Financial Corporations Act, 1951. [Placed in library. See No. LT-26/77].

NOTIFICATION UNDER MINES AND MINERALS (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 1957

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O. 101 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 8th January, 1977, under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957. [Placed in library. See No. LT-27/77].

NOTIFICATIONS UNDER TAMIL NADU PAYMENT OF SALARIES ACT, 1951 AND A STATEMENT re. REASONS FOR DELAY IN LAYING NOTIFICATION

SHRI RAVINDRA VARMA: I beg to lay on the Table:—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 14 of the Tamil Nadu Payment of Salaries Act, 1951 read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 31st January, 1976 issued by the President in relation to the State of Tamil Nadu:—

(i) The Tamil Nadu Legislature (Free Transit by Railway) Rules, 1975 published in Notification No. G.O.Ms. 3744 in Tamil Nadu Government Gazette dated the 29th November, 1975.

(ii) The Tamil Nadu Legislators' Pension Rules, 1977 published in Notification No. G.O.Ms. 250 in Tamil Nadu Government Gazette dated the 2nd February, 1977.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons

for delay in laying the Notification mentioned at item (1) (i) above. [Placed in library. See No. LT-28/77].

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF RICHARDSON AND CRUDDAS (1972) LTD., BOMBAY FOR 1975-76

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(1) Review by the Government on the working of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Bombay, for the year 1975-76.

(2) Annual Report of the Richardson and Cruddas (1972) Limited, Bombay, for the year 1975-76 along with the Auditor Accounts and the comments of the comptroller and Auditor General thereon. [Placed in library. See No. LT-29/77].

11.50 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 4th April, 1977, will consist of:

(1) Further discussion on the Address by the Vice-President acting as President.

(2) Discussion on the Resolutions seeking continuance of President's Rule in the States of Tamil Nadu and Nagaland.

[Shri Ravindra Varma]

(3) Discussion on the Resolution on increase in the export duty on coffee, groundnut and cardamom.

(4) Consideration and passing of:

(i) The Caltex [Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Bill, 1977.

(ii) The Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Amendment Bill, 1977.

(iii) The East Punjab Urban Rent Restriction (Chandigarh Amendment) Bill, 1977.

(iv) The Government of Union Territories (Amendment) Bill, 1977.

(v) The Delhi Administration (Amendment) Bill, 1977.

(vi) The Prevention of Publication of Objectionable Matter Repeal Bill, 1977.

(viii) The Food Corporations Ceedings (Protection of Publication) Bill, 1977.

(viii) The Food Corporations (Amendment) Bill, 1977, as passed by Rajya Sabha.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I have gone through the list which has been put before us by the hon. Minister. I am very sorry they have not included an extremely important discussion as far as Tamil Nadu is concerned. Today there is a very widespread drought there; this drought is a perennial problem. Now we are told that 60 per cent electricity cut is also there. It is very important that we have a discussion because there has been wastage of the drought relief money in the past. We want that the drought relief should be directed towards something of a permanent nature. That is why I would like that this should also be discussed next week.

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): I am sorry that the issues of Compulsory Deposit Scheme and Bonus are not included in the list. I wish important issues should not be left out. That is why I would like that this should also be discussed next week.

MR. SPEAKER: I am myself bringing it to the notice of the Minister.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): Mr. Speaker, Sir, I have listened carefully to the statement made by the hon. Minister. I would like that there should be short-duration discussion on the handloom industry because this industry is facing crisis all over the country, in Kerala particularly. There are thousands and thousands of people who are starving today. That is also the position in Tamil Nadu.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): The hon. Minister has included many items for discussion next week, but unfortunately, I could not find any item for a short-duration discussion on the scarcity of yarn for the weavers. The people of Kerala are suffering because of the scarcity of yarn and because of its black-market. This must be included.

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद)

अध्यक्ष महोदय, संसद् कार्यमन्त्र जी ने जो अगले सप्ताह के लिए कार्य की सूची बना दी है, उस को मैंने ध्यान से सुना है। हम लोग अगले सप्ताह के बाद शायद मई में मिलेंगे और तब तक किसानों की गेहूं की फसल कटने लगेगी और राज्य सरकार उन से गेहूं की वसूली शुरू कर देगी। मुझे यह जानकारी मिली है कि आज, कल और परसों कृषि मंत्रालय राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन के साथ एक बैठक करने जा रहा है और उस में रबी की फसल की वसूलयाबी की क्या कीमत हो, यह तय करने

जा रहे हैं। देश भर का किसान इस सवाल पर बड़ा चिंतित है। इसलिए हम यह चाहेंगे कि इस चीज पर बहस के लिए कोई तरीका या समय निकालें जिस से यहां पर बहस हो सके और कृषि मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दें क्योंकि जिस तरह से पहले की सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने कारखानेदारों की जो पैदावार थी उस की तो कीमत बढ़ा कर और किसानों की पैदावार की कीमत को घटा कर बड़े बड़े सरमायदारों और कारखानेदारों से किसानों को लुटवाया है, उस से किसानों में बड़ा रोष है। इसलिए इस बारे में बहस होनी चाहिए और किसानों को उचित दाम मिलने चाहिए जिस से देश का किसान यह महसूस कर सके कि उन के लिए कुछ परिवर्तन हुआ है।

MR. SPEAKER: These are the subjects mentioned by the hon. Members. If time permits, the Minister will take note of them. I think, he would say that.

SHRI RAVINDRA VARMA: Yes, Sir.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, under...

MR. SPEAKER: Mr. Besu, throughout the day you are taking charge of the House. I do not think, it is proper. I do not know how many notices you have given. These are the things you have brought and I have mentioned them. It is not at all good. The House must be allowed to continue to do its work. If you are permanently on your legs, I would sit down and you can be on your legs all the time. I have got the list of the Members and I have called them. Because I have called them, you also want to get up and say something. That is not the way of doing things. Next item.

11.57 hrs.

CALTEX [ACQUISITION OF SHARES OF CALTEX OIL REFINING (INDIA) LIMITED AND OF THE UNDERTAKINGS IN INDIA OF CALTEX (INDIA) LIMITED] BILL*

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide, in the public interest, for the acquisition of the shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and for the acquisition and transfer of the right, title and interest of Caltex (India) Limited in relation to its undertakings in India and thereby to secure that the ownership and control of the petroleum products produced by the Caltex Oil Refining (India) Limited, and marketed and distributed by the said undertakings, in India, are so distributed as best to subserve the common good.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide in the public interest, for the acquisition of the shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and for the acquisition and transfer of the right, title and interest of Caltex (India) Limited in relation to its undertakings in India and thereby to secure that the ownership and control of the petroleum products produced by the Caltex Oil Refining (India) Limited, and marketed and distributed by the said undertakings, in India, are so distributed as best to subserve the Common good."

The motion was adopted.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I introduce† the Bill.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 1-4-77.

†Introduced with the recommendation of the Vice-President Acting as President.

12.00 hrs.

STATEMENT RE. CALTEX [ACQUISITION OF SHARES OF CALTEX OIL REFINING (INDIA) LIMITED AND OF THE UNDERTAKINGS IN INDIA OF CALTEX (INDIA) LIMITED] ORDINANCE, 1976

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Caltex [Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Ordinance, 1976. [Placed in Library. See No. LT-30/77].

— — —

12.01 hrs.

ELECTION OF DEPUTY SPEAKER

SHRI YASHVANTRAO CHAVAN (Satara): I beg to move:

“That Shri Godey Murahari, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House.”

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I second it.

MR. SPEAKER: There are no other names before the House.

Anyway I will put the motion to the House. The question is:

“That Shri Godey Murahari, a member of this House, be chosen as the Deputy Speaker of this House.”

The motion was adopted.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I offer my con-

gratulations to Shri Godey Murahari on his election as Deputy Speaker. I hope and trust that he will conduct the proceedings of this House with fairness and in true democratic parliamentary traditions.

I assure him of the full co-operation from all members of this House.

SHRI YASHVANTRAO CHAVAN: May I join in offering my congratulations to the Deputy Speaker, Shri Murahari.

Shri Godey Murahari is not new to the parliamentary life. Though he is sitting in this House for the first time, he has been a Member of the other House where he has functioned as the Presiding Officer and that too, very fairly and effectively and to the satisfaction of all sections of the House. I have no doubt that the same traditions he will continue to maintain and I can assure him, as the Prime Minister did, of our full co-operation.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): On behalf of my Party, the CPI(M), I congratulate Mr. Murahari on his being elected unanimously as the Deputy Speaker.

I will request Mr. Murahari to keep in view the conditions under which he has been elected, the new background of the national situation and the hopes raised in the people. I hope he will prove himself worthy of the expectations raised in the minds of the people. I offer him the full co-operation of our Party in discharging his responsibility.

MR. SPEAKER: Anybody from AIADMK?

All right, Shrimati Parvathi Krishnan

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): On behalf of CPI I would like to extend our warmest felicitations to Mr. Murahari and assure him of our fullest co-operation.

We have had close associations with him outside the House and we are aware of his very affable and equable temperament and I am sure he will bring great dignity to the office he is about to enter upon.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Manjeri): On behalf of the Muslim League I would like to extend my greetings and felicitations to Mr. Godey Murahari on his election as Deputy Speaker.

Shri Murahari is a person of very charming habits and he has discharged his duties as Deputy Chairman of the Rajya Sabha previously. I hope he will do justice to all sections and Parties in this House and I convey my greetings to him and wish him all success.

MR. SPEAKER: I am happy to join hon. Members in felicitating Shri Godey Murahari on his election as the Deputy Speaker of this august House. My congratulations to him. Shri Murahari comes to this House with a rich experience of parliamentary life in the other House.

To me personally, it is a matter of satisfaction to have an experienced colleague like Shri Murahari to share the responsibilities of the Chair. In parliamentary democracy, Presiding officers are naturally expected to maintain high standards of impartiality and integrity in the performance of their duties so as to inspire confidence among all sections of the House and among all members irrespective of their party affiliations. While ensuring the orderly conduct of the business and its timely completion, we have to take particular care to see that all sections of the House have adequate opportunity to put forward their view-points and have no legitimate cause for grievance on that count.

I again heartily congratulate Shri Murahari and wish him well.

SHRI GODEY MURAHARI (Vijaywada): Mr. Speaker, Sir, I am deeply grateful to all the colleagues who have just spoken as well to you.

I know that as the Deputy Speaker of this House I will have to exercise the utmost impartiality that is expected of a Presiding Officer and I shall endeavour to do so as I did in the other House. Let me assure everybody in this House—whether they are sitting on the other side or this side—that as far as I am concerned, henceforward I belong to all sections of the House and not to any particular section.

As far as you are concerned, I have had some association with you while being in Parliamentary delegations or otherwise and all my experiences has been very pleasant. I know that in the conduct of my duties here as Deputy Speaker you will be guiding me as an elder brother and giving me the utmost affection that I can get from anybody, especially in view of the earlier association that we have had while you were Speaker of this House.

We have just passed through one of the greatest experiments in democracy and come out as one of the biggest democracies that have experimental in the general election in a free and fair manner. I am sure the will of the people as reflected in this House will be respected by all sections of political opinion. I am sure, in the conduct of business in this House, we as Presiding Officers have a very onerous task because we have to keep a very delicate balance between what goes on in the House and the aspirations of the people outside. I am very conscious that even while serving as Presiding Officer, I must be conscious of the people's aspirations and try to see that this House reflects the aspirations of the people outside. And, therefore, I can assure you with whatever little capacity I may be

[Shri Godey Murahari]

-serving here I shall endeavour to keep these ideals in view and try to make the experiment of parliamentary democracy in this country as successful as it should be and I expect all sections of the House would give me their co-operation because I know many people sitting on the other side are friends and colleagues with whom I have worked even outside this House. As a matter of fact, with many of them I had started my politics, and, therefore, I am very confident that in the conduct of my duties as Deputy Speaker, I shall not only get the co-operation from the Treasury Benches but also the side to which I belong now. At the same time I am conscious of the fact that it is not always the Opposition that needs protection from the Chair, sometimes it is the Treasury Benches—I think, many times it is the Treasury Benches that require protection from the Chair, because when the Opposition forms the Ministry it is often times the Chair which has to protect the Treasury Benches. I am conscious of all these factors while I take up the duties of the Deputy Speaker.

I once again thank everyone of those who have spoken as also you for felicitations.

12.10 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT—Contd.

MR. SPEAKER: Now we will take up further discussion on the President's Address. We have taken 4 hours 45 minutes. Hitherto the leaders of the parties were speaking. Naturally, I gave them enough time. I did not want to disturb them. But at least from now if we reduce the time limit, and if each Member can take five to ten minutes, larger number of people will be able to speak.

To facilitate more new members to have the opportunity to take part in the debate I am suggesting that ten minutes may be taken by each one of you, so that large number of members can be accommodated. Mr. Yamuna Prasad Shastri has already taken 26 minutes. I would request him to conclude quickly so that others may get a chance.

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) :

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं जब बोल रहा था तो मैंने आप के माध्यम से सदन में यह अनुरोध किया था कि जनता पार्टी की सरकार वैदेशिक मामलों में वास्तविक रूप में गुट निरपेक्षता की नीति को मांगेगी। लेकिन उस के लिये दो मापदण्ड नहीं होंगे कि कहीं पर अगर मानव अधिकारों का हनन हो तो उस के विरुद्ध तो आवाज उठाये लेकिन अगर दूसरे गुटों के देशों में मानवता की हत्या हो तो उस के लिये हम कुछ न बोलें। इस को हम गुट निरपेक्षता की नीति नहीं मानते। जनता पार्टी की सरकार मानवाधिकारों के हनन के विरोध में अपनी आवाज बुलन्द करेगी चाहे वह रूसी ब्लाक के देशों में हो या अमरीकी ब्लाक के देशों में हो। जहां पर भी मानवाधिकारों का हनन किया जायगा उसकी गुंज जनता पार्टी की सरकार सारे विश्व के सामने रखेगी, और यही सच्ची गुट निरपेक्षता का मापदण्ड रहेगा।

इसके अतिरिक्त मैं ने कल प्रतिपक्ष के नेता से यह सुना कि संविधान के 42वें संशोधन में हमने संसद की प्रभुसत्ता की स्वीकार किया है और उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। संसद की प्रभुसत्ता के लिये आप ने 42वें संशोधन में क्या किया है? आप लोगों ने संसद की प्रभुसत्ता की निर्मम हत्या की है। पिछले 20 महीनों के अन्दर/संसद के अन्दर माननीय सदस्य कुछ बात कहें

वह देश के सामने न आ सके समाचार-पत्रों में प्रकाशित न हो सके क्या यही संसद की प्रभुसत्ता की आप ने रक्षा की है। आप ने 42वें संशोधन में यह व्यवस्था की है कि कुछ कानून जो सरकारी पार्टी की रक्षा के लिये बनाये जायें या इसके नेताओं की/कुसी बचाने के लिये बनाये जायें उनको अदालतों में चुनौती न दी जा सके। नवें परिशिष्ट में उनको रख दिया जाय। मैं नहीं मानता कि इस से संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा होगी। संसद कोई भी कानून बना सकती है, इस की प्रभुसत्ता अपरिहार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संसद जो कानून बनाये उस की व्याख्या/करने का अधिकार न्यायलयों को रहना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता तो संसद की प्रभुसत्ता की आप रक्षा नहीं कर सकते। जहां तक देश के संबंध में किसी तरह के कानून बनाने का प्रश्न है वह संसद का अधिकार है। लेकिन न्यायालयों का यह अधिकार भी अक्षुण्ण रहना चाहिये कि वे इसकी जांच कर सकें कि जो कानून संसद ने बनाया है वह मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला तो नहीं है, संविधान की परिधि से बाहर जाने वाला तो नहीं। यह परीक्षण करने का अधिकार न्यायालयों को अवश्य होना चाहिये। इसीलिये राष्ट्रपति महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस तरह की व्यवस्था की जायगी ताकि जनता और संसद संसद और न्यायपालिका के अधिकारों का संतुलन बना रहे और जिस तरह की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी वह ज्यों की त्यों बनी रहे। मैं समझता हूँ कि इस बार के चुनाव के परिणामों में जो आप को सबक मिला है उस को देखते हुए कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे और झूठी डींग हांकना आप छोड़ देंगे।

संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा के लिये इस देश में अगर सब से पहले किसी ने

आवाज उठाई थी, तो वह थे स्वर्गीय श्री नाथ पाई। उन्होंने संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा करने का संकल्प प्रस्तुत किया था और संविधान में संशोधन प्रस्तुत किया था। बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी वालों ने उस का समर्थन तक नहीं किया था। संसद को गत 19 महीनों में अपने शासन काल में पंगु बनाकर, उस की हत्या करके यह कहा जाता है कि संसद की प्रभुसत्ता को हमने कम नहीं होने दिया, 42वां संशोधन करके हमने संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा की है। जबकि वास्तविकता यह है कि न संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा की, न जनता की प्रभुसत्ता की रक्षा की और न ही संविधान की मर्यादाओं को बचाया गया। आप ने देश की जनता के अधिकार को छीन लिया कि अगर कोई सरकार को बदलने की कोशिश करेगा, बलपूर्वक कोई कार्यवाही करेगा तो उसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जायगा। अगर कोई शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की रक्षा के लिये हड़ताल करना चाहे तो वह भी राष्ट्र विरोधी माना जायेगा, कोई न्यायालय में नहीं जा सकता था। शासकीय कर्मचारियों को यदि कारावास/कर दिया जाय, तो वे न्यायालय में नहीं जा सकते थे। जैसा लोकतंत्र में आप ने किया इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती थी। आप ने जो इस तरह के संशोधन किये हैं उनको यह सरकार समाप्त करना चाहेंगी। आशा है आप उस में अड़ंगा न डालेंगे। अगर आप इस में अड़ंगा डालेंगे तो इस देश की जनता आप को देखेगी। पहले यहाँ पर यह सदन है, इनके ऊपर इस देश की जनता है जो कि सर्वोपरि अदालत है वह आप के ऊपर निगरानी रखेगी। अब तक जो आप ने किया है, उस का परिणाम आपने देख लिया है। अगर फिर भी उस में कोई अड़ंगा चाहेंगे तो इस की जनता आप को देख लेगी।

[श्री यमुना प्रसाद शास्त्री]

क्षितिज पर जो लिखा है, उस को आप अच्छी तरह से देखें और जो हवा का रुख है उस को अच्छी तरह से पहचानें। जनता पार्टी की सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये संविधान में जो संशोधन करना चाहती है, हम अपेक्षा करेंगे कि आप समय की गति को पहचानेंगे और उस का समर्थन करेंगे।

शासकीय कर्मचारियों के अधिकारों को छीना गया और उन में से कई को मनमाने ढंग से बर्खास्त कर दिया गया और न्यायालय की शरण में जाने से भी उन को रोक दिया गया, क्या आप इस तरह से लोकतन्त्र को अथवा संसद की प्रभुसत्ता की रक्षा करना चाहते थे? इस तरह के प्रावधानों को यह शासन समाप्त करना चाहता है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।

प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि इस देश की जो प्रगति हुई है उस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने प्रमाण पत्र दिया है। उन्होंने हम से कहा कि इस तरह की बातों की क्या अनदेखी करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने क्या कहा है, इस से इस देश की प्रगति का लेखा-जोखा नहीं लगाया जा सकता है। इस देश में क्या प्रगति हुई है, इसका आकलन इस देश की जनता करेगी और वह आकलन इस तरह से होता है कि इस देश का जो सब से निचला तबका है, उन लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है। इस को भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने देखा है, आप गलतफहमी में न रहें, विदेशी अखबारों ने आप की कलाई को खोला है। जिस तरफ आप ध्यान दिलाना चाहते हैं, उस के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय

संस्थाओं को पता है। आपने कहा कि हम ने इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को समाप्त कर दिया है, आप विदेशी पतनों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करते हैं उन्होंने भी लिखा है कि कृत्रिम तरीके से मुद्रास्फीति को कम नहीं किया जा सकता है। इस को कम करने के दूसरे तरीके हैं, उत्पादन बढ़ना चाहिये, लोगों को काम मिलना चाहिये और उन की श्रमशक्ति बढ़नी चाहिये। लेकिन आप ने इस इन्फ्लेशन को दूर करने के लिये क्या तरीके अपनाये हैं, जो गरीब से गरीब भजदूर है, जो मुश्किल से अपना पेट भरता है उस को जो राशि मजदूरी या महंगाई भत्ते की मिलती है उस में से कुछ रकम आप ने अनिवार्य बचत योजना में, सी० डी० एम० में जमा कर ली है।

इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मजदूरों तथा सरकारी कर्मचारियों आदि छोटे से छोटे आदमियों की आमदनी का एक हिस्सा अनिवार्य जमा योजना में जमा कर दिया गया है। जहां तक कीमतों का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट और वित्त मंत्री महोदय के भाषण से स्पष्ट है कि थोक मूल्यों में 12½ प्रतिशत और फुटकर मूल्यों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन लोगों की आधी आमदनी को कम्पलसरी डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया गया है। इस प्रकार पिछली सरकार ने करोड़ों लोगों को भूखों मरने पर विवश किया है और उन के परिवारों की दशा दयनीय हो गई है। क्या मुद्रास्फीति को कम करने का यही तरीका है?

बेकारी में भी वृद्धि हुई है। अभी सदन में बताया गया है कि आठ जूट मिलें बन्द हैं, जिस के परिणामस्वरूप 80,000 मजदूर बेकार हैं। इसी प्रकार टैक्सटाइल मिलों के लाखों मजदूर भी बेकार हैं। यह है पिछली सरकार

की आर्थिक नीति और उस के द्वारा अर्थ-
व्यवस्था में लाया गया सुधार ।

मैं जनता सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि वह देश के संतुलित विकास की ओर ध्यान देगी । पिछले तीस वर्षों में इस देश के कुछ हिस्सों की स्थिति कंगाल से भी बदतर हो गई है । कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ न सिंचाई के साधन हैं, न उद्योग-धंधे हैं और न कोई रेलवे लाइन है । मुझे आशा है कि जनता सरकार देश के संतुलित विकास के लिए विशेष प्रयत्न करेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभि-
भाषण पर पेश किये गये धन्यवाद-प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूँ ।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur):
Mr. Speaker, Sir, I watched with rapt
attention the participation of new
Members and also listened to the
speeches of Sarvashri Karpoori
Thakur and Hegde.

My leader, Mr. Chavan, has put it
very rightly that some of the new
Members on the opposite side are our
old socialist friends. Some of them
are, of course, new friends.

Mr. Speaker, Sir, most of the
speakers in their speeches have only
blown out the air and dust of the
elections and it was a rather pale
picture that they have depicted about
the policies and programmes of the
Janata Party. They have made mostly
statements of their election experi-
ences and at the same time they have
castigated the good things done by
the previous government as according
to them, they were bad.

Of course, I appreciate that the new
government during its short existence
of seven days cannot do much. I can
also see that the new Prime Minister
has made a categorical statement
while assuming office that the verdict
of the people will be respected and in
accordance with the verdict of the
people, that there is no malice, there is

no vindictiveness and there is no pre-
judice and there is no jealousy. But
in most of the speeches, I think most
of the members criticised the defects
of the previous government and
sometimes even accused, in the
choicest words, the previous govern-
ment and its set up. Sir, most of
our friends on this side are also
representatives of the people and
the Janata Party has been in exis-
tence only since 3-4 months. But,
here is the Congress Party which has
been saddled for the existence and
for the freedom of this country and
most of the stalwart leaders like
Shri Jagjivan Ram and our present
Prime Minister were part and parcel
of this Congress Party and most of
the new members may not be know-
ing it, but we respect the leader of
this House, the Prime Minister.

SHRI SURATH BAHADUR SHAH
(Kheri): You Congress was born
only in 1969.

SHRI K. LAKKAPPA: With all
respect, our Prime Minister, while
assuming office has categorically stat-
ed that he will not run the Govern-
ment with the prejudice of the pre-
vious government. Sir, most of the
Members of that Party have catego-
rically castigated personally the pre-
vious Prime Minister and various
speakers including the sharp speaker,
Shri Hegde, have made certain spee-
ches discrediting the accountability
and the respectability and whatever
the things done by the previous
government. I never expected this
attitude. I do not know the mind
of the Prime Minister, but most of
the Members must know what the
assurance given by the hon. Prime
Minister to this House is. Sir, they
have charged that the Congress Party
has ruined this country, the Congress
Party is responsible for mutilation of
the Constitution and all these things.

MR. SPEAKER: Mr. Lakkappa,
there is a clarification.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): I have not given any blanket assurance of any kind. I only said that there will be no witch-hunting, there will be no vengeance and we are not going to do anything deliberately against anybody. But if any complaints come, we will have to go into them. More than that, when the hon. Members and even the Leader of the Opposition calls the Janata Party an animal how do they expect my colleagues here not to take notice of it?

MR. SPEAKER: Mr. Lakkappa, I don't think anybody has anything to say personally against the ex-Prime Minister. Certainly not. They will have to criticise the policies and they have criticised. There is nothing wrong in that. I have heard the speeches. Personal attack was not at all there. About the policy that was followed and all that, they said it was a wrong policy. But there was no personal attack. We shall not allow that. Mr. Lakkappa, go ahead with your speech.

SHRI SURATH BAHADUR SHAH: On a point of information, Sir.

MR. SPEAKER: How can the Chair give you information?

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, the President's Address has given or painted a very gloomy picture about it and it could not spell out what is the policy, the programme and the ideology of the Janata Party because I know the inner contradictions of the Janta Party consisting of these people. They have got a lot of contradictions themselves. Of course Mr. Patel has also stated that this is not the policy and philosophy of their party, but they have presented a Budget which was prepared by the previous Government and have done so only as a constitutional requirement. Therefore, Sir, I do not want to comment on it.

Sir, regarding the President's Address, should it not reflect the real

picture and the programme which is envisaged or likely to be envisaged by the present Government? It should bring out all that they had inspired and pictured in their manifesto. Even that has not been made clear in the President's Address. Why? My friend Hegde said that nothing had been done; I should like to quote the figures to show the achievements of the twenty point economic programme.... (*Interruptions*). You must give credit to the good things that were done by the previous government. As Mr. Subramaniam pointed out yesterday, if you want to demolish the entire image of the country, you may do so. The hon. Prime Minister said that the attitude of the present government would not be a vindictive one or prejudicial to the nation. I am glad about that. Our Leader had also assured him that wherever possible there will be co-operation and constructive opposition. You cannot say that there was no discipline, no production or no achievement during the Emergency, and that the 20 point programme was a farce. The index of production for basic industries rose from 91.5 to 102.7 in 1975-76. There was a 12 point rise in coal production, 15.3 point rise in fertilisers. So, you cannot say that there were no economic achievements and there were only Emergency and black laws. In your opinion there may have been black laws. But a verdict in our favour has been given in the south. Do you think the votes in the South are not angels and all the voters in the north are all angles. Emotional considerations might have been there in the north and they might have upset the elections.

12.33 hrs.

[**MR. DEPUTY-SPEAKER** *in the Chair*].

We believe in democracy, socialism and secularism and there will be further elections also; this is not

the first time that I am here; I am here and this is the third time. Steel production increased by 17.9 cement production by 17 points, power generation by 13.2 crude oil by 9.8 and aluminium by 55.3 points, and vanaspati by 40. They were referring to black laws. What are the black laws? There was ceiling on agricultural land and surplus land was distributed in the country. I know my friend Karpuri Thakur; he represents the minorities in Bihar, he was in my party earlier. He is a very respectable leader and he says that no land was distributed. Here is a report which says that the total number of returns filed under the ceiling laws was about 13.21 lakhs; seven lakhs of cases have been disposed leading to the declaration of 17.85 lakh acres of land as surplus land.

Let the total number be 5 lakhs or 10 lakhs or 17 lakhs. But you will agree that land reforms have taken a deep root in this country. Are they not progressive measures? There is no use discrediting the previous Government and the previous leader for bringing forward social legislations like these. Many hon. Members would agree with me that social legislation like land reforms, etc. is a great achievement. 57 per cent of the total population in this country are living below the poverty line and they are rural based. They have been, for the first time, given house sites and other facilities during the Congress Government rule under the leadership of Shrimati Indira Gandhi. You are aware that there is no problem of house sites in Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Goa, Diu and Daman, Lakshadweep and Mizoram. In the remaining States, about 68 lakh house sites have been allotted to the landless and weaker sections. In States like Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, U.P. and the Union Territories of Chandigarh and Delhi, allotment of house sites has just been

completed. For the construction of houses on the sites allotted to them, most of the States have taken up the question of providing either free or at subsidised cost building materials and other things. But you cannot say that this work has to be completed in full within a short period of time. You know that ours is a big country where the Government machinery has to be geared up to do this job. Of course, there may be mistakes and faults on the part of the bureaucracy. But do not make such remarks against the previous Government which had brought forward progressive measures. Take, for instance, abolition of bonded labour. Which Government had abolished the bonded labour? Bonded labour could not be abolished for the last 30 years or so. At that time, our present hon. Prime Minister was the Finance Minister and the Deputy Prime Minister. At that time I was on the Opposition side. The socialist friends who are now sitting on the other side were demanding social legislation like abolition of bonded labour. This was done by the Congress Government. But if we had failed to abolish the bonded labour, then there would have been a lot of criticisms both inside and outside the House.

Then other social measures like liquidation of rural indebtedness, moratorium on the recovery of loans taken by landless and small farmers were also brought forward. Do you want to do away with these legislations? Is it the policy of the present Government to do away with these legislations? Is it the reflection of the will of the people of this country? I do not think it is so. I think in the northern belt, certain emotional issues were being involved and that is why the election results in these areas were upset. But it is not so in southern States. It is a credit for the Congress Party that their programmes have reached the hearts of the common people there. My experience in the recent elections is

[Shri K. Lakkappa]

that thousands of people with their colourful dresses came to the polling booths and voted for Congress. People belonging to the minority community Muslims and Harijans, had come in large numbers and voted for Congress.

In 1971, when the Congress won the elections in a big way, you said that the elections were rigged. Now you have won the elections. You should not have a double standard. You must stick to democratic values. You must see to it that the progress made by the previous government is not disturbed. I know who were the people who voted for the Janata Party in my State. They were traders, blackmarketeers, pawnbrokers and others who exploited the poorer sections. The previous government passed some legislation and some briefless lawyers are going about saying that this legislation is fraud. This is a ridiculous approach. As has been pointed out, the people have put you on probation. Our new Prime Minister is a very respectable person and he does not have any inner contradictions. I am appealing to him that certain progressive measures taken by the previous government should not be disturbed. That assurance must be given. The House should remember that at that time the prices had risen very high and the blackmarketeers were acting in collusion with these smugglers. The ordinary law was not enough to deal with the smugglers. There are illustrious lawyers in the House and they know how in most of the cases involving smugglers, they were defended by brilliant lawyers who could go on obtaining stay orders from the courts and evade the law. This was detrimental to the economy of the country. That is why these laws were passed. There might have been some lapses on the part of the previous government, but you should not call all

those laws black laws. The bureaucracy also was responsible to a great extent. You are now in power and within six months you will know how the bureaucracy acts. So, don't be very complacent that everything is all right. Immediately after the elections, in spite of the assurances given by the Prime Minister, in my State, Harijans, Muslims and other minorities were being harassed by the Janata Party workers and they are being victimised. There is a central law to protect the Harijans, but still they have been prevented from drawing water from the wells and beaten up by the Janata workers. (*Interruptions*). Sir, I am speaking with emotion because my party flag was burnt by the Janata workers. Mr. Hegde was saying that during the elections, the Congress Party was distributing sarees and other gifts to the people, that it was using a large number of jeeps and other vehicles and so on. But what did the Janata Party do? They deployed double the number of vehicles; they distributed double the number of sarees and other gifts! And the double number of posters have been distributed. From where did those posters come? And from where did those jeeps come?

I think this Government gives a glorious picture of what they are going to produce in the Government. I think no credit should be given for that. So far as this Address is concerned, there is no indication as to how you are going to function. Therefore, I would once again appeal to the Prime Minister to see that whatever progressive laws that have been passed by the previous Government, should not be disturbed and vindictive attitude should be stopped. I can give one example. You are talking about interference with judiciary. Now, the same judiciary is there. Mr. Subramaniam Swamy's foreign exchange case has been withdrawn immediately by this Government. Is

it not an interference with the judiciary? So, do not say all these things. These things are there. I think we will have ample opportunity to say more after the announcement of the policy and programme by this Government.

श्रीमती मृगाल गोरे (उत्तर बम्बई) :
अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं राष्ट्रपति महोदय को उनके अभिभाषण के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने अभिभाषण में उन सब बातों का समावेश किया है जो चुनाव के जरिए इस देश की जनता ने चाहा है। इस देश की जनता ने अपनी आकांक्षा रखी है कि वह इस देश में तानाशाही नहीं चाहती है बल्कि लोकतंत्र चाहती है। इस देश की जनता ने बताया है कि देश में लोकतंत्र को फिर से कायम करने के लिए हों इन बातों को करना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसी कई बातें दी गई हैं जिनसे जनता की भावनाएं व्यक्त होती हैं।

कल मैंने विरोधी दल के नेता सम्मानीय श्री यशवंतराव जी चव्हाण और दूसरे सदस्यों के भाषण सुने। मैं सोचती थी कि आगे के कामकाज के बारे में विरोधी दल से और उसके नेता से कुछ बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन वे सामने वाले घर की ओर ही देखते रहे हैं। मैं अपने विरोधी दल के लोगों से इतना ही कहूंगी कि पहले आप अपने घर की तरफ तो देखें, आपके घर के खंबे गिर गये हैं, जिसकी ईंटें हर दिन गिर रही हैं। आज भी गुजरात में गिर रही है। पहले आप अपने मकान को तो ठीक रखिए तभी आप दूसरे मकान की तरफ ध्यान दीजिए। हमारा मकान नया है, इसका तो अभी प्लास्टर ही हो रहा है।

यह बिल्कुल साफ बात है कि देश की जनता ने अपना फैसला दे दिया है और आज जनता पार्टी के रूप में यह जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को सामने रखने का काम हो रहा है। मैं समझती हूँ कि देश में लगातार

तीस साल से जो सत्ता में चले आ रहे हैं उन से लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई है। फिर लोग यह आशा रख कर बैठे थे कि कभी न कभी हमारे जो सवाल हैं ये हल होंगे और कुछ काम होगा। लेकिन पिछले तीन चार सालों में और खास कर पिछले बीस महीनों में जो एक सिलसिला लोगों ने देखा और यह देखा कि उनके सवाल हल नहीं हो रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा लगा कर भी गरीबी दूर नहीं होती है और दूसरी तरफ देश में लोकतंत्र को ही खत्म करने का काम किया गया है, नागरिक आजादी खत्म करने में आई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है और अखबारों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है तब जा कर इस देश की जनता ने सोचा कि सब से पहला काम अगर कुछ होना चाहिये तो यही होना चाहिये कि लोकतंत्र का निर्माण हो, इसको प्रतिष्ठापित किया जाए और आज जो नई सरकार के नेता हैं, सभा गृह के जो नेता हैं और प्रधान मंत्री हैं श्री मोरारजी देसाई उनको मैं धन्यवाद दूंगी कि पिछले तीन चार दिनों में जिस प्रकार के कदमों को उठाया गया है वे प्रशंसनीय हैं। एक नया पहलू जरूर उन्होंने जनता के सामने रखा है और जो आकांक्षा सामान्य लोगों ने रखी थी सरकार से इसकी पूर्ति का कुछ मार्ग दिखाई पड़ रहा है।

मैं जानती हूँ कि सभी सवालों के बारे में पूरी तरह अपनी बात रखने के लिए सरकार के पास समय नहीं था इस लिये पूरी नीति रख नहीं पाये हैं। उन सवालों में गहराई से जा कर विचार करना होगा और उनका हल निकालना होगा। मैं चाहती थी कि उन सवालों के बारे में भी कुछ ठोस बात सामने आती लेकिन नहीं आई है। जो सवाल हैं उन सवालों में मैं समझती हूँ कि सब से पहला सवाल यह है कि जो देश के नौजवान हैं जिन्होंने देश में फिर से लोकतंत्र कायम करने के लिए काफी कुर्बानियां दी हैं, काफी योगदान दिया है, जेलों में गए हैं, दूसरी तरह की भीयतनाएं भोगी हैं और जिन की कोशिश आज

[श्रीमति जूना ल गोरे

भी/देश बनाने की है उनकी जो इच्छा है उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपके लिए यह जरूरी है कि उनके लिए आप अठारह साल की उम्र मतदान की कर दें ताकि उनको मतदान का हक मिल जाए। यह काम नई सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है।

दूसरा बड़ा सवाल बेरोजगारी का है। कुछ हद तक अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया है। इस सवाल को भी हल करना है। पिछले तीस सालों जिस प्रकार का नियोजन देश में हुआ है, प्लानिंग हुआ है उसकी वजह से यह सवाल गम्भीर होता चला गया है। इस सवाल को हमें हल करना है तो ऊपरी चीजें करके यह सवाल हल नहीं होगा। इसके लिए नियोजन का पूरा तरीका हम लोगों को बदलना पड़ेगा। फिर भी कम से कम आज जो देहातों में है, लोग बेरोजगारी देख रहे हैं और वहां से शहरों की तरफ भी लोग आते रहे हैं और इसकी वजह से शहरों का सवाल भी बहुत पेचीदा बन जाता है उनको शहरों की तरफ आने से रोकने के लिए मैं समझती हूँ कि रोजगार गारंटी स्कीम जिस प्रकार की महाराष्ट्र में लागू की गई है आपको लागू करनी होगी। वहां पर कुछ हद तक यह काम शुरू किया गया है। इस प्रकार की कोई योजना पूरे देश के लिए आप बताएं तो मैं समझती हूँ कि इससे जरूर कुछ हद तक काम बन पाएगा। एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम की कल्पना बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र में जब मैं वहां विरोधी दल में थी तो पूरे विरोधी दल ने इसके लिए अपना सहकार दिया था। लेकिन यह कहते हुए मुझे बहुत रफस होता है कि इस सहकार के बावजूद भी इसका जिस तरह से इम्प्लेमेंटेशन होना चाहिये था नहीं हुआ है, पूरे तरीके से इस अच्छे कानून को भी लागू करने का काम वहां की सरकार ने नहीं किया है और इस को लेकर आज हम नहीं कह सकते हैं कि

एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र में सफल हो गई। लेकिन मेरा विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार जब ऐसी योजना लायेगी पूरे देश के लिये तो उस के जरिये देहातों में बेरोजगारी को हल करने में कुछ हद तक कामयाब हो सकेगी। मेरी मांग है कि रिजर्व बैंक में एक रिवाल्विंग फंड सरकार बना दे और इस निधि को ग्राम पंचायत के हाथ में सुपुर्द कर के नीचे के स्तर से योजना की रूप रेखा बनाई जाये तभी जाकर देहातों की समस्याओं का हल हो सकेगा, खेती में सुधार हो सकेगा और साथ साथ बेरोजगारी भी दूर कर सकेंगे। जनता पार्टी सरकार जरूर इस बारे में सोचे और कुछ योजना जल्द से जल्द बनाये।

हम कहने हैं कि शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, शिक्षा का ढांचा कुछ बदल रहे हैं। लेकिन असल में जो वोकेशनल ट्रेनिंग का काम होना चाहिये था वह आज नहीं हो रहा है। चाहे अलग-अलग रपटों में कुछ भी दिया हो परन्तु वास्तव में सुधार नहीं किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि यह बहुत ही जरूरी बात नई सरकार के सामने आहवादन के रूप में है।

दूसरा सब से बड़ा सवाल कीमतों की वृद्धि का है। आज देश की जनता बहुत पीड़ित है कि जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं और इन पर रोक लगाने के लिये आज तक का जो कांग्रेस सरकार का अनुभव रहा है वह बहुत ही बुरा रहा। जब भी कीमतें बढ़ती रहीं तो उनको रोकने का काम सरकार ने नहीं किया। मैं तो यहां तक कह सकती हूँ कि जगह जगह पर हमने यह देखा है कि जब किसी चीज की कमी महसूस हुई तो इसका फायदा काला बाजार करने वाले उठाते रहे और उनको कांग्रेस सरकार की तरफ से मदद मिलती रही। इसलिये जरूरी वस्तुओं की कीमतों के बारे में सरकार ऐसे कदम उठाये कि जहां कमी महसूस होती है वहां अपने बफर स्टॉक से

आवश्यक वस्तुयें तुरन्त पहुंचा कर बाजार में कीमतों को न बढ़ने दे। इस की व्यवस्था इस सरकार को करना बहुत जरूरी है। मैं सरकार का ध्यान खींचन चाहूंगी कि गये कुछ दिनों में कई चीजों के दाम बढ़ते रहे हैं, चाय की पत्ती जैसी चीज जिस को हर आदमी इस्तेमाल करता है उसके दाम चुनाव के समय में पिछले एक महीने में 14 रु० से लेकर 25, 26 रु० प्रति किलोग्राम बढ़ गये। मेरी मांग है कि इस का खुलासा होना चाहिये कि चाय की इतनी कीमतें क्यों बढ़ीं? हमारे जैसे लोगों कि पास जो सूचना आती रहती है काफी लोग कहते हैं कि चुनाव में जिस प्रकार से चाय और सीमेंट प्रोद्यूसर्स से कांग्रेस पार्टी ने पैसा लिया उसकी वजह से ही कीमतें बढ़ी हैं। यह आम तौर पर लोग कहते हैं और इस की जांच होनी चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री से कितना पैसा लिया गया है। जरूर इस की मालूमात मिल सकती है। इसके बारे में जांच करके हमको देखना चाहिये। आज ऐसे ही चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसको लेकर सामान्य आदमी बहुत परेशान है। मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले चन्द दिनों में ही फिर सीमेंट की कमी हुई है और कीमतें बढ़ रही हैं। मेरा कहना यह है कि यह अर्थव्यवस्था के कृत्रिम रूप से बाजार में कमी कराने है और इसको लेकर कीमतें बढ़ाने की कोशिश होती है। अब नई सरकार को देखना चाहिये कि इस तरह की चालबाजी जो अब तक चलती आई है, इसके आगे नहीं चलेगी। इस हवा का एक बार पैदा होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से इन कीमतों की तरफ देखना बहुत जरूरी है।

13.00 hrs.

मैं एक दो दिन से अखबारों में पढ़ रही हूँ कि तेल की और दालों की कीमतें घट रही हैं। मुझे मालूम नहीं है, मैं इसका पता लागाऊंगी लेकिन मैं यह समझती हूँ कि यह सरकार जरूर इस मामले में कर सकती है और इसको करना चाहिये। इस सरकार को फैसला करना

चाहिये कि कीमतें कम कराने के इस काम को करना है, जनता की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण काम है।

यह कहा जाता था कि आपात स्थिति में जो फायदे हुए, उसमें सबसे बड़ा फायदा यह था कि आर्थिक स्थिति सुधर गई है, इन्फ्लेशन कम हो गया है, कीमतें कम हो गई हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आपात स्थिति के दौरान जब कि होलसेल इन्डेक्स नीचे आ गया था तब भी कंज्यूमर इन्डेक्स नीचे नहीं आया था। कंज्यूमर लोगों के लिये कीमतें बढ़ती रही हैं, कम नहीं हुई हैं। गये एक साल में तो, जब कि आपात स्थिति कायम थी, यह कीमतें बहुत नेजी से फिर बढ़ने लगीं और ये 9 फीसदी बढ़ गई। कई चीजों के बारे में तो कीमतें 33 फीसदी तक बढ़ गईं।

असल में आपात स्थिति के बारे में बताया जाता था कि इससे हमारी कुछ आर्थिक स्थिति सुधर गई है, यह बात सही नहीं है, यह बिल्कुल तय बात है। इस प्रकार से कृत्रिम रूप से यह काम नहीं किया जा सकेगा और इसीलिये मैं अर्ज करूंगी कि आम लोगों को इस काम को बहुत गहराई से देखकर इसका फैसला करना पड़ेगा और नई सरकार को इन कीमतों के बढ़ने पर रोक लगायी पड़ेगी।

मैं समझती हूँ कि जब कभी कंज्यूमर/प्राइस की हम बात करते हैं तो कहने में तो आता है, देहातों में इस प्रकार का प्रचार आज तक कांग्रेस वालों ने किया है कि यही लोग हैं जो कहते हैं कि किसान को कम कीमत मिले। तो यह बात सही नहीं है। नई सरकार ने बिलकुल ठीक रूप से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा है कि किसान को उसके उत्पादन की पूरी कीमत मिले, इसके लिये ठीक पग उठाने चाहियें। जैसा कि श्री जनेश्वर मिश्र जी ने कहा कि इस सदन में भी इसके बारे में चर्चा होगी, तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ

[श्रीमती मृणाल गोरे]

हो साथ जो बीच का मिडिल मैन कीमतें बढ़ाने का प्रोग्राम करता है, उसके लिये भी नई सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Would you like to continue after Lunch?

SHRIMATI MRINAL GORE: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned till 2 p.m.

13.04 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

STATEMENT RE. FIXATION OF INTERIM RATES OF WAGES FOR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST NEWSPAPER EMPLOYEES

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ravindra Varma to make a statement.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, a statutory Wage Board for non-journalist newspaper employees was constituted by the Central Government on the 11th June, 1975, under section 13C of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

A similar Wage Board for working journalists was also constituted under section 9 of the Act, on the 6th February, 1976. The Central Government, being of the opinion that it was necessary to fix interim rates of wages both in respect of non-journalist employees and working journalists, sought

the advice of the two wage boards in the matter. The advice of the Wage Board for non-journalists as well as that of the Wage Board for Working Journalists was made available to the Government in June and October, 1976, respectively. Both the Wage Boards were of the view that non-journalists and working journalists should be given relief from the 1st June, 1975. The Wage Boards also proposed further enhancement in the quantum of relief from 1st January, 1976. An immediate decision should have been taken in view of the urgency of providing relief to the employees. Unfortunately, the then Government took no decision in the matter and kept the question pending.

Government have now taken a decision to fix immediately the interim rates of wages under sections 13A and 13D of the Act on the basis of the advice tendered by the Wage Board for the Non-journalists and the Wage Board for Working Journalists. Government have also considered carefully and sympathetically the question of grant of relief from the 1st of June, 1975, as proposed by the two Wage Boards. While the Government can well understand the case for retrospective fixation of interim wage rates, they have to consider the matter within the framework of the law. Whereas subsection (3) of section 12 of the Act, enables final recommendations of Wage Board being brought into operation retrospectively, there is no such provision in the existing Section 13A relating to the fixation of interim wage rates. The law as it stands, therefore does not clearly empower the Government to fix interim wage rates retrospectively. Government, therefore, propose to take early action to examine in detail whether Section 13A of the Act needs to be changed to give clear power to Government to fix interim rates of wages with retrospective effect.

I am glad to announce that without delaying the matter further, Government have decided to take action to

fix the interim wage rates, according to the recommendations of the two Wage Boards, to come into immediate effect from the date of notification.

I am also glad to inform the House that as a result of the fixation of the interim wage rates there will be increase in the existing emoluments of non-journalist employees ranging from Rs. 23 to Rs. 85 p.m. depending upon the class of newspapers, weeklies, periodicals etc. to which they belong. In the case of working journalists the increase will similarly range from Rs. 85 p.m. to Rs. 131 p.m. Relief is also being given to part-time correspondents.

14.04 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT—
contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Mrinal Gore to continue her speech.

श्रीमती मृणाल गोरे (उत्तर बम्बई) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने यही बात रख रही थी कि आखिर इस देश की जनता दो बातों को समझा चुनाव के सिलसिले में जिस को ध्यान में रख कर नई सरकार को अपना स्थान प्राप्त करना है। मैं यह समझती हूँ कि एक बहुत बड़े सवाल के ऊपर इस देश को और इस सरकार को सोचना है कि पिछले तीस सालों में जिस प्रकार का कारोबार इस देश में चला उस के कारण जनता में एक प्रकार की मायूसी फैल रही थी कि जो हो रहा है इस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस को हम बदल नहीं सकते हैं और जिस प्रकार से परिस्थिति के शिकार हम बनते रहे हैं उस का कोई इलाज नहीं है, इस प्रकार की एक भावना देश में फैल गई थी। यह सब से बड़ी कमी पैदा हो रही थी और मैं यह समझती हूँ कि आज इस चुनाव ने देश की

पूरी जनता में एक प्रकार का आत्म विश्वास जगा दिया कि हम जो चाहते हैं, जो तय करते हैं वह कर पाएंगे। यह आत्म विश्वास उस ने पैदा कर दिया और इसी को ले कर मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस देश की जो बहुत गरीब जनता है, दलित समाज है उस में भी हम ने यह आत्म-विश्वास इस समय देखा। साथ साथ महिलाओं में भी मैंने इस चुनाव के सिलसिले में यह देखा कि एक प्रकार की नई जागृती हो गई है कि देश की जो इस समय स्थिति है उस को समझ कर हम भी उस में कुछ अपना योगदान दे दें।

मेरे ख्याल से हमारी आबादी का जो आधा हिस्सा है वह हमारी बहनें और महिलायें हैं। देश की प्रगति के लिए उनका एकटव पार्टिसिपेशन लेना बहुत ही आवश्यक है। इस दृष्टि से मैं कहूँगी कि एक तरफ आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सामाजिक प्रक्रिया में जोड़ने का काम करेंगे और दूसरी तरफ जो उनकी समस्याएँ हैं उनको ध्यान में रखकर जिस प्रकार से पार्टटाइम एम्प्लाय-मेंट देने की बात है उसकी योजनाएँ बनायेंगे। यह काम बहुत ही आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं मानती हूँ कि अगर सरकार को यह काम करना है तो उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि जबतक हम इस देश की महिलाओं का स्थान आगे नहीं बढ़ाएंगे, सामाजिक और राजकीय स्तर पर, तबतक इस देश की प्रगति नहीं हो पायेगी। गये ग्यारह सालों में इस देश में एक महिला प्रधान मंत्री रहीं लेकिन सामान्य महिला का स्थान आगे बढ़ाने और सामाजिक प्रक्रिया में उनको शामिल करने के सम्बन्ध में इस देश में कुछ काम नहीं हुआ ऐसा मैं मानती हूँ। एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति का इस देश में निर्माण किया गया जिससे सारी दुनियाँ में हमारा देश कलंकित हो गया। इस प्रकार के कार्य पिछले 19-20 महीने में इस देश में किये गये। अब मैं कहूँगी कि इस देश में महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है और इस काम को हमें

[श्रीमती मृगल गारे]

करना है। जब तक इस देश की महिलायें पूरी तौर से देश की प्रगति में अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इस दृष्टि से यह कार्य बहुत जरूरी है। इस चुनाव में महिलाओं ने अपनी यह इच्छा भी व्यक्त की है कि इस देश के सामने जो समस्याएँ हैं उनको वे समझ लेना चाहती हैं और उनको दूर करने में सक्रिय भाग लेकर अपना पूरा सहयोग देना चाहती हैं। हमने महिलाओं की यह इच्छा इस चुनाव में देखी है। हम चाहेंगी कि सरकार इस काम को करे। सरकार को चाहिए कि इस काम में महिलाओं को भी शामिल करे। मैं समझती हूँ इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व घट गया है जिसके लिये मेरे मन में बड़ा अफसोस है। इस कमी को अगर पूरा करना है तो यह आवश्यक होगा कि हर पार्टी की ओर से महिलाओं को ज्यादा जगह दी जायें। इस देश की महिलायें सामाजिक, आर्थिक और राज्य स्तर पर ज्यादा भाग ले सकें। इसको देखना हमारी जिम्मेदारी है।

SHRI K. GOPAL (Karur): According to the Prime Minister, they are good for nothing; that is what the Prime Minister says.

श्रीमती मृगल गारे : मैं यह कह रही हूँ कि महिलाओं का खास हिस्सा है, इस बात को जनता पार्टी जरूर देखेगी। महिलाओं का पूरा सहयोग लेने के लिये सरकार को काम करना चाहिये—यह मैं चाहती हूँ।

जहां तक कुटुम्ब नियोजन का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम बहुत बदनाम हुआ है। एक गैर सांविधानिक शक्ति का निर्माण करने के लिये किसी एक नाम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और उसको लेकर जिस तरह की ज्यादाती और अत्याचार जनता पर किये गये वह सभी को मालूम है।

फैमिली प्लानिंग का जो कार्य है वह बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है। महिलाओं के विकास के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिये इसका बहुत महत्व है लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर जिस प्रकार की ज्यादाती और अत्याचार किये गए चन्द महीनों में किये गये उससे आगे कई सालों के लिए इस काम में देश को पीछे ढकेल दिया है जिसका हमें बहुत अफसोस है।

मैं ऐसा समझती हूँ कि पहले जो सरकार थी, उस सरकार ने इस में इतना बड़ी गन्ती की है, लोगों पर इतने अत्याचार किये हैं, जिस को लेकर पूरे देश में फैमिली प्लानिंग का काम पीछे ढकेल दिया गया इस के लिये वह सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिस सरकार की प्राइम मिनिस्टर महिला हो, उस के कार्य-काल में सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में महिलाओं के विरोध में हवा फूले यह बड़े दुख की बात है। हमारी नई सरकार को इस ओर देखना चाहिये और सगरे स्तरों पर, नीचे से लेकर ऊपर तक, महिलाओं का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिये इस के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिये। (व्यवधान)...

मुझे मालूम है आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ ऐसे उदगार निकाले हैं, जिन के बारे में अखबार में चर्चा है। जो अखबारों में आया है, उन्होंने ऐसा कहा होगा ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं तो मानती हूँ कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिस प्रकार की कार्यवाही इस देश में की है, पिछले 19 महीनों में जो कुछ हुआ है, उस से देश अपमानित हुआ है—लेकिन एक महिला के काम को लेकर पूरे महिला समाज को बदनाम करना ठीक नहीं है, एक व्यक्ति ने जो कुछ किया है, उस के लिये केवल उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानना चाहिये, पूरे महिला समाज को उस के लिए जिम्मेदार नहीं मानना चाहिये। यह बहुत ही महत्व-

पूर्ण बात है—इस देश में आज तक महिलाओं को सही रूप में देश के कार्य में नहीं जोड़ा गया, न सामान्य स्तर पर और न दलित समाज में इस प्रकार का आत्म-विश्वास पैदा हुआ कि हम भी इस देश के लिये कुछ कर सकते हैं। इस तरह का आत्म-विश्वास जगाने का काम आज तक नहीं हुआ। हरिजनों पर भी अत्याचार बढ़ते गये। इस में सन्देह नहीं कि पिछले सालों में हमने कुछ कानून अवश्य बनाये, लेकिन फिर भी अत्याचार कम नहीं हो सके। मैं ऐसा समझती हूँ कि इस के लिये देश में एक प्रकार की भावना पैदा होनी चाहिये कि हमको भी इस देश में कुछ स्थान मिलेगा, इस देश की सामाजिक/प्रक्रिया में हम भी कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार की भावना जगाना बहुत जरूरी है। पिछली सरकार की 30 सालों की खामियां का यह नतीजा है कि ऐसी भावना फैली है—अब उस भावना को दूर करना बहुत जरूरी है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है—एक ऐसी भावना देश के अन्दर फैली हुई है कि जो भ्रष्ट हैं वे ही आगे बढ़ सकते हैं। जो भ्रष्टाचारी लोग थे, उन को ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई इस चीज को सामने रख कर—मैं ऐसा सुझाव देना चाहती हूँ इस के ऊपर अलग अलग जगहों पर जांच कमेटी बँठा कर जो भ्रष्टाचारी है, उन की पूरी जांच और अप्रतिष्ठा समाज में होनी चाहिये। इस प्रकार का काम नई सरकार को करना चाहिये, तभी यह भ्रष्टाचार समाज से खत्म हो सकेगा। आज देश की जानता ने जनता-पार्टी में अपना पूरा विश्वास दिखलाया है, इसलिये हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इस जांच के काम को तेजी के साथ आगे बढ़ायें ताकि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो सके।

हमारे विरोधी दल की बैंचों पर बैठे हुए सम्माननीय सदस्यों से, विशेषकर विरोधी दल के नेता श्री यशवन्तराव चव्हाण जी से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बारबार कह रहे हैं कि जो कुछ हो गया उस को भूल जाइये।

उस को भूल जाँये—आप का ऐसा कहना तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने सहन किया है, वे कैसे भूल सकते हैं। हमारी एक कामरेड-स्नेहलता रेड्डी—जो एक बहुत अच्छी कलाकार थीं उन की मृत्यु हो गई, उन के साथ सरकार ने जिस प्रकार का वर्ताव किया उस को न हम कभी/भूलने के लिये तैयार हैं और न इस देश की जनता कभी भूलेगी। मैं कंग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहना चाहती हूँ आप भी कृपा कर ऐसी गलतफहमी में न रहें, कि थोड़े दिन बाद जाता उस को भूल जायगी और आप फिर वापस आ कर यहां बैठेंगे इस प्रकार की गलत फहमी में मत रहिये। इन बातों को जब आप ने किया था, तो लोगों का मुह बन्द था और वे बोल नहीं पाए थे अब मुंह खुल गया है और लोगों का बोलना भी शुरू हो गया है। 19 महीने में और पिछले 30 साल में जो कुछ हुआ है, उस के बारे में लोगों का बोलना शुरू हुआ है। आप/इत गलत फहमी में न रहिये। जो कुछ हुआ है हम लोग भूलने वाले नहीं हैं और उस की याद हमेशा ताजा रहेगी। मैं तो यह कहूंगी कि आगे आने वाली जो भी सरकार राज्य चलाने वाली है, उस को हमेशा यह याद रखना चाहिये कि इस प्रकार की बातों को जनता ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिये जो कुछ आप ने किया है, उस को हम याद रखना चाहते हैं।

मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि एक व्यापक दृष्टि से और एक नई कल्पना को लेकर समाज में एक नया परिवर्तन लाने के लिये, जय प्रकाश नारायण जी की कल्पना के अनुसार जो एक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम चल रहा है, उस में रुकावट डालने की कोशिश न करिये। आप पहले बार बार विरोधी दल के लिये कांस्ट्रक्टिव अपोजीशन की बात करते रहे हैं और अब हम आशा करते हैं कि आप यहां पर कांस्ट्रक्टिव अपोजीशन का रोल अदा करेंगे और जनता पार्टी सरकार की नीतियों का विरोध केवल विरोध के लिए ही नहीं करेंगे।

इतना कह कर मैं समाप्त करती हूँ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री राज नारायण) : श्रीमन, मुझे अफसोस है कि श्री यशवन्तराव चव्हाण, नेता विरोधी दल, इस समय यहां पर नहीं हैं।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : उन्हें मालूम नहीं था कि आप बोलने जा रहे हैं।

श्री राज नारायण : उन्हें बुलवा लीजिये। मैं इतने धीरे धीरे बोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि वे यहां रहे क्योंकि उन के भाषण का मैं ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। श्री यशवन्तराव चव्हाण जी ने जो कुछ भी भाषण किया है, मैं समझता हूँ कि वह एक बाजारू भाषण था वह लोक सभा में लोक सभा के महत्व को देखते हुए उपयुक्त भाषण नहीं था। उन्होंने इमर्जेंसी लगाई और इमर्जेंसी आगे भी रह सकती थी यदि उन की सरकार रहती। अपने भाषण में उन्होंने उस को सही सिद्ध करने की कोशिश की है। मेरी मान्यता है कि इमर्जेंसी का लागू करना एक राष्ट्रीय कलंक का काम है। इस से बढ़ कर राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय गरिमा, राष्ट्रीय महिमा को गिराने का काम दूसरा नहीं हो सकता। इस आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर भारत को अपमानित करने का काम जो हुआ था, उस से बढ़ कर अपमानित काम और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझे कोई कारण नहीं मालूम होता कि सरकार इमर्जेंसी आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर लागू करे। इमर्जेंसी लागू करने का केवल यही एक कारण था।

श्री देवकान्त बरुआ के लिये मुझे अफसोस है कि उन्होने भी ऐसी बात कही। वे काशी विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट हैं, जिस के संस्थापक महामना मालवीय जी थे। वे उसी विश्वविद्यालय के हैं जहां के हम सब लोग हैं। वहां से उत्पन्न होने वाले श्री देवकान्त बरुआ वह कहे कि

India is Indira and Indira is India
इन्दिरा भारत है और भारत इन्दिरा है, इस से बढ़ कर अधिनायकवाद क्या होगा।

SHRI VASANT SATHI: Janata Party is JP and JP is Janata Party.

श्री राज नारायण : जे० पी० जनता पार्टी के नेता हैं। मैंने अपने मुखारबिन्द से ऐसे शब्द कभी नहीं निकाले। ऐसे शब्द निकल सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी के मुख से ही निकल सकते हैं। जनता पार्टी जानती है कि जनतंत्र क्या है। जनता पार्टी जानती है कि अधिनायकशाही क्या है। यह तो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का टकराव है। (व्यवधान) इस ढंग से बीच में खड़े होकर बोलना अनावश्यक है, बेमतलब है और इस तरह से बोलने से कांग्रेस की बदनामी होगी। नर्क कुंड के गंदे कीड़े ने कांग्रेस पार्टी के दिमाग को चाट कर चटनी तो पहले ही कर दिया है इसलिए इस तरह के शब्दों को वह जनता पार्टी के लिए लागू कर रही है।

जे० पी० का नाम लिया गया। क्या जे० पी० और श्रीमती इन्दिरा गांधी की तुलना हो सकती है जे० पी० और इंदिरा गांधी की तुलना नहीं हो सकती। कहां जे० पी० कहां इंदिरा गांधी। जे पी० वह इन्सान है जिसके अन्दर तूफान और आंधी है। जिसने इन चीजों को देश के अन्दर पैदा करके इंदिरा सरकार को उलट पुलट कर दिया। इतना करने पर भी आपको शरम नहीं आती कि जनता पार्टी और जे० पी० की बात करें। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ (व्यवधान)

.....

श्री बसन्त साठे: आप यह मत समझ लीजिए (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम राज नारायण जी की इज्जत करते हैं, सभी लोग इज्जत करते हैं। कृपया आप अपने मुखारबिन्द से गलत लफ्ज मत निकालिए। (व्यवधान) धन्य है प्रभु, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ आए हैं। अध्यक्ष

महोदय, राजनारायण जी का आपको स्वयं राज्य सभा का अनुभव है। उनके बारे में मुझे कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं है। अब वह मंत्री हैं। अभी आपने अपने मुखार-बिन्द से जो शब्द निकाले हैं, मेहरबानी करके ऐसे शब्द न निकालें। आपके लिए हमने कोई गलत लफज नहीं निकाले हैं, न निकालेंगे। आप हमें गाली दे दें और हम चुपचाप बैठ रहें। मेहरबानी करके ऐसा मत करिये।

श्री राज नारायण : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि यह हमारा आदर्श है कि माननीय सदस्य खड़े हुए और बैठ गये। हमने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप नहीं बोल सकते थे। चेन्नई में साहब भी आपको नियम के मुताबिक बोलने नहीं देते। यह हमारी जन-तंत्रीय परम्परा है। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे साफ शब्दों को कोई गाली समझ ले जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। अगर आप ऐसा समझेंगे तो इसका भी हमें इलाज करना पड़ेगा। जब मैं यह कहता हूँ कि "यह शर्म की बात है" तो यह गाली नहीं है। मेरी भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो शर्म की हो सकती है। यह गाली नहीं है।

श्री बसन्त साठे : आपने कहा कि आपको शर्म नहीं आती है।

श्री राज नारायण : अगर मैं यह भी कहूँ कि शर्म आनी चाहिए, या शर्म नहीं आती है तो यह भी गाली नहीं है।

अब मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जरा शान्त चित्त से मेरी बात को सुनें। मैं समझता हूँ कि एमरजेंसी को लागू करके इस देश को अपमानित किया गया है, पद-दलित किया गया है, हमारे गौरव, गरिमा, महिमा, संस्कृति को गिराया गया है और दुनिया में जो भारत की एक शान और मर्यादा

था कि चाहे भारत गरीब है। चाहे भारत के लोग अंधपेट खाते हैं, एक जून भोजन करते हैं लेकिन भारत में जनतंत्र है, बोलने की आजादी है, अखबारों की स्वतन्त्रता है, न्याय विभाग की स्वतंत्रता है, इस सब को कत्ल किया गया और कांग्रेस सरकार ने दुनिया में हमको बदनाम किया। हमारे पास अनेकों पत्र विदेशों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके आए हैं। इन में उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो एक शान थी, हम लोग जो सीना तान कर चलते थे कि हम गरीब हैं, लेकिन हम कहते थे कि हमें बोलने की आजादी है, विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है, चलने फिरने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है, अहिंसक ढंग से हम जा कुछ चाहे कर सकते हैं, इसकी आजादी है इन तमाम हमारी आजादियों को भूतपूर्व सरकार इतना मर्यादा एमरजेंसी को लागू करके समाप्त किया, स्थगित कर दिया, नागरिक स्वतन्त्रताओं को खत्म कर दिया, मौलिक अधिकारों का अपहरण कर लिया। अब इसको क्या कहा जाए? क्या इसकी तारीफ की जाए?

अठारह महीने तक एक ही नेता, एक ही पार्टी रही। तमाम रेडियो, टेलीविजन आदि पर एक यही बात सुनने को मिलती थी। कभी कभी तो मन में आता था कि रेडियो को पटक कर फेंक दें। सुनते सुनते कान पक गए थे, इंदिरा जी का बयान, बरुआ जी का बयान

एक माननीय सदस्य : संजय भी।

श्री राज नारायण : वह तो आपात्-कालीन स्थिति की उपलब्धि है।

इंदिरा जी को मैंने चिट्ठी लिखी। मैं चाहता हूँ कि उसको पढ़वा दिया जाए। मैंने लिखा था कि इंदिरा जी अन्तर्मुखी बनें आजकल वह बहिर्मुखी बन रही हैं। एक बात की हमें जरूर प्रसन्नता है। इंदिरा जी ने

[श्री राज नरायण]

भारतीय संस्कृति का भी नाम लेना शुरू कर दिया था। गांधी जी का नाम भी लेना शुरू कर दिया था, कहना शुरू कर दिया था कि मैं पश्चिमी जनतंत्र की पद्धति को बिल्कुल फालो नहीं करूंगी, हमारी जनतंत्रीय पद्धति अपनी है, हम भारतीय संस्कृति के अनुसार जनतंत्रीय पद्धति को चला रहे हैं। इस पर मुझे विचार आया कि मुझे भारतीय संस्कृति को फिर से पढ़ना चाहिए। उन्होंने हमको बाध्य कर दिया कि मैं फिर एक मर्तब वेद, उपनिषद, पुराण शास्त्र, महाभारत रामायण आदि पढ़ डालूं। पढ़ कर मैंने उनको पूरा पूरा लिख दिया कि मुझे अभिमान है कि मैं भारत में पैदा हुआ और आप भी मानती हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने दुनिया को जनतंत्र दिया है, यह भारत की ही दुनिया को समानता और और स्वतंत्रता की देन है। मैं उदाहरण देता हूँ। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। पांडव गए और पूछ कि दुर्योधन मरा या नहीं। भीम ने कहा कि हमने 99 भाइयों को मार दिया है लेकिन यह नहीं देखा कि दुर्योधन मरा है या नहीं। कुन्ती ने कहा कि पता लगाओ सहदेव पंडित कि मरा है या नहीं। सहदेव ने कहा कि नहीं मरा है। फिर पांचों भाई कृष्ण के साथ खोजने चले गए। एक बहेलिये ने कहा कि एक आदमी जा रहा था कोई बहुत बड़ा मुकुट धारी और इन लोगों ने समझा वही होगा। बे गए और जाकर देखते हैं कि सुधा सागर में पानी के नीचे मुकुट चमक रहा है। भीम ललकारता है, काहे नपुंसक हिजड़े तुम तमाम भाइयों को कत्ल करा करके यहां लक्ष्मी के पास आ कर के सुधा सागर में छिप गए हो। वह बहादुर था लेकिन पाजी था। निकल पड़ा। लक्ष्मी ने पांव पकड़ लिया। फिर भीम ने ललकारा। वह फिर निकला। फिर लक्ष्मी ने पांव पकड़ा। फिर उस समय रुक गया। बाद में भीम ने ललकारा

और वह निकल पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि भारत की राजनीति में, भारत की धर्म नीति में, भारत के सम ज शास्त्र में ह : भारतीय नागरिक को फिर चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, ब्राह्मण, बनिया कोई भी, ही इस तथ्य को अपने हृदय में रख लेना चाहिये।

धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा दुर्योधन तुम अकेले हो और हम पांच है इसलिये यह लड़ाई बेजोड़ है। तुम हमारे पांच सदस्यों में से कौन्हीं दो को चुन लो। तीन-तीन की बराबर की लड़ाई हो। लड़ाई बराबर की होनी चाहिये धर्मराज युधिष्ठिर के भुखारबिन्द से निकले हुए यह साधु शब्द है। इस से समानता की बात समझ लीजिये। अब दुर्योधन को देखिये, क्यों कि उस की बुद्धि कुटिल थी, वह कहता है कि महाराज अगर मैं अर्जुन और भीम इन दो को चुनूं तब आप क्या कहेंगे। उस ने कहा चुन लो। तुम ले लो अर्जुन और भीम को और तेरी और से वह खूबजम कर लड़ाई लड़ें, और वह लड़ेंगे। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जीत होगी अर्जुन और भीम की ताकत और बल पर। मैं सत्य पर हूँ, हक पर हूँ, इन्साफ पर हूँ, न्याय पर हूँ, इसलिये हमारी जीत होगी। हमारी जीत केवल अर्जुन और भीम के बल पर नहीं होगी। इसलिये मैं कहता हूँ कि जनता पार्टी सत्य पर है, हक पर है, इन्साफ और न्याय पर है। इस की जीत हुई और होगी, इस का कोई बाल बांका नहीं कर सकता।

नेता विरोधी दल कहते है कि लोहिया जी के विचार कैसे जनसंघ से मिलेंगे? लोहिया जी के जो चेले रहे हैं, समर्थक रहे है उनका कैसे जनसंघ से मेल होगा। भाई आप क्यों दुबले हो रहे हो, मैं आप को बता दूँ कि हमारी तरफ कहावत है भोजपुरी में कि अघजल गमरी छलकत जाय। जो गगरी आधी भरी होती है वह बहुत छलकती है।

Little knowledge is a dangerous thing.

तो डा० लोहिया को पढ़ो, उन को जरा समझने की क्षमता पैदा करो। 1962 में चीन के हमले के बाद से डा० लोहिया ने अनेक प्रयत्न किया है कि सभी विरोधी दल एक हो जायें। डा० लोहिया ने यह भी कहा है कि जनसंघ है, सोशलिस्ट पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है और जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां एक हों जायें और एक महाराष्ट्र जो कांग्रेस पार्टी है उस को सत्ता से हटाने के लिये यह पार्टियां एक हों जायें। यह बात उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार वही है। 1967 में जो डा० लोहिया ने लेख लिखा उस को पढ़ो। डा० लोहिया एक दूरदेशी थे, एक कुशल योग्य, कर्मठ नेता थे। और नेता मैं केवल तीन को ही मानता हूँ—एक सुभाष, एक गांधी और एक डा० लोहिया।

एक माननीय सदस्य : जयप्रकाश जी नहीं।

श्री राज नारायण : अभी वह जीवित है। डा० लोहिया की किताब को पढ़ेंगे तो उन्होंने लिख दिया है कि पांच वर्ष के बाद कांग्रेस टूटेगी। कांग्रेस के टूटने के बाद थोड़ा समय कुछ घपले का चलेगा। उस के बाद फिर समतल घरातल आयेगा और फिर जनता का राज्य कायम होगा। डा० लोहिया की भविष्यवाणी सोलह आने सही हो गई।

और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, श्री चव्हाण साहब या उन के भाई जो यहां पर हों वह इस बात को समझ लें कि कृष्ण का जन्म हुआ जेल में। यह भी हमने लिख दिया है सरकार को। कंस को पता नहीं चला कि हमारी हन के पेट से पैदा होने वाला कृष्ण हमारा नाश करेगा। जनता पार्टी का जन्म जेल में हो गया। इन्दिरा जी को पता नहीं चल पाया कि जनता पार्टी उनका नाश कर देगी।

कांग्रेस राज्य में यह हमारा 58वीं बार जेल जाना था। 30 साल की आजादी में

करीब 14, 15 बार जेल गये और अंग्रेजी राज्य में 4 बार 4 साल गये। अब यह न समझिये कि यह केवल एकाएक हो गया—हमने लात खाई, डंडे खाये, जूते खाये, हमें मारा गया, पीता गया, घसीटा गया और जुर्माना किया गया। जितने मित्त यहां बैठे हैं, सब जानत हैं। यह तमाम फासिस्ट पार्टों जो कांग्रेस में बस गई, उन शक्तियों का कुकर्म हम लोग भोग चुके हैं। इसलिये इन तमाम बातों में जाकर के हम नहीं पड़ना चाहते।

श्री बसंत साठे : मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपने क्या कहा? क्या यह कहा कि ये तमाम लोग खस्सी किये गये?

श्री राज नारायण : हमने कहा कि घसीटे गये, मारे गये, पीटे गये। इनको किसी ने बता दिया है कि बीच बीच में टोकिये जरूर।

फिर हमने इन्दिरा जी को लिखा कि इन्दिरा जी, आप रामायण को भी पढ़िये भारतीय संस्कृति देखिये। भारतीय संस्कृति में श्री राम चन्द्र जी एक दिन रात को थोड़े पर जाते हैं, 4, 6 आदमी एक जगह बैठे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारा राजा कितना अच्छा है—

दैहिक दैविक भौतिक तापा,
राम राज्य काहू नहिं व्यापा।

राम के राज्य में कोई किसी से बैर करता ही नहीं, क्योंकि वहां विषमता थी ही नहीं, मगर इतने पर भी एक ने कहा कि—साल भर तक सीता लंका में थी, राम ने उनको अपने पास रखकर अच्छा काम नहीं किया। यह राम ने अपने कान से सुना। तुलसी की रामायण में नहीं मिलेगा, लेकिन 10, 5 और में जरूर यह मिल जायेगा।

[श्री राज नारायण]

इसके लिये राम रात भर जागते रहे और सोचते रहे। मैं उनका तर्क आपको बताता हूँ। उन्होंने यह तर्क किया कि मैं राजा हूँ, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का रंजन करना। जिस राजा के कर्म से प्रजा का रंजन न हो, वह राजा नहीं है। फिर उन्होंने यह कहा कि मैं जानता हूँ कि सीता निर्दोष है, प्राणप्यारी है, फिर भी अगर प्रजा के मन में हमारे प्रति शंका है तो मैं सीता को त्याग कर दूंगा, मगर प्रजा का साथ दूंगा और प्रजा के मन में अपने प्रति तनिक भी शंका नहीं रहने दूंगा।

मैं पूछना चाहता हूँ आज उस दल से जिसका नाम है, कांग्रेस और जो हम से पहले सत्ताधारी दल था कि एक तरफ हाई कोर्ट कहता है कि श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी ने अपना जो बयान दिया है वह अन-टू है, असत्य है, इन्दिरा नेहरू गांधी जो बोलती हैं, वह झूठ है।

SHRI B. P. KADAM (Canara): Sir, may I rise on a point of order?

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order?

SHRI B. P. KADAM: Under the Rules of Procedure, the hon. Minister's defence should have been for the Government's policy here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order?

SHRI B. P. KADAM: My point of order is that the hon. Minister is here defending something else.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. Let the hon. Minister continue.

श्री राज नारायण : एक हाई कोर्ट भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बारे में लिखता है कि उन्होंने अपने चुनाव में सरकारी सवारियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने पुलिस सुपरिन्टेंडेंट,

हाइडल इंजीनियरों, सरकारी कर्मचारियों और अपने सचिवालय के यशपाल कपूर से काम लिया, इसलिए उन के चुनाव को रद्द किया जाता है और उनको छः साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि इतना होने के बाद भी इस मुल्क की साठ करोड़ जनता ऐसे व्यक्ति को वोट दे सकती है, या उस पार्टी को वोट दे सकती है, जिसका प्रधान इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा असत्य साबित हो चुका है? इसलिए जनता ने उस पर ठोकर मारी। सारे उत्तर भारत में, सारे हिन्दी-स्पीकिंग एरिया में, उसका सफाया हो गया। इस पर खोज होगी।

इसीलिए 25 तारीख को इमर्जेंसी लगी। 23 तारीख को यहां मीटिंग थी, लेकिन उस दिन जो जहाज पटना से आ रहा था, उसको पटना से आने नहीं दिया गया। श्री जयप्रकाश नारायण ने टेलीफोन किया कि जहाज न आने की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, क्या 25 तारीख को मीटिंग हो सकती है। हमने कहा कि आप आ जाइये, मीटिंग हो जायेगी। आठ, दस लाख लोगों की मीटिंग हुई। श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रस्ताव रख और उस प्रस्ताव को पारित कर के जनता ने सर्वसम्मति से इन्दिराजी से त्यागपत्र मांगा। इस प्रकार इन्दिराजी की गद्दी पर खतरा आ गया। दिल्ली, बनारस, पटना से, जहां भी मैं जाता था, पब्लिक इन्दिराजी से इस्तीफा मांगती थी। सारे देश में हवां बह गई कि इन्दिराजी इस्तीफा दें। इस्तीफा न देने का एकमात्र उपाय इन्दिराजी ने यह सोचा कि इमर्जेंसी लगा कर सब नेताओं को जेल में ठूस दो।

मुझे मालूम है कि इन्दिराजी के पास विदेशों के कितने बड़े बड़े नेताओं के पत्र आये कि क्या भारत की आजादी का यही गुण और यही स्वभाव है कि श्री जयप्रकाश नारायण जैसे नेता को, जिसने आजादी के लिए अपने

जीवन को खपाया, और उस के साथियों को, जेल में रखा जाए। इसके औचित्य को अभी भी श्री चव्हाण सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण के गुर्दे में पहले कोई शिकायत नहीं थी। चंडीगढ़ में उनको जिस तरह से रखा गया था, उसी का यह नतीजा था। तिहाड़ जेल से मैंने चिट्ठी लिखी कि श्री जयप्रकाश नारायण का मुंह और पांच सूज गए हैं, या तो हम लोगों में से किसी को वहां भेजा जाए, ताकि पता लगे कि उनकी तबीयत कैसी है, या किसी बड़े डाक्टर का सर्तिफिकेट दिखाया जाए। इस संबंध में मैंने बी० डी० टंडन का नाम लिया।

इसके दूसरे दिन मेरा ट्रांस्फर कर दिया गया। लिख दिया गया कि राज नारायण का तिहाड़ जेल में रहना खतरे से खाली नहीं है, हरियाणा सरकार ने उनको अपने यहां रखना कुबूल कर लिया है, इसलिये उनको हिसार जेल में भेज दिया गया है।

राम ने किसी के कहने पर प्रजा का रंजन करने के लिए सीता का त्याग किया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपनी गद्दी को बचाने के लिए इन्दिरा जी ने हम को जेल में भेज दिया। अगर राम चाहते, तो वह पांच सात आदमियों को कत्ल करवा सकते थे, या उनको जेल में भेज सकते थे। लेकिन राम ने वह रास्ता अख्तियार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं सीता का त्याग करूंगा, लेकिन प्रजा का रंजन करूंगा।

कुछ नेता सोचते थे कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो देश में तूफान मच जायगा। हमारे साथी जानते हैं इस बात को। सन् 42 के आंदोलन में लार्ड एमरी ने 19 प्वाइंट प्रोग्राम निकाला था। उससे लोगों ने पूछा कि गांधी को क्यों गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि यह पुल तोड़ना चाहता था, जेल का फाटक

तोड़ना चाहता था, रेल की पटरी उखाड़ना चाहता था। हम लोगों ने कहा कि चलो जब गांधी यही करना चाहते थे तो हम लोग कर ही डालेंगे। तो एकदम से तमाम साम्राज्यवाद की सारी टांगों को हमने चूर चूर कर दिया। सन् 42 में रेलें उखाड़ी, जेल के फाटक तोड़े, पटरियां तोड़ी। श्री राधाकृष्णन् जी जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति थे, उस समय हम लोगों के गुरु थे। हमने हाथ जोड़ लिया कि गुरु जी, अब गीता का नेकचर मत करिए, कुरुक्षेत्र का मैदान आ गया है। 9 अगस्त, सन् 42, इतवार का दिन था, देख लीजिएगा। तो जो लोग यह सब काम कर चुके हैं उन्हीं लोगों के लोग बाहर थे। क्या कहीं एक खम्भा गिरा? कहीं एक बल्ब फूटा, कहीं एक पत्थर का टुकड़ा चला? क्यों नहीं चला? क्या इन्दिरा जी का डर था या यशवन्त राव चव्हाण का डर था? नहीं, यह शिक्षा थी जय प्रकाश जी की, यह शिक्षा थी मोरारजी भाई की, यह शिक्षा थी हम लोगों की, यह शिक्षा थी चौधरी चरण सिंह की कि अगर तनिक भी हिंसा की कार्यवाही होगी तो हम सत्याग्रह स्थगित कर देंगे। इसलिए हमने सरकार की सारी ज्यादतियां बर्दाश्त की मगर तनिक भी हमारी ओर से हिंसात्मक कार्यवाही नहीं हुई। सरकार की ओर से उत्तेजना दी गई। मगर हमने हिंसात्मक कार्यवाही नहीं की। फिर भी अगर हमारे लिए चव्हाण साहब ऐसी कुछ बात कहें तो हमको बड़ा दुख होता है। हमारी तरफ भोजपुरी में एक कहावत है कि—अन क जन्मल लड़िका पउली ाप कहावत बाटी—यानी दूसरे का पैदा किया हुआ लड़का पाकर बाप कहने में बड़ा मजा मिल रहा है। यशवन्त राव चव्हाण ने भारत की आजादी प्राप्त करने में जितनी कमाई की, जितनी लड़ाई की, जितना त्याग किया उससे कम हम ने नहीं किया। किया होगा ज्यादा, लेकिन हम ज्यादा नहीं कहते। हम शिष्ट भाषा में कहते हैं कि उससे कम नहीं किया। फिर भी आप जय प्रकाश जी और इन्दिरा जी की तुलना करते हैं? कोई जेल का सर्तिफिकेट

[श्री राज नारायण]

है कि इन्दिरा जी कितने दिन जेल में रहीं ? हमको जेल का सर्टिफिकेट दिखाया जाय कि इन्दिरा जी सन् 42 के आंदोलन में कितने समय तक जेल में रहीं ? जब उनको प्रमाण पत्र दिया गया है तो क्या बयान हमें जेल में पढ़ने को मिला कि घर-सचिव उत्तर प्रदेश ने सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया, लाई एमरी को चिट्ठी लिखी कि इन्दिरा जी को 6 महीने का वारंट जारी किया गया है । लिखी होगी चिट्ठी लेकिन 6 महीने का वारंट जारी करने का यह मतलब नहीं कि वह 6 महीने जेल में थीं । इसका यह मतलब नहीं कि वह गिरफ्तार होकर 6 महीने तक जेल में थीं । हम लोगों से मांगा जाता है सर्टिफिकेट । जो सर्टिफिकेट हमें और हमारे भाई को मिला हुआ है उसमें किस तारीख को जेल गए और किस तारीख को छूटे यह सब लिखा हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें भी लिखा है है कि वह दादा जी की गोद में गईं ।

श्री राज नारायण : यही लिखा है न कि वह दादा जी की गोद में गईं ? पहले यह था कि जो कम से कम 6 महीने जेल काटा हो...

एक माननीय सदस्य : अब भी है ।

श्री राज नारायण : अगर अब भी है वही तो देखा जाना चाहिए कि क्या सही में इन्दिरा जी 6 महीने जेल में थीं या नहीं । कुछ नए सदस्य यहां आते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब इन्दिरा जी के मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्री और प्रधान मंत्री विदेशों में मौजूद और मस्ती की जिन्दगी व्यतीत कर रही थीं तब जय प्रकाश जी हजारीबाग जेल की चहारदिवारी फाट कर बाहर आए थे और आन्ति की बुझती हुई चिंगारी में अग्नि प्रज्वलित की थी । फिर भी जय प्रकाश जी को इन्दिरा जी की तुलना में लाते हैं ? एक प्रतीक है योग का, एक प्रतीक है भोग का । योग और भोग को एक में मत जोड़ो ।

आप गांधी जी को सुनिये । यह उनकी आत्मकथा है । तारीख है 10 फरवरी, 1943 । गांधी जी कहते हैं :

“मेरी तो मान्यता है कि गुप्त नीति की जड़ में ही हिंसा है इसलिए छिपकर बुलेटिन निकालना भी हिंसा है । मेरी मांग है कि कानून में अहिंसात्मक विरोध को स्थान होना चाहिए ।”

गांधी जी कहते हैं कि मेरी मांग है कि कानून में अहिंसात्मक विरोध को स्थान होना चाहिए । इसलिए क्या इन्दिरा सरकार को व्यवस्थित हिंसा का नाम नहीं दिया जा सकता ? मजे में दिया जा सकता है । फिर भी क्या चव्हाण साहब हमको पढ़ायेंगे बूढ़ सुग्गा राम राम ? क्या मजाक है ?

अब मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ मित्रों के जो बयानात हुए हैं उनके बारे में कुछ कहूं । फेमिली प्लानिंग के बारे में मैं ने पहले ही कह दिया फेमिली प्लानिंग बदनाम हो गई है । इस नाम को हटाना चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकार विचार भी कर रही है और उसका कोई अच्छा सा नाम ढूंढा जा रहा है ।

श्री बसन्त साठे : किस को हटायेंगे, फेमिली को या प्लानिंग को ?

श्री राज नारायण : फेमिली को तो हटा-येगी कांग्रेस, हटाने की कोशिश भी की लेकिन फेमिली ने उसको ही हटा दिया ।

मैं सीधे सीधे बोल दूं कि परिवार सुनियोजित हो यह मैं चाहता हूं । मैं इसके पक्ष में हूं और मेरा दल इसके पक्ष में है लेकिन परिवार का सुनियोजन और जबर्दस्ती नसबन्दी, इनसान को हैवान बनाना—यह दोनों परस्पर विरोधी चीजे हैं । दोनों चीजें एक नहीं हैं । इन्दिरा जी की सरकार ने फेमिली प्लानिंग में, परिवार नियोजन में जबर्दस्ती नसबन्दी की है । इन्दिरा सरकार की ओर से डा० कर्णसिंह जो

तर्क देते हैं वह असत्य है। हम हिसार जेल में थे हमने देखा एक एक रात में सौ सौ आदमी गिर-फ्तार होकर आये। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती थी, जो सवारियां उतरती थीं उनको जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाते थे और एकदम नसबन्दी करके फेंक देते थे। यह हालत थी। शादी हुई नहीं लेकिन उसकी नसबन्दी हो गई। बच्चा एक नहीं लेकिन उसकी नसबन्दी हो गई। 80-90 वर्ष के बूढ़ों की नसबन्दी हो गई। इसीलिए हम फेमिली प्लानिंग की बात को हटाना चाहते हैं।

आप जनतन्त्र की बात कहते हैं। यह फेडरल स्टेट है और राज्य सरकारों के भी कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं। आपात कालीन स्थिति की उपलब्धि संजय गांधी हैं। संजय गांधी बन गए तहसीलदार और हर राज्य के मुख्य मंत्री बना दिये चपरासी। वे चपरासी की तरह तहसीलदार के पीछे धूमें। दक्षिण भारत में कांग्रेस को कहीं कहीं थोड़ी सीटें मिल गई (व्यवधान), संजय के दौरे वहां नहीं हुए। अगर संजय वहां गया होता तो उसका भी मजा आपको मिल जाता।

15.00 hrs.

मजदूरों के सम्बन्ध में यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं—में इतना ही कहना चाहता हूं हमारे घोषणा पत्र में मजदूरों के सम्बन्ध में जो वायदे किये गये हैं, हमारी सरकार उन वायदों को पूरा करने के लिये सतत् प्रयत्नशील है। हमारे श्रम मंत्री रविन्द्र भाई का बयान अभी आप ने सुना होगा। ये नये नहीं हैं, स्टूडेंट फंडेशन में हमारे साथी थे और उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इन को अच्छी तरह जानते हैं। मजदूरों से किये गये वायदों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है :—

1. एमर्जेन्सी के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों के पुराने ढांचे को तोड़ कर जो नया मजदूर विरोधी और अप्रजातंत्रिक ढांचा पहली सरकार द्वारा लादा गया है, उसे समूल समाप्त करने का प्रयत्न हमारी ओर से करने की व्यवस्था हो

रही है। इसके अन्तर्गत जो एंपक्स बाडीज और विभिन्न उद्योगों में बाईं पार्टाइट कमेटिज पिछली सरकार द्वारा बनाई गई है उन्हें तुरन्त समाप्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि वे सभी नकली प्रतिनिधियों से भरी पड़ी हैं।

2. बिना देर किये सही मजदूर प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाना चाहिये कि अब किस प्रकार औद्योगिक सम्बन्धों को नियमित किया जाय, जिस से सामाजिक न्याय सब को उपलब्ध हो सके।

3. मजदूरों ने जनता पार्टी को जिस जोश से अपना पूरा समर्थन दिया है और जिस प्रकार आज मजदूर सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने को उत्सुक है, उस को देखते हुए इस अवसर का उपयोग औद्योगिक शान्ति को स्थायी बनाने के लिये करना चाहिये और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके ऐसे राष्ट्रीय समझौते का प्रयत्न करना चाहिए जिस से मजदूरों को न्याय और देश को औद्योगिक शान्ति मिल सके। यह विश्वास है कि जनता सरकार को मदद करने के लिये मजदूर वर्ग हर तरह से तैयार है और इस के लिये जिस त्याग की आवश्यकता है उस में अपना न्यायोचित भाग देने से पीछे नहीं हटेगा।

4. सरकार का यह प्रयत्न है कि औद्योगिक विकास, औद्योगिक सम्बन्ध, श्रमिक एकता, वेतन मूल्य सामंजस्य, आदि पर मजदूरों के सहयोग से ही राष्ट्रीय नीति का निर्माण हो और इन सब कामों में अब किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिये—यह हमारी सरकार नीति है।

में एक बात कहना चाहता हूं—मुझे अफसोस है कि अभी तक श्री यशवन्त राव चव्हाण यहां नहीं आये हैं। हम चाहते थे कि वे मेरी कुछ बातों का जवाब देते। वह मेरी इस बात को जानते हैं कि जो मुख्य प्रवक्ता

[श्री राजा राधाधन]

मेरे सामने होता है तो उस की शकल को देखते ही मुझे जोश आ जाता है और फिर मेरी जिहवा पर सरस्वती आ जाती है, अपने आप आ जाती है। इसी लिये चव्हाण साहब यहां नहीं आये। मैं पूछना चाहता हूँ—क्या इन्दिरा सरकार जनतन्त्र का अर्थ सया अलिफ बे पे या ए बा गी जानती थी? कतई नहीं जानती थी। जनतन्त्र केवल एक शब्द है, समाजवाद केवल एक शब्द है और जनतन्त्र समाजवाद का आचरण है, व्यवहार है, कर्म है। तो इन्दिरा जी ने बढ़ कर इस का दुश्मन कोई नहीं था—इस बात को जनता मुक्त कंठ से कह रही है। क्या आज मैं इस अवसर पर इस बात को कह सकता हूँ कि किस प्रकार से कमलापति त्रिपाठी को सरकार को गिराया गया, किस प्रकार से वहां पर एक तारतम्य पी० ए० सी और पुलिम विद्रोह से जोड़ा गया। वह पी० ए० सी० का विद्रोह नहीं था, वह सरकार की ओर से एक साजिश थी—कमलापति को हटाने की। कमलापति हटे, फिर हमारे भाई को वहां भेजा गया, उस के बाद हमारे भाई को हटा कर नारयण दत्त तिवारी आय और फिर उन की दृष्टियत एक चपरासी की बना दी गई। आप जानते हैं संजय गांधी तहसीलदार हो गये और वह चपरासी बन गये—यह जनतन्त्र है। हमारे सामने वाले मित्रों ने कुछ थोड़ा समाजवाद जरूर पढ़ा होगा—वतलाइयं, क्या यही समाजवाद है? हमारे लिये जनतन्त्र और सोशलिज्म दोनों पर्यायवाची शब्द है। बिना जनतन्त्र के समाजवाद नहीं और बिना समाजवाद के जनतन्त्र नहीं। उपनिषद् में कहा है—

समम् अजान्ति जनाः अस्मिन् समाजः

जहां जन-जन में समता का व्यवहार हो, वह समाज है।

समतया आजः प्रकाशः यस्यः

समता के द्वारा प्रकाशित हो, वह समाज है। जहां विषमता है वह समाज नहीं है। क्या भूतपूर्व सत्ताधारी दल बता सकता है कि तीस साल के शासन में समता की ओर इतने के लिये कोई प्रगति हुई है।

आप यह देखिये कि आज देश को जनता के एक छोटे से वर्ग के पास समूची राष्ट्रीय आय का 14 प्रतिशत है और इतने पैसे पर देश की 7 प्रतिशत जनता जीवन निर्वाह करती है। यह है 30 वर्ष की योजना का नतीजा भूतपूर्व सरकार का, सर्वे आफ इन्डिया की रपट के मुताबिक। यह सब मेरा जेल का अध्ययन है। 47 हजार बन्धुआ मजदूर इमर्जेन्सी में मुक्त किये, बड़ा ढंडोरा पीटा गया दुनिया में बड़ा ढंडोरा पीटा गया किन्तु जून 12, 1976 की "मैनस्ट्रीम" पत्रिका में यह निकला है कि बांदा जिला के 60 प्रतिशत बन्धुआ मजदूर अपने पुराने मालिकों के यहां लौट गये। क्यों लौट गये? भूतपूर्व सरकार इसका जवाब दे। इसलिए मेरा कहना यह है कि केवल प्रोपेगेन्डा के लिए ही यह प्रचार है। जिस तरह का दुरुपयोग, नाजायज इस्तेमाल रेडियो और टेलीवीजन का हुआ, इस तरह से कोई जनतंत्री सरकार कर नहीं सकती।

पांचवीं योजना की लागत व्यय में प्राइवेट सेक्टर के शेयर को देखिये। उसमें निर्धारित पूंजी 161 अरब रुपये से बढ़ा कर 270 अरब रुपये कर दी गई। यह प्राइवेट पूंजी में 68.7 प्रतिशत की वृद्धि क्यों की गई? प्राइवेट सेक्टर में यह वृद्धि क्यों की गई? क्या यह समाजवाद है, जनतंत्र है? यह चौहानवाद है, इन्दिरावाद है। क्या बेमतलब की बात करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में यह वृद्धि क्या इसलिए की गई कि चुनाव में पैसा मिल जाए। कांग्रेस सरकार अब तक क्या करती रही

है ? यह करोड़पतियों से नोट लेती रही और उस से खरीदती रही है गरीबों के वोट और फिर गरीबों के वोटों से करोड़पतियों के नोटों की हिफाजत करती रही है। अब की गरीब ने कहा कि ठीक है करोड़पतियों से लो नोट, मगर वोट तुम को नहीं मिलेगा। उस नोट की हिफाजत के लिए मैं क्या बताऊँ, आप जानते ही हैं और इस को कहने की जरूरत नहीं मगर कुछ जानना है तो रायबरेली में जा कर पता लगाए कि वहाँ पर चुनाव से तीन दिन पहले क्या हुआ। हमारे घर मंत्री या सरकार चाहे तो इस पर जांच बैठा ले कि वहाँ पर सरकारी स्तर पर क्या क्या जुल्म हुए हैं और कितना पैसा लोगों को बांटा गया है वोट लेने के लिए। किस तरह से हमारे एजेन्टों को पैसा दे कर तोड़ने की कोशिश की गई और किस तरह से अफसरों को मिलाने की कोशिश की गई ? काउन्टिंग के दिन धावन साहब को वहाँ पर फोन जाता है, दो दो बार फोन गया लेकिन जब मैं यहाँ पर पहली बार बोल रहा हूँ तो वहाँ के जिलाधीश को इस बात के लिए म्बाराकबाद दिये बिना नहीं रह सकता कि जिलाधीश से जब एम० पी० ने कहा कि दिल्ली से ट्रंक काल आया है, तो उस ने कहा :

"Now I am sitting in the court. After delivering the judgment, I will come."

उसने कहा कि मैं कोर्ट में बैठा हुआ हूँ। फिर एप्लीकेशन दिया गया कि रिपोल हो। रिपोल होने में कितने घंटे लगते हैं। हमारे एक्स एडवोकेट जनरल कक्कर साहब वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोई रिपोल नहीं हो सकता। इस पर बहस हुई। कलेक्टर ने सब सुना कि पांचों अरेम्बली क्षेत्रों की काउन्टिंग हो चुकी है। साढ़े सात लाख की वह कंस्टीट्यून्सी है। कलेक्टर ने कहा कि रिपोल नहीं हो सकता। फिर उधर से कहा गया कि हम और

एप्लीकेशन दे रहे हैं कि रिकार्डिंग हो। इस पर रिटर्निंग अफसर ने कहा कि काउन्टिंग के समय आपने किसी टेबल पर एतराज नहीं किया और अब कर रहे हैं। यह बात भी उनकी नहीं मानी गई। इस बात का अखबारों में प्रचार किया गया कि राज नारायण के एजेंटों ने जबर्दस्ती हमारे वोटों को पोलिंग स्टेशंस पर नहीं जाने दिया। इतना सब कुछ होने पर भी और एक घंटा खर्च करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कलेक्टर ने फँसला दे दिया कि कोई रिपोलिंग और रिकार्डिंग नहीं होगी। यह है डेमोक्रेसी। इसके बाद तीन बजे रेडियो पर अनाऊंस हुआ और चार बजे हटी एमर्जेसी। चार बजे के रेडियो में बताया गया कि रायबरेली की जनता ने इंदिरा जी को करीब 56 हजार वोटों से हरा दिया। इस सब के बावजूद देश की भयादा, इज्जत, महिमा, शान-शौकत, गरिमा, को बचाया गया। फिर भी वे कहते हैं कि जनता पार्टी कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा है। मित्र, जनता पार्टी एक है। इसका नाम एक है। इसका झंडा एक है, चुनाव-तिलक एक है। इसका घोषणापत्र एक है। इसको नीति वक्तव्य एक है। फिर कैसे कहते हो कि जनता पार्टी खिचड़ी है ? क्या यह सब जनता को भ्रमित करने के लिए कहते हो ?

मैं आपको बताऊँ कि कितने राजे-महाराजों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिये और सब हम लोगों से हारे। राजा साहब माण्डा हारे। हमारे रूपनारायण जी यादव से हारे राजा दिनेश सिंह जी। "जाको पिया मानी वही सुहागिन नाम"। ये देखिए हमारे यमुना प्रसाद जी शास्त्री महाराजा रीवां को ध्वस्त करके आए हैं। महाराज कुमार बचनसिंह, महारानी बलरामपुर, राजा मनकपुर, नवाब रामपुर, राजा साहब पटियाला कितने नाम गिनाऊँ ? इनको कितने टिकट दिया था ? अभी और चाहिए तो सुनो राजा चरणसिंह महाराजः

[श्री राज नारायण]

बड़ौदा, महाराजा त्रिपुरा, कोटा। क्या ये सब सोशलिस्ट हो गए हैं? इस पर भी यशवंतराव जी कहें कि जनता पार्टी तो खिचड़ी है। क्या राजा महाराजाओं के साथ कांग्रेस पार्टी की खिचड़ी एक गयी है जो खाने में उन्हें बहुत पसन्द है? क्या इसीलिए उन्हें खिचड़ी का नाम बहुत याद आता है? जनता पार्टी खिचड़ी नहीं है। जनता पार्टी एक है और एक रहेगी। इस पार्टी का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। यह जनता की पार्टी है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस तरह से कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था उसी तरह से जनता पार्टी ने भी जेल में जन्म लिया है। मालूम है कि इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चक्र के बीच में खड़ा हुआ हलधर। चक्र कृष्ण हैं और हलधर बलराम। कृष्ण और बलराम दोनों जनता पार्टी की सहायता के लिए खड़े हैं। हमारे चरणसह भी बलराम हैं। कृष्ण भी कहीं से आएगा। कृष्ण छिपा रहता है। जिसको कृष्ण को मारना होता है उस पर चक्र को टेंक देता है। अगर कृष्ण से चक्र को चलवाना होगा तो बलराम इशारा कर देंगे। ऐसी है जनता पार्टी। यह आपों से लड़ेगी और प्रगति करेगी।

बहुत कहा गया कि हमने निर्यात बढ़ाया। इतने प्रतिशत रुपये का निर्यात बढ़ाया। इसके बारे में मैं बजट के आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा। बजट पर जिसको बोलना होगा, वह जवाब देंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आप आजील का निर्यात देख लीजिए और छोटे-छोटे मुल्कों का निर्यात देख लीजिए। मुकाबले में भारत का निर्यात पहले से कम हुआ है।

इसलिए मैं कह रहा था कि फैमिली प्लानिंग तो होना चाहिये लेकिन जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं होनी चाहिये। शुद्ध रूप से छोटा परिवार लोग रखें यह जुदा बात है। हमने इंदिरा जी को लिखा कि राम राज्य में परिवार सुनियोजित था। तमाम रामायण

से मैंने उनको उद्धरण दिए। मैंने लिखा कि रामचन्द्र जी के केवल दो लड़के थे, लव और कुश। भरत के केवल दो लड़के थे तक्ष और मशक। लक्ष्मण के केवल दो लड़के थे, अंगद और चित्रकेतु। सहदेव के केवल दो लड़के थे, सुबाहु और ऊपकेतु। चारों भाइयों के दो दो लड़के थे। तब सुनियोजित परिवार था। राम राज्य में जबर्दस्ती न बन्दी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। इसलिए जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में लिखा है कि जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं होने दी जाएगी --

श्री बसन्त साठे : आप क्या करते थे ?

...

श्री राज नारायण : आत्म निग्रह, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य। यहां कोई बहनें तो नहीं हैं इसलिए मैं बोल दूँ कि ये सब काम मैं बहुत जानता हूँ लेकिन मैं भी इंद्रिय निग्रह करता हूँ। 1958 से अब तक घर नहीं गया हूँ।

महाभारत काल में भी कृष्ण का केवल एक लड़का था प्रद्युम्न। तब भी परिवार सुनियोजित था, जोर जबर्दस्ती नहीं थी, नसबन्दी नहीं थी। पांच पाण्डवों के द्रौपदी के पेट से एक एक बच्चा पैदा हुआ। एक धर्मराज युधिष्ठिर से, एक भीम से, एक अर्जुन से, एक नकुल से और एक सहदेव से। मगर जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं हुई।

अब आजाइये हमारे मुहम्मद साहब पर। उन के एक ही लड़की थी और दामाद से केवल दो बच्चे पैदा हुए--हसन और हुसैन। जबर्दस्ती नसबन्दी नहीं थी, परिवार सुनियोजित था।

SHRI O. V. ALAGESAN (Arko-nam): How many sons did Dridha-rashtar have?

श्री राज नारायण : धृतराष्ट्र और रावण की संस्कृति कांग्रेस पार्टी की थी। वह वह जाने। हमारी संस्कृति राम की है, युधिष्ठिर की है। हम उस का क्यों उदाहरण दें।

श्री बसंत साठे : घृतराष्ट्र के लिये नस-बन्दी जरूरी है ।

श्री राज नारायण : अगर घृतराष्ट्र कांग्रेस बनेगी तो उस का तरीका हम कोई निकालेंगे ।

मैं कह रहा था कांग्रेस वालों के लिये कि भाई आप अपना शास्त्र पढ़ो, नीति पढ़ो, गांधी जी को भी पढ़ो । पुरुष जब बच्चा पैदा करना चाहता है तभी बच्चा पैदा होता है । पति पत्नी का संबंध कब और कैसे हो कि बच्चा पैदा हो । कब हो, कैसे हो कि बच्चा पैदा न हो । हम से आप अलग से पूछोगे तो बता देंगे । मासिक धर्म होता है, स्त्रियां रजस्वला होती हैं, 14 दिन के बाद अगर तुम पत्नी के साथ सम्भोग करोगे बच्चा नहीं होगा । और 5, 6 दिन के बाद करोगे तो कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करोगे । चूंकि संसद् के सम्मानित सदस्य हैं इसलिये हम आप को झूठ नहीं बोलते हैं । हम धर्म शास्त्र पढ़े हैं जिस में लिखा है कि सदन में पहले जाओ नहीं । और अगर जाओ तो सत्य को असत्य से बंधा न जाने दो । तो हमने थोड़े में बता दिया, और सीखना चाहोगे तो बहुत सी किताबें हैं । हमने सिखा दिया इस तरह से चलो, अनावश्यक ढंग से बेमतलब बात न करो । नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात । बिना अवसर की बात अच्छी होरे पर भी फीकी लगती है । बनत न युद्ध में रस, श्रंगार सुहाग । श्रंगार रस अच्छा है मगर जब लड़ाई हो रही हो उस बात कोई कहे कि बलमवा घर न आये मोर उमरिया सारी बीती जाय, अच्छा नहीं लगेगा । फीकी पर नीकी लगे कहिये समय विचार, सब के मन हर्षित करे क्यों विवाह में गरि । विवाह में औरतें गाली देती हैं कितना अच्छा लगता है । और अगर वही गाली दूसरे मौके पर दो तो सर फुटव्वल हो जाय । इसलिये बेअवसर बात न कहो । सत्य बात कहो, नीति के साथ चलो । और इस बात को हमारी मान लो

कि कांग्रेस पार्टी ने 30 साल तक गांधी जी के रास्ते को छोड़ कर इस देश का बहुत ही अहित किया है ।

और एक बात कह दूं क्योंकि गृह मंत्री जी मौजूद हैं व्हील फ्राफ हिस्टरी, इतिहास का चक्र देखिये कि कृष्ण पैदा होते हैं जमुना के किनारे और मरते हैं समुद्र के किनारे । गांधी पैदा होते हैं समुद्र के किनारे और मरते हैं जमुना के किनारे ।

कृष्ण के मरने के पहले उनके धाम के लोग जब उनको लेने के लिये आये तो कृष्ण ने कहा कि हमको थोड़े दिन और छोड़ दो क्योंकि हमारा यदुवंशी परिवार इतना शक्तिशाली हो गया है कि यदि मैं इनकी इस शक्ति के रहते हुए यहां से छोड़कर चला जाऊं तो ये किसी को रहने नहीं देंगे, इसलिये मैं पहले अपने परिवार का नाश कर लूं, तब चलूं । यह कृष्ण की क्षमता थी, उन्होंने कहा कि अपने परिवार का नाश करने के बाद इस दुनिया से अपने को उठाऊंगा । आप किसी में क्या यह क्षमता है ?

हमारे में यह क्षमता है, इसलिये चाहे मैं लखनऊ में रहा, दिल्ली में रहा, हमारे साथ हमारे परिवार का एक आदमी भी नहीं रहा ।

कृष्ण ने कहा कि मैं बुद्धि हूं और हमारा परिवार शक्ति है । बुद्धि चली जायेगी तो शक्ति रह जायेगी और वह राक्षस हो जायेगी । वह किसी को नहीं रहने देगी । इसलिये मैं अपने रहते-रहते इस शक्ति का नाश कर के जाऊंगा । फिर वे ऋषियों को ले गये, आप दिलवाये और सब नाश हुआ है ।

गांधी जी ने 29 जनवरी, 1948 को क्या कहा, यह मैं अपने बन्धुओं से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जो कांग्रेस में है या हमारे दल में भी है, वह सब गांधी जी के इस बाक्य

[श्री राज नारायण]

को हृदयंगम करें। गांधी जी ने कहा कि “कांग्रेस तो तोड़ दो, अब इसकी उपयोगिता नहीं रहेगी।” 30 तारीख को लोग गांधी जी के पास गये और कहा कि बापू, अभी यह लेख जाने लायक नहीं है। गांधी जी ने कहा कि अब यह जाये, समय उपयुक्त आ गया है यह लेख प्रकाशित होने के लिये। 30 तारीख को गांधी जी ने वह लेख प्रकाशित होने के लिये दे दिया।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गांधी जी पागल थे, क्या गांधी जी बेवकूफ थे? गांधी जी की इस राय को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया? गांधी जी चाहते थे, समझते थे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा परिवार अपनी शक्ति के सामने किसी को टिकने नहीं देगा। इसलिये मैं अपने परिवार को खत्म करके तब जाऊंगा। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस के पास जो इतनी शक्ति हो गई है, वह हमारे कारण और हम देश की जनता के कारण हो गई है, इसलिये वह उस शक्ति को तुड़वाकर जाना चाहते थे। अपने मरने के 24 घण्टे पहले उन्होंने यह लिखा, मगर देश का दुर्भाग्य था कि गांधी जी जब सभा में आ रहे थे, तो उसी सभा के बीच गांधी जी को मार दिया गया।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): The hon. Minister should not mislead the House. Gandhiji said in that article in the *Harijan* that the Congress had a historical role and so it should be dissolved. I can produce the document for him. The hon. Minister is not expected to mislead the House. I can get you the issue, please read it.

श्री राज नारायण : मेरे पास तो रीखवार गांधी जी का लेख है। जिनके नाम प्राक्स-... के लेख मार लिखे हैं। अब यही निवेदन है कि गांधी जी ने यह कहा क्या? गांधी जी ने इसलिये कहा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो कांग्रेस अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर के देश

की जनता को चौपट कर सकती है। क्या कांग्रेस ने वही नहीं किया? वही किया। जो भी हो, मगर गांधी जी के मरने के बाद हम वहां नहीं थे।

मेरी प्रार्थना है कि सारे का सारा समुच्चय सब चुनकर, जनता पार्टी अपने में एक है, इसका सिद्धान्त एक है, इसका झंडा एक है, इसका चुनाव घोषणा-पत्र एक है। यह एक ही रहेगी, कांग्रेस मर जायेगी, तो भी जनता पार्टी का बाल बांका नहीं कर सकेगी। यही एकमात्र पार्टी है, जो हर हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, ब्राह्मण, बनिया, धोबी, भंगी आदि सब की पार्टी है, और जनता की पार्टी है, हर मर्द-औरत की पार्टी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी भी सद्वृद्धि आये। कांग्रेस पार्टी छोड़ कर आओ और जनता पार्टी में शामिल हो जाओ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we are going to start discussion on Private Members' Business. But I am sorry to say that there are so many Members who would like to speak today. They would not be able to speak today.

Shri Kanwar Lal Gupta.

श्री यज्ञ दत्त शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप किसी भी विषय के लिये समय निश्चित करते हैं, और सूची पर जिन सदस्यों के नाम हैं उनके लिये ठीक तरह से समय की व्यवस्था करना आप का कर्तव्य है ताकि सब को बोलने का अवसर मिल सके।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a new Member.

(Interruptions)

SHRI YAGYA DATT SHARMA (Gurdaspur): I am not a new Member.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then you should know this thing that there

is no time limit for a Minister. I would like you to exercise self-restraint.

SHRI YAGYA DATT SHARMA: There are a number of speakers who took unlimited time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should have raised this objection then and there. As far as I am concerned, I know that Mr. Raj Narain was taking a lot of time. I could not stop him because he is a Minister.

The debate will continue on the next day.

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: APPOINTMENT OF HIGH POWERED COMMITTEE TO GO INTO CERTAIN CONSPIRACY.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we proceed with the Private Members' Business. Before we begin discussion on Private Members' Business, we have to fix time for this resolution. Otherwise, the next resolution will not see the light of the day. So, we do like this. We should fix sometime for this resolution; may be two hours.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): I am on a point of order. You kindly see Rule 173(i) to (iv). You see this resolution. Unfortunately, it is very badly phrased and worded. What is being sought is almost an omnibus enquiry mentioning not only Government of India but also various other individuals and various scandals not pin-pointing one particular theme. As far as 173(i) is concerned, it is mandatory and it definitely lays down that the resolution "shall be clearly and precisely expressed". As it follows, you will see from this resolution, as it is worded today; it clearly attracts and violates every one of the above rules. Uptil now, we had no chance to raise any objection on this question.

Therefore, I am raising this point of order before it is discussed. We have very serious reservations and particularly it will be a very bad precedent if the words "joint deliberate conspiracy by the erstwhile Government of India" remain on this. I would like to make it clear that we have nothing against your proceeding in any manner against any individual or on any particular issue, but ultimately this House must protect not only the dignity of the Government of India but also of this House. But, on this side, I can definitely assure you that we will not come in any way in your way on any kind of enquiry. But this is a vital issue; this is a procedural issue.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय करने के पहले जो हमारे नियम हैं उनको ठीक से देख लें। उनीकृष्णन् जी का कहना है कि इसमें कई मामले आए हैं और यह इस खण्ड का उल्लंघन करता है :

"In order that a Resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely,

- (1) it shall be clearly and precisely expressed; and
- (2) it shall raise substantially one definite issue."

अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने मंजूर किया है तभी आर्डर पेपर पर आया है लेकिन प्राइमर फेसी आपने देखा कि नियम के अनुसार है, इसलिए आपने इस को आर्डर पेपर पर रखा। अब उनीकृष्णन् जी ने कुछ आक्षेप उठाया है। मुझे यह कहना है कि इस प्रस्ताव में एक ही विषय है और वह बिल्कुल स्पष्ट है। वह विषय यह है कि एक जांच कमीशन बैठाया जाय और तीन महीने के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे। यह इसका मुख्य आशय है। लेकिन उदाहरण के तौर पर कुछ बातें कही गई हैं। मैं खुद इसमें एक संशोधन देने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया जहाँ कहा

[श्री मधु लिमये]

गया है उसके स्थान पर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री रखा जाय । ऊनी कृष्णन् जी का जो सुझाव है उसके लिए मैं पहले से सोच रहा हूँ और भारत सरकार की जगह पर मैं यह संशोधन देने जा रहा या कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री रखा जाय । तो इसको तो वे कबूल करेंगे । फिर तो कोई आक्षेप उनका नहीं रहा है ।

AN HON. MEMBER: You cannot move it.

SHRI MADHU LIMAYE: Why not? I can move it immediately after Mr. Kanwarlal Gupta has moved his resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: As far as the point of order raised by Mr. Unnikrishnan is concerned, the Speaker having considered all the aspects has admitted the resolution. So, I have nothing to say in the matter.

Mr. Kanwarlal Gupta.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: I may be permitted to point out that it is totally violative of the Rules of Procedure. What is the relation between Maruti and Mr. Bansi Lal and Nagarwala case? We are creating a bad precedent today. I want this to go on record. What is the relation between Nagarwala case and Maruti? What do you want to discuss? Do you want to discuss Maruti or Nagarwala case? (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kanwarlal Gupta.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) :
मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ :

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): I rise on a point of order. Sir, you have not given any ruling. You have

made a remark only. You have stated that since the Speaker has admitted the resolution, there is nothing more that the Chair can do about it. May I submit that the rules stipulated in the Rules of Procedure are binding on the House and every Member has a right to take shelter under the rules? The Speaker may have admitted it without hearing the other side. Once he has admitted it and comes before the House, the House has got a right to examine whether it violates any of the rules stipulated in the Rules of Procedure. The Rules of Procedure are binding on all of us and we have got the right to make a claim on the Rules of Procedure.

What the Speaker has done is that he has admitted it. By admitting it, it has got a right to come on the order Paper. It has come on the Order Paper. Until it comes on the Order Paper, we do not get a chance at all. What is the procedure? The ballot takes place and the Member gets a chance. The Member gives a resolution. If the resolution is found to be inadmissible, another resolution is admitted and that resolution comes up. It sees the light of the day only when it comes before the House. The moment it comes before the House, every Member of the House has a right to examine whether it conforms to the Rules of Procedure. To deny that right will be a repudiation of the right which the Members have got under the Rules of Procedure. I am not here to support or repudiate what Shri Unnikrishnan has stated, but to accept what you have stated is the governing condition will, in substance, deny to every Member of the House the right to act according to the provisions of the Rules. There are ump-teen provisions in the Rules relating to the admission of a Resolution by the Speaker but I submit that its admission by the Speaker is only to give it the right to come on the Order Paper. The moment it comes on the Order Paper the Members have a right to examine whether it conforms to the

Rules of Procedure of this House. Therefore, we must be heard as to whether it conforms to the Rules or Procedure. I submit that it violates every one of the provisions stipulated in regard to admissibility. You may kindly examine whether Shri Unnikrishnan's objection is sustainable or not on its merits and not on the basis that the Speaker has admitted it and therefore there is an estoppel.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already given my ruling: if you are going to raise the same matter again, there is no use in it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): The Speaker's decision is not open to challenge on the Floor of the House. Rule 174 makes that clear.

SHRI C. M. STEPHEN: The Speaker's decision is only in regard to its admission and being put on the Order Paper. Once it comes on the Order Paper the House must examine its admissibility in the light of the Rules of Procedure.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Shri Unnikrishnan referred to Rule 173 and neither he nor Shri Stephen has gone beyond that. Rule 174 says:

"The Speaker shall decide whether a resolution or part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a resolution or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules".

Therefore, when a Resolution is submitted, the Hon. Speaker decides whether, in his opinion, it conforms to the Rules and it is only after that that it is admitted. Now, in the guise of a Point of Order, the Hon. Speaker's decision to admit the Resolution cannot be challenged.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already given my ruling. (*Interruptions*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I beg to move:

"This House calls upon the Government to immediately appoint a high powered Committee consisting of some Members of Parliament, Judges and eminent public men to go into the question of joint deliberate conspiracy by the erstwhile Government of India, Maruti Ltd. and its allied concerns and Shri Bansi Lal (former Chief Minister of Haryana and former Defence Minister of India) against the country and the people such as Maruti and Nagarwala Scandals and numerous illegalities committed by Shri Bansi Lal and submit the report to the Government within three months".

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I would like to know whether, as this is an important debate to be conducted in this House, reports on the same can be published in the newspapers. There are two Acts—the Prevention of publication of Objectionable Matters Act and the Publication of the Proceedings of Parliament Act. This Resolution concerns a vital matter and the whole country would want the whole debate to be reported in the Press so that the people come to know of it. If there is no difficulty about it, there should be no restriction in this regard on the Press. I want to know the exact position because it has already been intimated by the Government that these two Acts will be repealed. Will they be repealed with retrospective effect and will the Press be allowed to report the whole thing?

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are governed by the law of the land and I don't think there are any restrictions on the Press as such.

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : अभी माननीय मित्र ने सवाल उठाया है कि अगर यह प्रोसायडिंग पब्लिश हुई तो वह ऐक्शन-बिल है। नए कानूनी कार्रवाही हो सकती है। मैं गवर्नमेंट की तरफ से कांफिडेंस दिलाता हूँ कि कोई प्रोसायडिंग जो आया है रेंजोल्यूशन के तिलिने में इस सदन में होगी और वह पब्लिश होगा। गवर्नमेंट कोई ऐक्शन नहीं लेगी।

श्री कंबर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा, वह किसी बदले की भावना से नहीं रखा है और न ही किसी राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने रख कर रखा है। यह प्रस्ताव केवल एक ही दृष्टिकोण सामने रख कर रखा गया है कि हमारे देश का राजनीतिक और सामाजिक जीवन स्वच्छ होना चाहिये। पार्टियाँ आती और जाती हैं... यह प्रस्ताव केवल आप लोगों के लिये नहीं है, आप अभी से इतने नाराज हो गये, यह प्रस्ताव हम पर भी लागू होगा...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप गन्त तरीके से इसको पेश करना चाहते हैं।

श्री कंबर लाल गुप्त : कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार करेगा, तो उसको अवश्य सजा मिलनी चाहिये, चाहे आप हों या जनता पार्टी हो, सबके लिये यह लागू होगा। अगर देश में सही मायनों में प्रजातन्त्र चलाना है तो आप उपाध्यक्ष जी, मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये और कानून का राज्य लागू होना चाहिये।

पिछले 30 सालों में इस देश में जो कुछ हुआ और खास तौर से पांच-छः सालों में जो कुछ हुआ, उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि शायद दुनिया के इतिहास में किसी भी प्रजातन्त्रीय देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, जितना इस देश में हुआ। सरकारी मशीनरी को मिसयूज करके, लोगों को दबा

कर और सरकार का दुरुपयोग करके संजय गांधी और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री बंसी लाल ने जो कुछ किया, ऐसी मिसाल दुनिया के किसी भी प्रजातन्त्र में नहीं मिलती है।

15.47 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के स्पीकर ने एक पत्र लिखा है—वह कहते हैं—

“The truth is that, as in the case of several Arab countries if one struck a spade he would get oil, in Haryana if he did so, he would find corruption.”

अध्यक्ष महोदय, यह केवल हरियाणा के बारे में नहीं है, यहां नई दिल्ली के अन्दर भी किसी चीज को उठा कर देख लीजिये, आपको एक ही चीज मिलेगी कि कर्प्शन का चारों तरफ बोलवाला था और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी अफसरों को दबा कर किस प्रकार से रुपया बटोरने की कोशिश की जा रही थी। प्रधान मन्त्री ने अपने काल में एक ही कोशिश की—करोड़ों रुपया बटोरा, बड़े-बड़े लोगों को दबाकर बटोरा और उनका एक ही उद्देश्य था कि वह गद्दी पर बनी रहें, उनके बाद उनका बेटा गद्दी पर बना रहे। जो संजय गांधी थे, उनका एक सपना था कि वह फोर्ड बन सकते हैं, बहुत बड़ी कार बना सकते हैं। मुझे, अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐतराज नहीं है—जैसे किमी के बेटे को बड़ा इण्डस्ट्रियलिस्ट बनने का अधिकार है, उसी तरह से प्रधान मन्त्री के बेटे को भी अधिकार है, लेकिन यह योग्यता के आधार पर होना चाहिये, कैपेसिटी के आधार पर होना चाहिये, परिश्रम के आधार पर होना चाहिये। दुर्भाग्य यह है कि 1971 में जब मासिक पब्लिक लि० बनाई गई तो आप को आश्चर्य होगा कि मेमोरेण्डम के अन्दर एक क्लॉज थी कि डायरेक्टर बनने के लिये 100 शेअर दस-दस

रुपये का खरीदना जरूरी होगा, लेकिन बाद में उस क्लॉज को बदल दिया गया, उसमें कहा गया कि, 100 की बजाय 10 शेअर खरीदना काफ़ी होगा। इसका मतलब यह है कि संजय साहब 1000 रुपया भी लगाना नहीं चाहते थे, केवल 100 रुपयें लगा कर, 10 शेअर खरीद कर वह मारुति के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। 1971 में वह टैक्स नहीं देने थे, लेकिन आज वह करोड़पति बने हुए हैं, आज मल्टी-मिलिनेअर बने हुए हैं। 6-7 साल के अन्दर यह पैसा—रुपया आप समझते हैं कानूनी ढंग से उनके पास आया है। मैंने इसके बारे में तक्रुशील इकट्ठी की है, बड़ी मेहनत से इकट्ठी की है, जिन्हें एक-एक करके आप के सामने रखूंगा और मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी इस बात को स्वीकार करें कि एक कमेटी बनाई जाय, क्योंकि पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी जब सरदार प्रताप सिंह कैरों के बारे में कमेटी बनाई थी, तब उन्होंने कहा था—मैं उनको कोर्ट कर रहा हूँ—

“It is our duty from the point of view of maintaining high standards and conventions in public life and administration to give full consideration to any serious charges which might be made. Normally only the charges which have some *prima facie* substance in them should be subjected to a regular inquiry. Since they have been made to our President and they have been repeated often in the press and platform, I think, an inquiry is desirable.”

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इन्क्वायरी की लेकिन इस केस में पिछले 6 साल से इस सदन में, एसेम्बली में, एमेम्बली के बाहर प्रेस में, अखबारों में बार बार एलिगेशन लगाए जा रहे थे, लिख कर दिया जा रहा था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तब एक डेलिबरेट कांस्पीरेसी ऊपर से नीचे तक चल रही थी और उन एलिगेशन्स पर कोई अमल नहीं

किया गया और यह कहा गया कि कोई कार्यवाही गलत नहीं है। अपने पार्टी के लोगों को बैठा कर यह बडिफ्ट दिला दिया जाता है कि सब ठीक है। मैं कहता हूँ कि यह सब आई-वाश है। आज जनता ने करवट ली है और नई सरकार बनी है। इस सरकार के सामने मैं एक एक चीज़ रख कर गिनाना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि इनकी इन्क्वायरी कराई जाए कि ये चीज़ें ठीक हैं या गलत। हमें इस देश के जीवन को स्वच्छ बनाना है और इस देश को आगे ले जाना है। इस देश में डेमोक्रेसी रखनी है तो इस दृष्टिकोण से चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, मुकदमा सब पर चलाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि अगर कोई बड़ा आदमी गलती करता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।

सबसे पहली चीज़ तो मैं मारुति प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कहना चाहता हूँ। उसके लिए संजय साहब ने 445 एकड़ जमीन ली। प्लांड डेवलपमेंट के नाम पर हरियाणा गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर की थी लेकिन प्राइवेट कम्पनी को 445 एकड़ जमीन दी गई। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में फाई और रोल्स रायस जैसी बड़ी बड़ी कम्पनियों के पास भी इतनी ज्यादा जमीन का एरिया नहीं है और दुनिया की किसी भी कार कम्पनी और मोटर कम्पनी के पास इतना बड़ा एरिया नहीं है जितना कि मारुति के पास है और वह जमीन भी उनको थो-एवे प्राइसेज में, बहुत सस्ते दामों पर मिली है। जो मार्केट रेट है उसके 15वें हिस्से से भी कम पर वह जमीन मारुति को दी गई है और केवल 40 लाख रुपये में वह जमीन दी गई है जबकि वाजार भाव से उसकी कीमत 4 करोड़ रुपये होनी चाहिए... (व्यवधान)... मैं बाद की बात कह रहा हूँ और वह 1969 की बात है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 45 लाख रुपया जो हरियाणा गवर्नमेंट को कम्पेंसेशन

[श्री कंवरलाल गुप्त]

का मिलना था, वह पैसा भी मारुति ने हरियाणा गवर्नमेंट को नहीं दिया है। आप 1975 की बैलेंस शीट उठा कर देख लीजिए। उस बैलेंसशीट में 33 लाख 80 हजार 452 रुपया अभी भी 1975 में मारुति को देना था। इसका मतलब यह है कि 34 लाख रुपया मारुति के लिए हरियाणा गवर्नमेंट इनवेस्ट कर रही है। वह सस्ती जमीन दे रही है, ज्यादा जमीन दे रही है और इसके साथ 34 लाख रुपये और भी लगा रही है। आप 1975 की बैलेंसशीट देख लीजिए। मेरे आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ सकता हूँ कि क्या यह पेट्रोलियम नहीं है? वह डिफेंस की जमीन थी और डिफेंस इंस्टालेशन के नजदीक कोई कंसट्रक्शन नहीं हो सकती थी। इनकी वाय-लेशन हुई है। यह पेट्रोलियम नहीं है तो और क्या है। इसी आवाजीगेशन के कारण वंशीलाल को ओबलाइज किया गया। उन्होंने संजय गांधी को ओबलाइज किया और संजय गांधी की वजह से उनकी माता जी, प्राइम मिनिस्टर ने वंशीलाल जी ने जो कुछ किया था, उस पर कुछ कार्यवाही नहीं की। वह चाहे कुछ करें और संजय साहब चाहे कुछ करें, इन्दिरा जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों वाली नहीं थी। कैरो के बाद जो उनके लड़कों ने किया था, उसके बारे में जज ने कहा था कि लड़कों ने गलत काम किया है अप्रसरों को दबा कर और लोगों को उन्होंने ओबलाइज किया है और उन लोगों को खूश करके के लिए चीफ मिनिस्टर ने काम किया था। इसलिए चीफ मिनिस्टर भी दोषी है।

मैं डेलीब्रट कांस्पिरेसी इसलिए कहता हूँ कि बंसी लाल ने संजय गांधी को ओबलाइज किया और खुश होकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको गलत काम करने की छूट दे दी, खुली इसकी छूट श्री बंसी लाल को दे दी। चालीस हजार फी एकड़ वाली जमीन उनको

दस हजार फी एकड़ में दे दी गई। फिर उसका पूरा रुपया भी उन्होंने आ ही किया। मैं जानना चाहता हूँ कि मारुति को उनका पीजेशा कैसे दे दिया गया? रजिस्ट्री उसको कैसे कर दी गई? यह तभी हो तो है जब पैसा दिया जाता है। जब तक यह नहीं होता है मकान उस पर नहीं बन सकता है। पैसा नहीं दिया गया तो रजिस्ट्री कैसे हुई, उस जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। मैं समझता हूँ कि सब कुछ कानून के खिलाफ हुआ, प्रोजेक्टर के खिलाफ हुआ। पैसा नहीं दिया गया, रजिस्ट्री भी नहीं हुई लेकिन वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गईं। यह सब प्रोजेक्टर का वायोलेशन था।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी और प्राइवेट कम्पनी के साथ भी ऐसा किया गया है जिस तरह से श्री संजय गांधी की कम्पनी के साथ किया गया है, इस प्रकार से बिना पैसा लिये सरकार ने किस और कम्पनी को देश में जमीन दी है। श्री हिदेन्द्र देसाई बैठे हुए हैं और भा. मुख्य मंत्री तो रह चुके हैं वे यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने किस और कम्पनी के साथ ऐसा किया है, जो प्रधान मंत्री का बेटा नहीं था उसके साथ ऐसा किया है, इस प्रकार के रियायत उभरना दा है अगर नहीं किया है तो क्या यह सही नहीं है कि यह क्लीयर फेवर था। मिम्यूज आथोरिटी का और पावर का था, गवर्नमेंट मशीनरी का था। मैं समझता हूँ कि इट वाज ए फाड अन दी पीपल लिविंग इन दान विलेजिज। उनको उजड़ कर इस तरह से जमीन एकवायर करके उसको दी गई।

मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि 445 एकड़ में से दो सौ एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है और उसमें खेती हो रही है। पांच लाख रुपये का सालाना उससे इ.कम होती है। आप मारुति का इनकम टैक्स का केस निकाल कर देखें और पता लगाएं कि

क्या पांच लाख की इनकम कहीं बताई गई है ? नहीं बताई जा रही है मारुति लिमिटेड में । संजय गांधी भी अपनी रिटर्न में नहीं बताते हैं। वह पैसा जेब में डाला जा रहा है । उस पर क्या कोई कानून लागू नहीं होता ? क्यों नहीं इनकम टैक्स आथोरिटीज उस पर कोई कार्यवाही करती है ? दो सौ एकड़ के फार्म पर काश्त होती हैं । हर साल लगभग पांच लाख रुपया उससे आमदन होती है । उस पर कम से कम इनकम टैक्स तो लगाना चाहिये । इस आमदान का रिटर्न में तक नहीं दिखाया जाता चिन्तिते । लेकिन दिखाया नहीं गया है । आप इनक्वायरी करके पता लगा लें ।

अब मैं जो मैटीरियल उनको सप्लाई किया जाता था उसके बारे में कहना चाहता हूँ । उन दिनों में जब यह कारखाना बना लोहे और सीमेंट की बहुत कमी थी । बंसी लाल जी की तरफ से उनको इतना कोटा दिया गया कि उसको उन्होंने ब्लैक में बेचा, जो सरप्लस था । यहां दिल्ली के मोतिया खान में खुले आम ब्लैक में ट्रकों में ल कर उसको बेचा गया । अगर मंत्री महोदय इस बात का विश्वास दिलाएं कि कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ होगी तो मैं उन लोगों को यहां लाकर पेश कर सकता हूँ और जो खुल कर यह ब्यान देने को तैयार हैं कि मारुति के ट्रकों में स्टील यहां आता था और ब्लैक में बिकता था । ब्लैक इस प्रकार से करके 25 लाख का गोलमाल किया गया । अब आप उसके प्राफिट एंड लस एकाउंट को देखें तो पच्चीस लाख की जगह उन्होंने पांच लाख रुपया ही नफा इसका दिखाया है । क्या गवर्नमेंट मशीनरी का यह मिसयूज नहीं है ? कोटा ज्यादा क्यों दिया गया । अगर दिया गया और उसके पास माल फातू था तो कानून कहता है कि फातू माल को वापस किया जाए सरकार को । ऐसा न करके उसको ब्लैक में बेच कर नाजायज तौर पर रुपया बनाया गया । जो पब्लिक मैन है जो पोलिटिकल आदमी है इस तरह की बात

उसको शोभा नहीं देती है, इस प्रकार से रुपया ऐंठना ठीक नहीं है ।

16.00 hrs.

एक व्यक्ति ने दस रुपये वाले दस शेयर खरीदे और इस प्रकार से उनका एनवैस्टमेंट केवल सौ रुपये का है सारी मारुति पब्लिक लिमिटेड में अर्थात् श्री संजय गांधी का लेकिन आज छ साल में उन्होंने एक जबरदस्त एकोनामिक एम्पायर खड़ी कर ली है । उस कम्पनी के साथ दो और कम्पनियां बन गई हैं । एक मारुति हैवी वीहिकल्स बना ली है और एक मारुति टेक्नीकल सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड बना ली है । अब आप मोडस अप्रेंडी को देखें । मारुति पब्लिक लिमिटेड में करीब 68 लाख का नुकसान हुआ । हर साल नुकसान हो रहा है । लेकिन फिर भी हर साल इनके शेयर लांग खरीदते हैं । खरीदने वाले कौन होते हैं ? जिनको बाजार का पता है, शेयर बाजार का पता है घेज नते हैं कि जिस कम्पनी को नुकसान होता है उस कम्पनी के शेयरों के भाव गिरते हैं और उस कम्पनी के शेयर खरीदने वाले नहीं रह जाते हैं । लेकिन यहां दुनिया से अजीब चीज होती है । मारुति को हर साल 15, 20, 25 लाख का घाटा होता है, 68 लाख का घाटा 1975 तक हो चुका था लेकिन इससे शेयर हर साल खरीदे जाते रहे । पहले साल 25 लाख के दो शेयर लोगों ने खरीदे । दूसरे साल 50 लाख के खरीदे । तिसरे साल 85 लाख के दो शेयर लोगों ने खरीदे । कितने लोगों ने खरीदे ? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने खरीदे, बिड़ला ने खरीदे । क्यों खरीदे ? कोई अपना पचास लाख रुपया गटर में डालना नहीं चाहता है । इसलिए खरीदे कि पचास लाख इनवैस्ट करके पचास करोड़ का फायदा उनको होगा, उन को मालूम था कि नई दिल्ली के वासफदरजंग रोड पर पहुंचना है तो वाया संजय जाना चाहिये, वाया मारुति जाना चाहिये और वाया मारुति जाकर उनको कोटा भी मिल सकता है, परमिट भी मिल सकता है । जो कम्पनी घाटे में जाती है मैंने बताया है कि उसके शेयर

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

कोई नहीं खरीदता है। लेकिन यहां बिड़ला ने खरीदे। उनके खिलाफ इनक्वायरी हुई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसकी भी इनक्वायरी करे। जो इनक्वायरी हो चुकी है और जो रिपोर्ट है उस पर आगे की कार्रवाई भी होनी चाहिये। इसी तरह से और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, मोहन मीकिंग, मैं चाहता हूँ कि उन सब डायरेक्टरों के खिलाफ, बिग हाउसिस के खिलाफ जिन्होंने शेयर खरीदे हैं इनक्वायरी हो और पता लगाया जाए कि उन्होंने क्या क्या लाभ उठाया है सरकार से वाया मारुति, वाया संजय गांधी। यह सब जांच अगर सरकार कराएगी तो भ्रष्टाचार का फव्वारा फूटेगा और इसको देख कर दुनिया अश्चर्य चकित रह जाएगी, अनप्रिसिडेंटिड करप्शन जनता के सामने आएगा।

अब आप मोडस ग्रॉपेंडी को लें। पैसा लगवाया जाए और फायदा उठाया जाए और लगाने वालों को फायदा पहुंचाया जाए। उनके घर की एक फर्म है मारुति टैक्नीकल सर्विसिस जिस में केवल संजय साहू हैं और एक सोनिया गांधी है। उसमें कौनसा नो हाऊ वे बेचते हैं, उन दोनों में कौन एक्सपर्ट है मैं नहीं जानता, संजय गांधी या सोनिया गांधी है मैं नहीं जानता। लेकिन टैक्नीकल नो हाऊ वे बेचते हैं और जो मारुति पब्लिक लिमिटेड है वह उसके टैक्नीशियन बने हुए हैं और वहां से वह रुपया लेते हैं और क्या नो हाऊ देते हैं वह भी मैं बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से जनता का पैसा, पब्लिक लिमिटेड का पैसा घर में ले जाते हैं—

एक माननीय सदस्य : पब्लिक लिमिटेड नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : हैं। मैं मोडस ग्रॉपेंडी बता रहा हूँ। टैक्नीकल नो हाऊ

यह जो उनके घर की कम्पनी है और प्राइवेट लिमिटेड है वह पैसा लेती है और टैक्नीकल नो हाऊ स्पलाई करती है और उस नाम से वह पैसा लेती है। किन की जेबों में पैसा आता है। मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गांधी हैं उधर तो इधर मैनेजिंग डायरेक्टर सोनिया गांधी है। ढई ढाई हजार रुपया तनख्वाह, मोटर, ड्राइवर रेजीडेंडशाल एकमोडेशन, टेलीफोन फ्री, इलाज फ्री, मैडीसिन फ्री ली जाती हैं, ग्रेचुइटी आदि सब की पूरी व्यवस्था है। समय थोड़ा है इस वास्ते मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ।

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो तरीका है क्या यह ठीक है। मैं माननीय रघुरमैया और माननीय हितेन्द्र देसाई से पूछता हूँ कि क्या यह तरीका ठीक है? इस तरह का स्टैन्डर्ड अगर पब्लिक लाइफ में रहा तो क्या देश आगे बढ़ सकता है? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वह जो पैसा लेते हैं वह कैसे करते हैं इस का मेरे पास एक उदाहरण है। दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स है एक्सपोर्ट करने पर जो उन को इन्सेन्टिव मिलता है अगोस्ट इम्पोर्ट लाइसेंस के वह ट्रांसफरविल नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस में शेयर खरीदे उन के लिये जो रूल है वह तीन दिन के लिये सरपेंड कर दिया गया और उन्होंने वह लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया और इस प्रकार करोड़ों रुपया कमा लिया और तीन दिन बाद रूल फिर रिवाइज कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इन्होंने पैसा लेने के लिये नेशनलाइज्ड बैंक का भी दुरुपयोग किया, जिन अफसरों ने हां में हां नहीं मिलाई उन को ट्रांसफर कर दिया गया, उन को दबाया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक और सेन्ट्रल बैंक ने करीब 2 करोड़ रुपये मारुति को लोन दिया हुआ है। और वह किस के अगेंस्ट है? अगेंस्ट बिल्डिंग, मशीनरी के। और यह भी लिखा हुआ है कि जो रासैटीरियल है, जो आज है

और आगे जो खरीदा जाने वाला है उस के अग्रेस्ट भी लोन मिल गया। यह ऐग्रीमेंट में है आप देख लीजिये। मैं चाहता हूँ कि बैंक के जिन बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐसा गलत काम किया है उन के खिलाफ जांच होनी चाहिये कि आया जो लोन दिया गया है वह कानून के मुताबिक है या खिलाफ है। मेरा कहना है कि रिजर्व बैंक के जो कानून है, उन की जो व्यवस्था है, नेशनलाइज्ड बैंक्स की जो व्यवस्था है उन को ताक पर रख कर जितना भी लोन दिया गया वह गैर कानूनी है। मार्च 1972 में पंजाब नेशनल बैंक ने 30 लाख रुपये का लोन दिया और रेट आफ इंटररेस्ट भी कम कर दिया, जब कि बैंक रेट आफ इंटररेस्ट बढ़ा रहे हैं। और रेट कम करने के बाद 2-6-72 को 7 लाख रुपये और लोन दिया।

संजय गांधी ने 1972 में अत्रवारों में ध्यान दिया था कि 1973 में 10,000 कारें सड़क पर आयेंगी, इसी तरह से 1974 में 25,000 और 1975 में 50,000 मारुति कारें बनायेंगे। जो उन का प्रोस्पेक्टस निकला उस में यह दिया हुआ है, और उन्होंने लोगों से कहा कि डीलर बनिये। लोगों ने सोचा कि कार तो बनेंगे और चलेगी भी खूब क्योंकि सारी सरकारी मशीनरी इस के साथ है। लोग धड़धड़ डीलर बनने लगे। अध्यक्ष महोदय, आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि डीलर्स से जो सेक्योरिटी ली गई वह 2 करोड़ 40 लाख रुपये है। और इन डीलर्स के साथ इन्होंने ऐग्रीमेंट किया कि अगर हम आप को कार नहीं देंगे तो साढ़े दस प्रतिशत के हिसाब से साल में दो बार ब्याज देंगे। आज पांच साल बीत गये हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह कार किसी को मिली? लोगों ने रुपया मांगा।

श्री साठे, मैं बता रहा हूँ कि उड़ोसा के एक श्री दीनानाथ हैं, उन्होंने कहा कि मेरे

6 लाख रुपये हैं, मैंने सारे जेजर बेचकर एजेन्सी लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप मेरा रुपया वापिस कर दीजिये, ब्याज भी मत दीजिये, तो भी उनका रुपया वापिस नहीं किया गया और ब्याज भी नहीं दिया गया और इसको जगह उनको पकड़ कर मीसा में बन्द कर दिया गया। उसके बाद एक भी आदमी को हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना पैसा मांगे या ब्याज मांगे। तो इस तरह से डीलरों की राख के ऊपर इकनामिक एम्पायर डैबलप की जा रही थी। मैं पूछता हूँ कि क्या यह बीच आफ ट्रस्ट या फाड नहीं है? मि० पाई मेरे से सहमत होंगे, आपने कितनी ही चिट-फंड कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की है, क्या आपने इसके खिलाफ कार्यवाही की?

जिस डीलर का रुपया लिया है, उसके साथ एक ऐग्रीमेंट किया है, उस ऐग्रीमेंट की वायोलेशन हुई है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, वह रुपया आज भी मारुति में अटका हुआ है। लोगों की जान खुशक हो रही थी और संजय साहब मजा कर रहे थे। यह मैंने मारुति को छोटी सी थ्योरी आपके सामने रखी है। यह प्राइवेट लिमिटेड है। इसकी थोड़ी सी और तस्वीर खींचना चाहता हूँ।

इसकी मैंनेजिंग डायरेक्टर सोनिया गांधी हैं और उन्होंने अपनी नेशनैलिटी इटैलियन लिखी है। वह इटैलियन है, शादी के बाद भी उन्होंने इटैलियन नेशनैलिटी लिखी है। इसमें 3 डायरेक्टर हैं—एक संजय गांधी, एक सोनिया गांधी और एक कोई किशन लाल जालान है।

इसके अन्दर सारी मशीनरी 12 हजार 231 रुपये की है, जो कि बलेंसशीट और किताबों के हिसाब से बता रही है। यह वह कम्पनी है जो रोड रोलर बना रही है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी बना रही है। ये

[श्री कवर लाल गुप्त]

रोड रोलर बनाने के लिये मशीनरी कुल 12,231 रुपये की है। क्या आप विश्वास करेंगे कि 12 हजार की मशीनरी से आप रोड रोलर बना सकते हैं? बैलेंसशीट में लिखा है कि 9,12,562 रुपये के तो फिनिशड प्रोडक्ट्स किये और जो सैमी-फिनिशड है वह 6,80,281 रुपये के हैं यानी 16 लाख रुपये की प्रोडक्शन 12 हजार रुपये की मशीनरी करेगी। वाह...वाह... यह तो कमाल है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है? रोड रोलर और पुर्जे वह दूसरों से बनवा रहे हैं और वह सरकार से ज्यादा पैसा लेकर उसे बेचते हैं। दूसरों से वह सस्ता खरीदते हैं और ज्यादा पैसा लेकर बेचते हैं। पहले 6 रोड रोलर उन्होंने ओ० एन० जी० सी० देहरादून को बेचे। अब तक जितने भी रोड रोलर बेचे गये हैं, ये सब सरकार की बेचे गये हैं या जो सरकारी संस्थान हैं, उनको बेचे गये हैं। एक भी प्राइवेट आदमी ने रोड रोलर नहीं खरीदा। जितनी भी मारुति की या संजय साहब की डीलिंग्स हैं, ये सारी सरकार के साथ हैं। इसका मतलब साफ है कि यह एक बहुत बड़ा फ्राड है। नाम यह है कि रोड रोलर है, लेकिन यह क्या है? दिल्ली में डी० डी० ए० के पास एक रोड रोलर इनका है, वह कहते हैं कि चन्ता ही नहीं, धक्का लगाना पड़ता है, उसने भी नहीं चलता। लेकिन संजय साहब उनका गला दबाते हैं अफसरों को बुला कर कहते हैं कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा। उनके पास कोई बचाव नहीं है, या तो वे नौकरी छोड़कर जायें, या उनका तबादला मिजोरम गैरा में कर दिया गया। या तो नौकरी छोड़कर जायें, या रोड रोलर खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रधान मंत्री का आशीर्वाद उनके साथ था।

मारुति टेक्निकल जो तीसरी फर्म है, उसमें सोनिया गांधी मैनेजिंग डायरेक्टर और संजय गांधी डायरेक्टर हैं। इस कम्पनी में टेक्निकल नो-हऊ के नाम से बहुत प्राफिट होता है। दोनों कम्पनियों का प्राफिट टेक्निकल नो-हाऊ के नाम से यहां इकट्ठा हो जाता है। यह असली कम्पनी है। उस के पास क्या टेक्निकल नो-हाऊ है? इन दोनों में से कौन एक्सपर्ट है? उन के पास क्या मशीनरी है? आखिर टेक्निकल नो-हाऊ देने के लिए भी कोई मशीनरी होनी चाहिए। उन के पास सिर्फ 5,246 रुपये की मशीनरी है।

पेट्रोल सेवर बनाने की बात भी कही जाती है, लेकिन वास्तव में वे नहीं बनते हैं। उन के पास सिर्फ 746 रुपये की डाईंग है। इस तरह से लोगों को धोखा देना और केवल रुपया कमाना देशद्रोह है। इसी लिए मैंने कहा है कि यह एक कांस्पीरेसी है और लोगों के साथ फ्राड किया गया है। मैं यह प्रस्ताव खुशी से नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जनहित को सामने रखते हुए मुझे यह सब कहना पड़ रहा है।

इस कम्पनी का आबजेक्ट पहले टेक्निकल नो-हऊ था। तीन दफा एम्ज एंड आबजेक्ट्स बदले गये। उन्होंने यू० एस० ए० के पाइपर प्लेन की एजेन्सी ली और सब स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स से कहा कि उन्हें यह खरीदना है। उन्होंने ये प्लेन खरीदे और इन लोगों को कमीशन मिला।

बोइंग प्लेन की भी उन्होंने एजेन्सी ली। मेरे पास छः सात कम्पनियों की लिस्ट है। यू० एस० ए० का हारवेस्टर है। ये सब विदेशी कम्पनियां हैं। अगर किसी ने 1, सफदरजंग रोड पर पहुंचना है, तो वह वाया मारुति जायेगा। वह इन लोगों को खुले-आम कमीशन देगा या घर जा कर देगा।

इस तरह से करोड़ों रुपये बटोरे गये हैं । कुछ पैसा यहां रखा गया है और ज्यादातर पैसा विदेशों में रखा गया है । क्या यह मिसयूज आफ आफिस नहीं है ?

मेरे पास इस बात का सुबूत है कि पहले प्लानिंग कमीशन ने कहा कि बोइंग प्लेन ठीक नहीं है, हम दूसरा प्लेन लेंगे । लेकिन अचानक सरकार ने कहा कि यही प्लेन चाहिए । जब पैसा पहुंच गया, तो सरकार का विचार भी बदल गया । एयरबस के बारे में भी यही हुआ । इस के बारे में पहले विचार भी नहीं किया गया । एक्सपर्ट्स ने ट्राईस्टार प्लेन खरीदने के लिए कहा था । लेकिन अचानक सरकार ने अपनी राय बदल दी और एयरबस खरीदे । जिन सरकारों के ये प्लेन हैं, उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से इन्हें खरीदा है । एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन की एडवाइस के खिलाफ यह काम हुआ है ।

जहां तक बसों की वाडी-विन्डिंग का प्रश्न है, मारुति ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के लिए ठेका लिया हुआ है । इन के पास कितनी मशीनें हैं ? अगर यह फ़ाड नहीं है, तो और क्या है ?

मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में एक कमीशन से इस की पूरी जांच करवायें, ताकि आने वाली सन्तान यह समझे कि सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वालों को इस तरह की गलत और भ्रष्ट कार्यवाहियां करने के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए ; लेकिन उन को मौका दे कर । मैं यह नहीं कहता कि उन को मिसा में रखा जाय या उन को मौका न दिया जाय । उन को पूरा मौका जनता पार्टी की सरकार देगी और मौका देने के बाद अगर वह कमीशन या कमेटी इस चीज को मान ले कि यह गलतियां की है तो उन को

कड़ी सजा मिले ताकि आगे आने वाले राजनीति में काम करने वाले उस को न दोहरायें । उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा भी वही भविष्य होगा जो संजय जी का हुआ ।

अब मैं नागरवाला केस में आता हूँ । . .

MR. SPEAKER: You must finish quickly, in another five minutes because the second Resolution has to be moved before we conclude.

SHRI MADHU LIMAYE: We will sit longer. We will sit up to 7 O'Clock.

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी तो सिर्फ मारुति की कहानी कही है । अभी दो कहानियां और बाकी दें ।

MR. SPEAKER: Mr. Gupta, you should be short so that we can push it through and finish. The second Resolution must have a place. That is why I am appealing to you. (Interruptions).

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, नागरवाला के केस में 60 लाख रुपया आया । क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है कि किसी बैंक ने 60 लाख रुपया टेलीफोन पर दे दिया हो ? बैंक से रुपया मिलता है चेक पर या ड्राफ्ट पर । लेकिन टेलीफोन कोई कर दे कि 60 लाख रुपये की बंगला देश के लिए सीक्रेट फंड की जरूरत है और उस के अन्दर प्राइवेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का हो, फिर प्राइम मिनिस्टर हों और फिर खजांची लेकर चला जाय, मैनेजर भी नहीं, किसी से पूछे भी नहीं और वह ले कर चल दे, मोटर में जा कर उस को सौंप दे, क्या दुनिया के इतिहास में किसी बैंक में ऐसा हुआ है ? ऐसा कहीं नहीं हुआ है ।

दूसरी चीज मल्होत्रा साहब जो यह पैसा लेकर गए थे आज वे मारुति लिमिटेड में काम कर रहे हैं । आज भी मारुति में वे चीफ:

[श्री कंबर लाल गुप्त]

एकाउण्टेंट हैं और मेरी नागरवाला से भी बात हुई है जेल में। मुझे प्रिविलेज हुआ इस बात का कि नागरवाला से मेरी खुद डेढ़ घण्टे बात हुई। उन्होंने यह कहा कि दो बार इन्दिरा जी से मिला हूँ उन्होंने जिफ्र किया मेरे सामने कि मैं दो बार इन्दिरा जी से मिला हूँ। उसी समय से जब मेरी बात हुई तो मैं ने अखबारों से कहा और कुछ अखबारों में बात छपी भी है। उन की बात हुई। लेकिन जो बात समझ में नहीं आती है वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ कि जो रुपया लिया गया वह किस एकाउण्ट में डेबिट किया गया, यह एक बड़ा सवाल है। आप ने नागरवाला को सजा दे दी। एक कन्फेशन करवा लिया और कन्फेशन कराने के बाद सजा दे दी। क्या किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में इस तरह का काम होता है कि बगैर एविडेंस लिये, बगैर गवाही लिए इतने सीरियस केस में जिस में 60 लाख रुपये के एम्बेजलमेन्ट का मामला हो, एक आदमी कन्फेशन कर ले और उस पर उस को सजा दे कर के छुट्टी कर दें। ऐसा किसी कोर्ट में हिन्दुस्तान में नहीं होता। मुझे भी थोड़ा बहुत मालूम है और आप से बहुत से क्रिमिनल लायर भी होंगे वे जानते होंगे। उस का एविडेंस होना चाहिए, उस का कारबोरेशन होना चाहिए। उस के बगैर सजा नहीं मिलती है। लेकिन नागरवाला को सजा दे दी गई और बिल्कुल तीन दिन के अन्दर वह केस हश अप किया गया। जो कन्फेशन लिया गया वह जबर्दस्त लिया गया और वह कन्फेशन क्या है यह किसी को आज तक नहीं पता है। हम चाहते हैं कि वह कन्फेशन गृह मन्त्री जी जनता के सामने रखें कि क्या कन्फेशन है ?

CHAUDHURI CHARAN SINGH:
Whatever papers are available will be placed before the House.

श्री कंबर लाल गुप्त : नागरवाला को सजा हुई तो उसने अपने वकील को कहा

और वकील ने बयान दिया है कि मैं चाहता हूँ कि पर्दाफाश करूँ, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ और पर्दाफाश करना चाहता हूँ। वकील ने अखबारों में यह बात कही और अखबारों में यह बात छपी भी। लेकिन जैसे ही वह बात छपी, उसके एक दो दिन के बाद नागरवाला की मृत्यु हो गई और जिसने तहकीकात की थी, असिस्टेंट सुप्रीटेण्डेंट पुलिस श्री कश्यप, वह भी खत्म हो गया। इस तरह से सारी एविडेंस ही खत्म कर दिया गया। वह खत्म हुई नहीं बल्कि खत्म कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसने कहा था ? मल्होत्रा साहब ने कहा था, जैसे ही आबाज आई प्रधान मन्त्री की, कि माताजी मैं अभी पैसे लाता हूँ। यहाँ पर इतने अफसर बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, क्या कोई अफसर प्राइम मिनिस्टर से इस तरह से बात करेंगे ? हमारे हिनेन्द्र भाई चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे रघुरामैया साहब मिनिस्टर रह चुके हैं क्या कभी उनके साथ किसी अफसर ने इस तरह से बात की है ? क्या किसी अफसर ने कभी भाई साहब कहा है या कभी किसी ने माता जी कहा है ? क्या कोई बैंक का कर्मचारी प्राइम मिनिस्टर को माताजी कहकर एड्रेस करेगा ?

श्री मधु लिमबे : मंनेजर की क्या उम्मीद थी ?

श्री कंबर लाल गुप्त : मंनेजर की उम्मीद इन्दिरा जी की उम्मीद से ज्यादा थी। तो मैं चाहूँगा कि गृह मन्त्री जी इन्क्वायरी करें। मेरे पास इनफार्मेशन नहीं आई है क्योंकि समय थोड़ा था लेकिन मैंने सुना है कि चुनाव के नजदीकी जिस दिन आये उसी दिन स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली से करीब सौ करोड़ रुपया निकाला गया। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि क्या यह बात सही है। इस तरह की प्रैक्टिस वहाँ पर थी। वहाँ रुपया रखा जाता था, बगैर एकाउण्ट के

रखा जाता था या किस एकाउण्ट में रखा जाता था। इसकी इन्क्वायरी सरकार को करवानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि नागर-वाला जब पकड़े गए तो एक दो दिन में उनको तीन मजिस्ट्रेटों के सामने पेश किया गया। पहले एक के पास, पेश हुए, फिर दूसरे के पास पेश हुए और फिर तीसरे के पास पेश किए गए। इसलिए मैं समझता हूँ सारा काण्ड मिस्टीरियस है, मिस्ट्री से भरा हुआ है, उसके ऊपर से पर्दा खुलना चाहिए। जिस दिन बैंक से पैसा निकाला गया उस दिन की बुक्स को और अफसरों को एग्जामिन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, नागरवाला ने गड़ बड़ी की, उसको जो सजा मिली वह इस बात पर मिली कि उसने रुपया इम्बेजिलमेंट किया लेकिन वह रुपया किस एकाउण्ट में था, नागरवाला की बैंकफाउण्ड क्या है, इन्दिरा जी और संजय से कोई सम्बन्ध है या नहीं, मल्होत्रा साहब से सम्बन्ध है या नहीं—इसके बारे में कोर्ट में कुछ नहीं कहा गया। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैंने पुलिस अफसरों से भी बातचीत की है, उन्होंने कहा कि हमने इसके बारे में इन्क्वायरी नहीं की है। क्या वहाँ पर पहले भी रुपया इस तरह से आता जाता रहा है, यह रुपया किस नाम से रखा जाता था या बगैर नाम के रखा जाता था? इस सब बातों की इन्क्वायरी होनी चाहिए। इन बातों की इन्क्वायरी नहीं होगी तो जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनका मिसयूज होता रहेगा। उनका मिसयूज न हो, इसके लिए इन्क्वायरी होना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, सन्तान कमेटी ने कहा है—अगर दस लेजिस्लेटर्स किसी के खिलाफ कह दें, करप्शन के चार्जज लगा दें तो उस की

एन्क्वायरी होनी चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज कमीशन ने भी कहा है कि लोकपाल और लोक-आयुक्त की नियुक्ति होगी, लेकिन बंसी लाल का केस ऐसा है जहाँ 123 पार्लियामेंट के मेम्बरों ने कहा, जहाँ हरियाणा के कई विधायकों ने कहा, हरियाणा के स्पीकर ने कहा, इस सदन में कहा गया, राज्य सभा में कहा गया, हरियाणा असेम्बली में कहा गया, बाहर कहा गया, जितने विरोधी पक्ष थे, तमाम पोलिटिकल पार्टियाँ ने प्रस्ताव पास किये—लेकिन वह सरकार टस-से-मस नहीं हुई। क्यों? इस लिये कि उस ने बेटे को ओब्लाइज किया था, उस के खिलाफ एन्क्वायरी कैसे हो सकती थी। उस ने संजय को ओब्लाइज किया था, अंधर बेटे के साथ प्यार होता ही है, बेटे के प्यार के साथ माँ भी ओब्लाइज थी, इस लिये कुछ नहीं हुआ, खुली छूट बी गई कि कुछ भी करो।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तफसील है, जिस में पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पैसा, करोड़ों रुपया बंसी लाल और उन के साथियों ने खाये। इस में सिर्फ डिटेल ही नहीं है, बल्कि डेट-वाइज ट्रांजेक्शन्ज और जितना एमाउण्ट इन्वाल्ड है—उन सब का जिक्र है। मुझे इस को टेबल पर रखने की आज्ञा दे दीजिये ताकि सब को गानकारी हो सके। इस में करीब 50 केसेज हैं। अगर आप आज्ञा दें तो इस को टेबल पर रख दूँ . . .

MR. SPEAKER: Why do you want to place that on the Table? You are already mentioning that point.

SHRI KANWARLAL GUPTA: Sir, it will take at least one hour to read out these papers. These will give each and every detail. To save time, may I request you kindly to allow me to place. [Placed in Library. See No. LT-111/77]. it on the Table of the House?

MR. SPEAKER: All right. But you have already taken enough time. Please conclude. There are other Members who want to speak.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I will finish my speech within five minutes.

अध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा था कि बंसी लाल ने हरियाणा के हर एक कांग्रेसी एम० एल० ए० को तनख्वाह के अलावा दो-ढाई हजार रुपये महीने की इन्कम बंधवा रखी थी। हर एक के लिये कार का इन्तजाम किया हुआ था, हर एक एम० एल० ए० उस की पाकेट में था, कोई उस के खिलाफ बोल नहीं सकता था। किसी को किसी चीज का चेयरमैन बना दिया, किसी को कारपोरेट का चेयरमैन बना दिया, इस तरह से सारे एम० एल० ए० को खरीद कर, जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन को अपनी जेब में रखा हुआ था। यहां तक कि पब्लिक मीटिंग के अन्दर जो एम० एल० ए० डिफेक्ट कर के आते थे, अपोजीशन से कांग्रेस में जाने थे, उन को 25 हजार कैश नोटों की माला पहनाई जाती थी। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है वहां पर पब्लिक मीटिंग में, 5-10 हजार आदमियों के बीज में 20-25 हजार के कैश नोटों की माला उन के गले में डाली गई।

मैं अब ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं— मैं अब केवल जस्टिस दास को कोट करना चाहता हूं— जस्टिस दास ने कहा था—

“In the Kairon case, Justice Das had observed that three Chief Ministers of the Punjab Government were showing undue and illegal favour to Chief Minister's son obviously to oblige the son and to please the father.”

अध्यक्ष महोदय, जो बात जस्टिस दास ने कैरों के केश में लिखी है, वही बात इन्दिरा जी और संजय गांधी के साथ लागू होती है।

मेरा कहना यह है कि—आज तो कांग्रेस के नेता भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि बंसी लाल को निकाला जाना चाहिये, मैं समझता हूं आप में से भी बहुत से लोग उस मांग पर दस्तखत करने वाले हैं—मेरी मांग है कि होम मिनिस्टर साहब इस की पूरी एंक्वायरी करायें, यहां तो मैंने अधूरी चीज रखी है, वे सारे तथ्य उस कमेटी या कमीशन के सामने आयें। इस में देर नहीं लगनी चाहिये। अगर आप एक कमीशन बैठाना चाहें तो एक बैठायें अन्यथा ये तीन स्केण्डल हैं इस लिये अलग-अलग तीन कमीशन बैठायें। लेकिन देश का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन पवित्र होना चाहिये। आगे से ठीक तरह से प्रजातन्त्र चले, उस के लिये आवश्यक है कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये, उस का जड़ से उन्मूलन होना चाहिये।

हमारे चौधरी चरण सिंह जो गृह मंत्री हैं, इस बात में बहुत प्रसिद्ध हैं कि भ्रष्टाचार समाज में न पनपे और ऐसा मैं मानता हूं कि वे इस की इंक्वायरी करेंगे।

MR. SPEAKER: Motion moved:

“This House calls upon the Government to immediately appoint a high powered Committee consisting of some Members of Parliament, Judges and eminent public men to go into the question of joint deliberate conspiracy by the erstwhile Government of India, Maruti Ltd. and its allied concerns and Shri Bansi Lal (former Chief Minister of Haryana and former Defence Minister of India) against the country and the people such as Maruti and Nagarwala Scandals and numerous illegalities committed by Shri Bansi Lal and submit the report to the Government within three months”.

Now there are two amendments given by Shri Hukmdeo Narain Yadav. Are you moving?

SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV (Madhubani): I beg to move:

That in the resolution,—
add at the end—

“and the Committee be empowered to recommend action against the guilty persons and the Government should implement the recommendations.” (1)

SHRI MADHU LIMAYE: I beg to move:

That in the resolution,—

for “the erstwhile Government of India” substitute—

“former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi.” (2)

SHRI SAMAR GUHA: What about my amendment?

MR. SPEAKER: I do not have any other amendment.

SHRI SAMAR GUHA: I have given an amendment before 10 o'clock.

MR. SPEAKER: I am trying to locate it. I will allow you to move.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस मे जो शब्द “अस्टव्हाइल गवर्नमेट आफ इण्डिया” लिखे हैं और जिन पर श्री उन्नीकृष्णन एतराज कर रहे हैं, उन के लिए मैं ने अपना संशोधन दिया है और यह कहा है कि “अस्टव्हाइल गवर्नमेट आफ इण्डिया” की जगह पर “फोर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जोड़ दिये जाएं। यह ठीक भी है और हमारी प्रोसीडिंग्स मे अगर इस तरह का रेज्यूलूशन रहेगा, तो अच्छा होगा।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : अध्यक्ष जी, श्री कंवर लाल गुप्त जी ने जो यह प्रस्ताव यहां रखा है, उस पर इतना ही मुझे कहना है, क्योंकि आप ने उस के लिए सम्मति दे दी है, कि पहले रूल 173 को आप देख लीजिए।

मेरे ख्याल से ज्यादा लोग उधर के बैठने वाले हिन्दी समझते हैं, इसलिए मैं हिन्दी मे बोलूंगा लेकिन इस रूल को मैं अंग्रेजी मे पढ़ देता हूं।

Rule 173 says:

Conditions of admissibility of resolution:

(i) it shall be clearly and precisely expressed;

(ii) it shall raise substantially one definite issue; And then, later on, (iv) says:

(iv) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their official or public capacity; And (v) says:

(v) it shall not relate to any matter which is subject to adjudication. I specifically want to invite your kind attention to these things because unfortunately this resolution, as we see it, is an omnibus resolution. I am not imputing motives to my friend. Although you Sir, in your wisdom, gave your consent to it, this resolution violates all the 3 conditions required to be satisfied. It is not that one or the other has to be satisfied. Each one of them needs to be satisfied. Take the condition, viz. “it shall raise substantially one definite issue.” This resolution does not do so. I will tell you how. What is the issue raised?

MR. SPEAKER: Are you raising an issue, or replying to him? Half the discussion is over.

SHRI VASANT SATHE: I am pointing these out and opposing the resolution, so that when it comes to vote, I would like to satisfy this House that such a resolution cannot be accepted.

MR. SPEAKER: There is a point of order raised.

SHRI SONU SINGH PATIL (Erandol): The Member is trying to repeat

[Shri Sonu Singh Patel]

the point advanced by Mr. Unnikrishnan. The ruling has already been given.

SHRI VASANT SATHE: I am pointing out to the Members that this resolution, in the form in which it is, does not deserve to be passed. You will ultimately put it to vote. It does not deserve to be passed; and I am giving the reasons for it, based on a salutary principle. There is a principle behind it. The principle is that we stick to one subject.

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि कंवर लाल जी ने यह जो प्रस्ताव यहां रखा है, इसमें मांग की जा रही है कि इसके पहले की सरकार-गवर्नमेंट इंडिया की जो इन्होंने अडॉप्टमेंट रखी है वह जब मंजूर होगी तब होगी—के कारोबार, मारुति लिमिटेड—जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का भाग नहीं है—के कारोबार, और जो एक स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उनके कारोबार की जांच की जाए। यह तीनों चीजें उन्होंने एक साथ रख दी हैं और उसके साथ साथ नागरवाला स्केण्डल को रिवाइव करने की मांग भी कर डाली है। मैं निवेदन करता चाहता हूं कि साहब जो इंचायरी कमेटी बनेगी वह क्या इन सबको एक साथ देख सकती है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : अलग अलग कर दें।

श्री वसन्त साठे : जी हां हम चाहते हैं कि अलग अलग आएं।

Nobody in his senses would ever say that justice should not be done. If a matter needs to be enquired into, an enquiry should be held. I am not on that point. I am saying that in the form you are asking for an enquiry, instead of leading to justice, it will lead to injustice, because it will be an omnibus enquiry into all conceivable matters. If it is an omnibus enquiry into the deeds of the previous Government, how long do we go?

Are we going only up to Nagarwala? Why not beyond that? Why not go into the bad deeds of the Government for all these 30 years? Why not the Janata Government have an omnibus enquiry into all the matters of corruption, alleged or otherwise, since independence? That will include enquiries into allegations against members like Shri Biju Patnaik, enquiries into the allegations made by my hon. friend, Shri Madhu Limaye, against the son of Shri Morarji Desai. That will bring in everything. Why exclude anybody? If you include everything, then justice will be done. For instance, enquiries have been held and reports have come against Shri Prakash Singh Badal. That will also be covered by that enquiry. Therefore, those who seek justice must go with clean hands. That is the principle of jurisprudence.

I do not think anybody will have any grudge against an enquiry. Let us have an enquiry, an omnibus enquiry. I will support that. But it should not relate only to the last ten years; it should relate to the last 30 years. As one Member stated the other day, now a new chapter has started, according to him, when a second Republic is born; one Republic of 30 years has gone. They have brought about the death of that Republic. India is now born into a new Republic, a Janata Republic. Very good. Now let us enquire into the commissions and omissions, a complete *post mortem*, a complete heart-searching, and punish everyone who is guilty from the time of independence, if they are alive. If they are dead, well we can have the consolation that God has punished them; we cannot help it. But, in the case of those who are alive, let everyone be punished, if found guilty. Let no one be spared. Otherwise, you are liable to the charge of being vindictive. If you say that you are going to begin only from the day the Indira Gandhi Government took over, then that will be open to the charge of vindictiveness against a few persons. You are only exposing yourself by that.

Therefore, if Shri Kanwar Lal Gupta wants justice, if he is really sincere and impartial about it, I would beg of him to amend this Resolution to say that you will have a total omnibus enquiry into all matters. I do not mind even if it is a parliamentary enquiry, though it may take a longer time, if you want it so.

श्री मधु लिमये : आप एक नया प्रस्ताव ले आए ।

SHRI VASANT SATHE: As was pointed out, in the case of Maruti so many persons have been given agencies and one of them was even thrown into jail under MISA. Now everybody is free and they have opportunities of filing private suits for recovery.

Here, what are they asking for? If there is a judicial enquiry, an impartial person will preside and there is a procedure for conducting it. Here he wants Members of Parliament to be included. If Members of Parliament are included, it cannot be a judicial enquiry strictly. Then he wants eminent public men also to be included. Thereby we will have a committee which will be neither judicial nor quasi-judicial. What kind of committee will that be? will it inspire confidence?

Secondly, it will be a fishing enquiry because you are bringing here everything under the sun, as it were. You are not specific confining yourself to a particular subject. I can understand if he had said that there should be an enquiry into the affairs of Maruti Limited and that there should be a report within three months. That is understandable, but this raises a doubt because you are asking for a fishing enquiry. Kindly see the wording. It says:

“...Maruti and Nagarwala Scandals and numerous illegalities committed by Shri Bansi Lal...”

Where will it lead to? Therefore, I submit, without imputing any motives to my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta, that the resolution is not proper for two reasons, namely that it is

not specific and that it does not talk of a judicial enquiry but a fishing enquiry which will politicalise it. The moment you politicalise it, it will lose all its significance, it will only lead to a vindictive attitude of victimisation. Therefore, I submit that this resolution is not proper. This resolution is not intended to do justice or bring people to justice, but is only a political resolution which betrays the intention or motive of victimisation. This is the impression that will be created.

On the one hand, you do not want to bring in all those who were before here in the Government; on the other hand, it is not confined to a specific subject. So, the intention does not appear to be to get justice or bring to book the wrong-doers, but to have a fishing enquiry in the same spirit or pattern which was betrayed of character assassination. That will be the impression created by this resolution.

If you want justice, the resolution must be of a different type. We oppose this resolution, the spirit behind it, and the contents in it and the form in which it is given.

AN HON. MEMBER: You are a very good advocate of corruption.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री साठे जी का भाषण ध्यान से सुना । मेरी राय मैं उसका पहला जो हिस्सा था, वह बिलकुल बेमतलब था, क्योंकि जब अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रक्रिया के बारे में निर्णय दिया जा चुका है तो उसके बाद उसके सम्बन्ध में कुछ कहना बहुत ही अनावश्यक और गैर-मुनासिब भी है ।

एक बात से मैं सहमत हो सकता हूँ कि जो भी जांच हो, न्यायिक और निष्पक्ष जांच हो और किसी भी व्यक्ति विद्देश की भावना से वह प्रेरित न हो, यह मैं मानता हूँ । लेकिन साथ ही साथ मुझे यह सुनकर बड़ा अचरज ही रहा है कि जिन व्यक्तियों ने आप लोगों को प्रतिपक्ष में बैठा दिया, उन व्यक्तियों

[श्री मधु लिमये]

के बारे में आपका मोह अभी भी नहीं टूट रहा है मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है। आप व्यक्ति पूजा करते रहे, मैं आपको दोषी ठहराता हूँ, आप लोगों ने इन्दिरा जी का पर्सनल कल्ट इस देश में स्थापित करने का प्रयास किया 1971 में गरीबी हटाओ के नाम पर जनता को आपने ठगा और जैसे ही 5 साल पूरे होने लगे और आपको ऐसा लगा कि जब वोट दिया जायेगा लोक-सभा के चुनाव के लिये तो आप बुरी तरह हारेंगे तो आपने इस संकटकाल की घोषणा कर के अपनी जान को बचाने का प्रयास किया।

श्री बसन्त साठे : संकट काल के दौरान . .

श्री मधु लिमये : साठे जी, मैं आपका भाषण शांति से सुन रहा था, अगर आपको बोलना है तो मैं बैठ जाता हूँ, आप बोल लीजिये, मैं फिर बोलूँगा।

श्री बसन्त साठे : आप व्यक्ति पूजा की बात करते हैं, जितनी व्यक्ति पूजा आप अद्वैत स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की करते हैं, उतनी हम इन्दिरा जी की नहीं करते हैं।

श्री मधु लिमये : आप डा० राम मनोहर लोहिया और इन्दिरा जी की तुलना कर रहे हैं।

श्री बसन्त साठे : प्रतिक प्रारण में वह बहुत बड़े हो सकते हैं।

श्री मधु लिमये : राम मनोहर लोहिया की तुलना इन्दिरा जी से कर रहे थे

MR. SPEAKER: Mr. Madhu Limaye, one minute. We can avoid this trouble. If he begins to address you and you begin to address him, then it cannot be avoided. You address the Chair. You are not going through the Chair at all. If you want to avoid this party or that

party, why don't you do it so that I can take the blame of both of you.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये बैठ या कि मुझे लगा कि श्री वसन्त राव साठे कोई बढ़िया मुद्दा सदन के सामने रख रहे हैं। अच्छा विवाद हो, इस दृष्टि से मैं बैठ गया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन लोगों का मोह उन व्यक्तियों के बारे में अभी भी नहीं टूटा है, और एक नया पड़ोस अभी से शुरू हो गया है कि उस व्यक्ति को और उस परिवार को कैसे जल्द से जल्द वापिस लाया जाये। जहाँ व्यक्ति विद्वेष नहीं होना चाहिये, वहाँ जिन लोगों ने इस देश के साथ गद्दारी की, 60 करोड़ लोगों को तकलीफ दी, पीड़ा दी, उन व्यक्तियों के बारे में क्या हम इतना भी नहीं कह सकते हैं कि न्याय के आधार पर उनको सजा मिलनी चाहिये ?

मैं आपकी मार्फत कांग्रेस दल के सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि भूलो और बिसरो की आप बात करते हैं, मैं बहुत कुछ भूलने और बिसरने के लिये तैयार हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछूँगा कि क्या उनको भूला जा सकता है ? हम लोगों को बिना कसूर, बिना वजह भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने जेल में डाल दिया। इस को मैं भूल सकता हूँ, माफ़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि 18 साल की उम्र से हम ने यही घंघा किया है, अन्याय के खिलाफ़ लड़ते लड़ते हम जेल में जाते ही रहे हैं। मुझे वह तकलीफ़ नहीं है। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जिन की उम्र उम्र समय 80 साल थी, हमारे गृह मंत्री, जो लाखों लाख किसानों के नेता हैं, जिन की उम्र 74 साल थी और लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिन की उम्र 72 साल थी उनको इन्दिरा गांधी ने जेल दिया, क्या इस को कभी भूला जा सकता है ? मेरे मित्र, जार्ज फ़रनेंडीज़, को आप ने हथकड़ी लगाई, जंजीरों से बांधा, उन के भाइयों को आप ने टार्चर किया। फिर भी मैं भुलाने और

विसराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारे बुजुर्ग नेताओं की जो तौहीन की गई, क्या उस को भुलाया जा सकता है ?

17.00 hrs.

जब मैं अपने क्षेत्र में पहुंचा तो पहली बड़ी सभा 24 फरवरी को मुंगेर जिले में झाझा क्षेत्र में हुई। बाराजोर पंचायत के निवासी, रामेश्वर रविदास ने, जो चमार जाति का हरिजन था, मुझे टोका और एक आवेदन-पत्र दिया, जिस में उस ने कहा कि उस के 14 साल के लड़के को आसनसोल स्टेशन पर पकड़ा गया और उस को गया रेलवे अस्पताल में ले जा कर उस पर जबरन नवबन्दी आपरेशन किया गया। इसी प्रकार झाझा क्षेत्र के धुधुलडिह ग्राम के 12 साल के लड़के, ब्रह्मदेव पासवान, और बांका क्षेत्र के 15 साल के लड़के, लाल मोहन हरिजन, का भी नसबन्दी आपरेशन किया गया। लोग कह रहे हैं कि भूलो और विसराओ। मैं कहना चाहता हूँ कि हम भूलने और विसराने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह की जो बातें हुई हैं, उन को भूला नहीं जा सकता है।

इस प्रस्ताव की शब्दावली के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस से बढ़िया प्रस्ताव भी बन सकता है। मुझे ऐसा लगा कि अगर इस में भारत सरकार के षड्यंत्र का उल्लेख न होता, तो बेहतर होता। इसी लिए मैं ने "भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी" शब्द जोड़े हैं।

मेरे मित्र, श्री कंवर लाल गुप्त, ने इस बहस को इस लिए उठाया है कि वह देश का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि विगत सात आठ वर्षों में हमारे देश में एक व्यक्ति का शासन कायम हो गया, एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता इकट्ठा होने लगी, जिस के दुष्परिणाम हम लोगों और आप लोगों को तो भुगतने ही पड़े लेकिन सब से तकलीफ़ की बात यह है कि इस देश और उस की साठ करोड़ जनता को भी भुगतने पड़े। मेरी राय यह है कि इस प्रस्ताव के बारे में गृह मंत्री

तो अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन हम में से जिन लोगों के पास ठोस तथ्य हैं, वे सभी प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के सामने आवेदन-पत्रों के द्वारा उन ठोस तथ्यों को रखें। प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को उस पर विचार करने का मौका मिले और प्राथमिक जांच होने के बाद सरकार कमीशन की नियुक्ति के बारे में फ़ैसला करे।

इस विषय से सम्बन्धित कुछ बातें मैं आप के सामने रखना चाहता हूँ। संकट-काल से पहले इस सदन के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री गुरदयाल सिंह दिल्ली के काम को मैं ने दो साल तक देखा और मेरे मन पर यह असर हुआ कि जब कभी मैं जनहित में माहति और श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के विषय में कोई प्रश्न उठाता था, तो उन के द्वारा उस में अड़ंगा लगाया जाता था। और इसलिए मैं ने अविश्वास का प्रस्ताव यहां दिया था। मैं ने वह डिवेट मंगवायी है, अभी तक क्यों नहीं आई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वह प्रस्ताव अगर मैं इस वक्त पढ़ कर सुनाऊंगा तो आप को पता चलेगा कि केवल संकट काल के दौरान ये बातें नहीं हुई हैं। 1969 के बाद धीरे धीरे अधिनायकवाद की ओर देश चला जा रहा था। मैं आज यह बात कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। यह मेरी पुस्तिका है। यह एमजेंसी के पहले की लिखी हुई है और दीन दयाल शोध संस्थान में जो परिसंवाद हुआ था, जिस की अध्यक्षता स्वर्गीय सुव्वाराव जी ने की थी जिसमें और बहुत सारे बड़े बड़े अधिवक्ता और न्याय के जानकर, न्यायविद सब आए थे, उन के सामने मैंने यह कहा था। मैं इसलिए उद्धृत करता हूँ कि इस प्रस्ताव का आधार यह है। इस में सब से ज्यादा आपत्ति मैं ने इस बात पर उठाई थी कि पहली बार प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री के सचिवालय नाम की संस्था का इस ढंग से इस्तेमाल किया है कि संसदीय लोकतंत्र के जो आधार होते हैं वे सारे खत्म हो गए।

[श्री नथु लिमये]

कोई भी निर्णय विभागीय मंत्री अपने दायरे के अन्दर अपनी मर्यादा के अन्दर रह कर भी नहीं ले सकता था। सारी फाइलें प्रधान मंत्री के सेक्रेटरिएट को जाती थीं। सारे जासूसी विभाग जो पहले कई मंत्रालयों के साथ जुड़े हुए थे वे सारे विभाग प्रधान मंत्री के मातहत आ गए—इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी बी आई जो पहिले गृह मंत्री के साथ जुड़ हुए थे वे इन्दिरा जी के साथ आ गए। रेवन्यू इंटेलिजेंस और डायरेक्टोरेट आफ इन्फोसमेंट—आप तो जानते हैं अविश्वास का प्रस्ताव मैं ने इसी पर रखा था, मैं ने इसी सदन में इसी प्रश्न को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा था कि एन्फोसमेंट डायरेक्टोरेट और रेवन्यू इंटेलिजेंस जैसे विभाग जब मोरार जी भाई वित्त मंत्री थे, कृष्णमचारी वित्त मंत्री थे तो उन के साथ थे, वे भी प्रधान मंत्री के तहत आ गए। इसी तरह काउंटर इंटेलिजेंस जिस को कहा जाता है या रा, काफी बदनाम नाम हो गया है, इसका भी इस्तेमाल कैसे किया गया? आप को ताज्जुब होगा कि विगत कुछ ही वर्षों में इन दमन के हथियारों का इतने बड़ पैमाने पर विस्तार किया गया है, मैं सारे आंकड़े गृह मंत्रालय की मांग पर जब चर्चा होगी तब देने वाला हूँ। इतना बड़ा विस्तार किया गया, इतने नये लोगों को उस के साथ जोड़ा गया कि जो अधिकारी, जो अफसर चापलूस और खुशामदखोर थे उन्हीं लोगों को इन में भर्ती किया गया विरोध पक्ष के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए भी झूठी रपट तैयार करने का काम प्रधान मंत्री के सचिवालय में और इन जासूसी विभागों में होता था। यह इस की पृष्ठभूमि है।

मारुति लिमिटेड का सवाल कई बार हम लोगों ने उठाया है। मैं आज नई जानकारी देना चाहता हूँ। सदन के वादविवाद की जो पुस्तकें हैं उन में य सारी बातें हैं, उन को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। यहां 1973-74

अप्रैल 75 में जब मैं आया तो मैं ने कई बार यह सवाल उठाया कि मारुति कार प्रोजेक्ट के लिए यह कहा गया था कि कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जायगी और यह 100 प्रतिशत स्वदेशी कार होगी। यह भी कहा गया कि यह जनता कार होगी। जनता शब्द का प्रयोग तो हास्यास्पद ही है। जिस देश के करोड़ों लोगों को मामूली साइकिल भी नसीब नहीं है उस देश के अन्दर जनता का की बात करना तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। लेकिन फिर भी यह बात चली थी। जैसे जर्मनी में वोक्स वैनगन है ऐसे ही हमारे यहां यह मारुति कार है। इसके लिए आयातित मशीनरी दी गई है यह मुझे खबर मिली है। क्या इन्होंने तरीका अपनाया कि हम लोभ पूर्वी जर्मनी, जेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि पूर्वी यूरोपीय देशों से वर्कशाप मशीनरी के नाम पर, स्टॉक एंड सेल्स के नाम पर काफी पांच छः सौ करोड़ रुपये की, मशीनरी मंगाते थे। और इन्होंने क्या किया? चुपके से मारुति लिमिटेड के लिए जो मशीनरी चाहिए उसके स्पेसिफिकेशन दे दिये गए और उस तरह की मशीनरी मंगवाई गई। इसके बारे में मैंने जब प्रश्न किया तो कई दफा तो स्पीकर साहब ने इस प्रश्न को दबाने का प्रयास किया। मारुति के बारे में मैं ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर अभी आने बाकी है। आप ऐसा मत समझिए कि मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। मैं ने एक बार अगर कोई सवाल उठाया तो उसका पूरा पीछा करूंगा। लेकिन मुद्रा यह है कि जिन लोगों ने इस प्रश्न का जवाब देने के लिए जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया उनके बारे में प्रधान मंत्री ने उद्योग मंत्री को बुलाया और कहा कि यह क्या कर रहे हैं? आप मारुति के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं? इस पर उद्योग मंत्री ने कहा पार्लिमेन्ट में सवाल स्वीकार किया गया है, मुझे जवाब देना है तो कुछ जानकारी चाहिए ही।

एक माननीय सदस्य : कौम थे उद्योग मंत्री ?

श्री मधु लिमये : इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट मिनिस्टर कौन थे, आप भी जानते हैं इसलिए नाम में मत जाइये ।

एक माननीय सदस्य : दिनेश सिंह ?

श्री मधु लिमये : दिनेश सिंह नहीं, श्री टी० ए० पाई जो इस समय मौजूद नहीं हैं । उनकी जानकारी में जिन अफसरों ने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया उनके खिलाफ प्रधान मंत्री ने सी०बी०आई० को छापे का आदेश दे दिया । मैं एक प्रिविलेज का सवाल भी उठाने वाला हूँ क्योंकि पार्लमेन्ट को जानकारी देने के लिए जो जांच मंत्रियों द्वारा की जाती है उसके लिए अगर सी० बी० आई० की रेड्स होंगी तो क्या पार्लमेन्ट चलेगी ? क्या इस तरह से पार्लमेन्ट की गरिमा रहेगी ? उन अफसरों में से एक ने त्याग-पत्र दे दिया और एक ने खुदकशी की है ।

इस सदन में मैंने कई बार जगोटा ब्रदर्स का काण्ड उठाया तो स्पीकर साहब ने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्या आप प्रधान मंत्री पर बार बार हमला करेंगे । मैंने कभी कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया । अगर किसी ने किया तो उसको मैंने रोका है कि औरत के बारे में अभद्र बात नहीं कहनी चाहिए । लेकिन प्रधान मंत्री के नाते उनके जो सार्वजनिक कार्य हैं उनके बारे में अगर नियमों के अधीन रह कर मैं सवाल पूछता हूँ तो स्पीकर साहब मुझ को कहते हैं कि प्रधान मंत्री पर बार बार हमला करेंगे तो मैं आपको संरक्षण नहीं दे सकता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आप भी दो साल इस सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं क्या किसी स्पीकर को यह बात शोभा देती है ? उसी दिन मैं समझ गया था कि लोकतंत्र मर रहा है और स्पीकर के खिलाफ मैं अविश्वास प्रस्ताव लाया । आप पढ़ें उसमें मेरे क्या आरोप हैं । संसद में सार्वजनिक हित में भ्रष्टाचार के विरोध में

बहस को होने नहीं देते हैं और स्पीकर साहब सरकारी पार्टी से मिल कर काम करते हैं—यह मेरे आरोप थे ।

आप एक और नया मामला लीजिए । मारुति को इजाजत मिली, मैं (एम०ए०एन०) नाम की जर्मन कम्पनी है उसके साथ कोलंब-रेशन एग््रीमेंट किया और रिज़र्व बैंक के विरोध के बावजूद 30 लाख की विदेशी मुद्रा उसको दी गई । इसी तरह से इन्टर्नैशनल हार्वेस्ट के पाइपर एअरक्राफ्ट का मामला है । औद्योगिक मंत्रालय का सर्कुलर था विभिन्न उद्योगों को कि उन्हें अपनी पैदावार बढ़ाने का, विस्तार करने का अधिकार दिया जायेगा । इसी नियम के तहत, उस सर्कुलर के तहत मारुति को भी दिया गया, लेकिन यह नहीं पूछा गया कि मारुति की कोई पैदावार भी है या नहीं । जिस कम्पनी की पैदावार बहुत अधिक है, जो पैदावार बढ़ाने का काम कर रही है, उस यूनिट को आप देते हैं तो वह राष्ट्रीय हित में है—ऐसा आप कह सकते हैं । लेकिन जिस कम्पनी की कोई पैदावार नहीं है, उस को केवल उसकी इंस्टाल्ड कैपेसिटी का मूल्य लेकर, 50 हजार गाड़ियों का जो मूल्य होगा, उसके कुछ अनुपात में या उसके आधार पर इन को रोड-रोलर्स और बस-बाडी-बिल्डिंग की इजाजत दी गई । उसके लिए विभिन्न राज्यों के पी०डब्लू०डी० और ट्रांसपोर्ट विभागों पर दबाव डाला गया । आप बतलाइये—इसकी जांच होनी चाहिये या नहीं ?

भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जब हम लोग जेलों में बन्द थे तो हम पढ़ते थे, विरोध पक्ष के सदस्यों पर आरोप लगाती थीं कि ये विदेशों से मिले हुए हैं, विदेशी धन पाते हैं । मैं कहता हूँ—माननीय गृह मंत्री जी से—सब की जांच की जाय और जो तथ्य है वह देश के सामने, सदन के सामने आये । इसमें मुझे कोई शबरहट नहीं है, जो दोषी है, उन को सजा हो, लेकिन इस तरह का गोल-माल

[श्री मधु लिमये]

वैग एलीवेशन करना, खास कर मेरे मित्र जार्ज फरनैन्डिज के बारे में क्लह गया— मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत की प्रधान मंत्री का लड़का एक विदेशी कम्पनी का डीलर नहीं था ? वह कमीशन एजेंट बना, क्या यह भारत की इज्जत और प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाता है ? मैं पूछना चाहता हूँ— प्रधान मंत्री का लड़का जब विदेशी कम्पनी का एजेंट बन कर उद्योगपतियों से कहे कि मेरे विमान खरीदो, राज्य सरकारों पर दबाव डाले कि मेरे विमान खरीदो, तो क्या इससे भारत का चेहरा बिगड़ता नहीं है ? जिस प्रधान मंत्री के चुनाव को देश के उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया, वह लोक सभा में भाषण नहीं दे सकती थीं, वोट नहीं दे सकती थीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिला-शर्त स्थगन आदेश नहीं दिये, ऐसे प्रधान मंत्री के कुर्सी पर रहने से हिन्दुस्तान का चेहरा बनता है या बिगड़ता है—ये सारी बातें हैं जिनकी मैं जांच चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, यह जगोटा ब्रदर्स का जो मामला है—एक भाई अभी जेल में सड़ रहा है, अगर इसकी सही जांच होगी तो बहुत सारे रहस्य खुल जायेंगे कि प्रधान मंत्री का बेटा क्या-क्या कर सकता है । कितने लोगों को जेल में सड़ाया, उसमें चलते कितने लोग मरे हैं—ये सारे तथ्य सामने आजायेंगे ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ— हम लोगों ने चौथी लोक सभा में उम समय के उद्योग मंत्री मरहम श्री फकहद्दीन-अली-अहमद के सामने एक निजी सदस्य का बिल रखा था जिस में कहा गया था कि कम्पनीज डोनेशन्स पर पाबन्दी लगाई जाय, इस लिए कि उद्योग-पतियों का राजनीति पर प्रभाव न पड़े । यह मेरा उद्देश्य था, लेकिन व्यवहार में क्या हुआ ? व्यवहार में उद्योगपतियों का असर बढ़ता गया भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया और इसी चुनाव में मेरी जानकारी है कि अकेले मपतलाल गुप्त ने—गृह मंत्री जी आप इसकी जांच कीजिए, कम्पनी ला

मिनिस्टर को भी इसमें दखल देना चाहिए—52 लाख रुपए के इश्तिहार सोविनार्स के लिये दिए और कई सोविनार्स तो ऐसे हैं जो प्रकाशित ही नहीं हुए । क्या सोविनार्स के लिये विज्ञापन देना और 52 लाख रुपये के विज्ञापन देना कम्पनी कानून की अवहेलना नहीं है ?

इण्डियन टबैको कम्पनी ने एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विज्ञापन दिए हैं । यह विदेशी कम्पनी है, सिगरेट के धन्धे में छाई हुई है, इस कम्पनी के प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्रों के सचिवालय में काम करने वाले लोगों के साथ बड़े मधुर संबंध थे । इस देश में एक अजीब बात चल रही है । सोशलिस्ट विचारधारा के लिये ये लोग कम्यूनिज्म का आधार लेते हैं, लेकिन इनका आचरण देखेंगे तो इतना भ्रष्ट आचरण है कि विदेशी पूंजी और स्वदेशी पूंजी के साथ मेल रखते हैं । इस रहस्य को खोलने का काम जनता पार्टी की हुकूमत को करना चाहिए । इस देश में अब नकली वामपंथ को चलने नहीं देंगे । करोड़पतियों का समर्थन करने के लिए समाजवाद की या वामपंथी की बात करना गरीबों के साथ धोखाधड़ी है ।

आज जनता पार्टी इस के लिए कटिबद्ध है कि किसानों का, गरीबों, हरिजनों और आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का हित करने के लिए इन कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा लेकिन अब आपका नकली वामपंथ नहीं चलने देंगे । आपने देश को बहुत बड़ा नुकसान किया है । ये वामपंथी लोग ऐसे प्रासादों में रहते हैं कि अगर आप को सैर में करा दें तो आप पाएंगे कि इन का एक एक दिन का खर्चा एक एक हजार रुपए से कम नहीं है । इनके घरों में प्राइवेट वार्स लगे हुए हैं और पांच पांच एयर कन्डीसर्न्स लगे हुए हैं । ये अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस सारी बातों के बारे में मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि मैं एक मैमोरेन्डम तैयार करने में लगा हूँ और मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि वे भी ठोस तथ्यों

के आधार पर अपने आवेदन पत्र सरकार के पास भेजे। श्री कंवर लाल गुप्त जी के बारे में मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि उन का उद्देश्य इस बहस को उठाने का यह था कि मुल्क का ध्यान इस ओर दिलाया जाए। भूलो और बिसरो, चम्हाण साहब कहते हैं कि भूलो और बिसरो यह बात नहीं होगी। अब नये गुल खिलने वाले हैं और पापों पर से पर्दा हटेगा और चेहरे बेनकाब हो जायेंगे भ्रष्टाचार और तानाशाही के।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

MR. SPEAKER: Mr. Stephen.

SOME HON. MEMBERS: *rose*—

MR. SPEAKER: I do not mind giving chance to all of you, but we want to take up the second resolution also. You know, after all, they are feeling that they are the aggrieved party. If you accuse them, they have to defend themselves. If I do not give them a chance, to whom else shall I give? All of you are accusing, including the CPI(M); they have to defend themselves. Mr. Stephen.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): I rise to oppose the Resolution. I oppose not the inquiry part of it, not the proposal made that there may be an inquiry about anything. We have no opposition to that. But I oppose this resolution because, in my opinion the resolution is not framed in such a manner as to be in conformity with the dignity of this House.

Before I elaborate on that, I would like to make one thing very clear. Mr. Madhu Limaye has been repeatedly saying that there was a plea from this side for 'Forget and forgive'. We have no such plea at all. Nobody from this side has ever pleaded for forgetting and forgiving. There need be no forgiving. As to whether it should be forgotten, that is a matter subjective to the capacity of the person concerned. Forgiving there need not be. Forgiving whom? If

anybody has committed a crime against the people, if anybody has committed a crime against the country, then it will not be within the right of anybody to forgive anybody at all. We have no plea for forgiving at all. That we make very clear.

Now, my anxiety is that a document passed by this House must be such as to be of the level that the Lok Sabha of India is. For an inquiry a resolution of this House is not necessary. Anybody who has been following the thinking of the Janata Party and anybody who knows the composition of the Janata Party and certain elements which constitute it—I do not mean everybody, but some elements which constitute it—needs no astrologer to tell him that there will certainly be a witch-hunting. But let not the House be a party to that. That is what I am pleading. There is a Commission of Enquiry Act in this country. There is the CBI. The easiest and the cleanest method for the Government is to act through the CBI—the Central Vigilance Section and to resort to the Commission of Enquiry Act. Let enquiry on specific charges be instituted to bring to book the persons who have besmirched anybody if at all such persons are there. For that rubber stamping by this House is not necessary. Let this House not be called upon to give its approval for that sort of purpose. What does this Resolution say:

"This House calls upon the Government to immediately appoint a High powered Committee"
(Interruptions).

There are certain factors which I am opposing. I am opposing the assertion—'Joint deliberate conspiracy'. Well, the conspiracy has got to be joint. There cannot be a unilateral conspiracy. A conspiracy has necessarily to be joint. How else can there be a conspiracy? Conspiracy has got to be deliberate. There cannot be an involuntary conspiracy. Therefore, these two terms—adjectives—are absolutely unnecessary. If it is a conspiracy, it has

[Shri C. M. Stephen]

necessarily to be joint. It has necessarily to be deliberate. If these two elements are not there, it is not a conspiracy at all.

Who is a party to this conspiracy? It is the most dangerous part of it. The Government of India is involved in a conspiracy. Let us remember—Governments will come, Cabinets will come and they will go. Cabinet is there with the support of the Parliament of India. You cannot think of the Government of India without the Parliament of India and the Government of India carries on with the Parliament of India. To say that the Government of India is involved in a conspiracy against the country and against the people is too far fetched a statement to be made. I would humbly warn the House that we cannot approve of such sort of thing.

The Government of India, Maruti Ltd and its allied concerns have entered into conspiracy. For what? Nobody says and for what purpose, it is not stated. The conspiracy against the country, the conspiracy against the people has its own connotation. Every act of corruption is not an act against the country. Every defrauding is not an act against the country.

Shri Gupta has narrated to the House—selling and buying of shares, defrauding of some money, collecting of some advances but not returning. Would that amount to conspiracy by the Government of India against the country and the people of this country?

I am not against an enquiry, but I am against the way and the far fetched phraseology.

“Deliberate conspiracy by the erstwhile Government of India, Maruti Ltd. and its allied concerns and Shri Bansi Lal”—it means Shri Bansi Lal is not there as a part of the Government of India. If that is so, Shri Bansi Lal will not be mentioned separately.

Shri Bansi Lal is a part of the Government of India. Bansi Lal cannot be treated separate. If Shri Bansi Lal is treated as separate, there is a question of propriety which I am raising.

Shri Bansi Lal is to-day a Member of the Rajya Sabha. It is a convention that we observe between the Lok Sabha and the Rajya Sabha that if there is any allegation against a Member of a House, the allegation is raised in that House and not in the other House. If Shri Bansi Lal is treated as part of the Government of India, then the question is different. If Shri Bansi Lal is treated as part of the Haryana State, then also my submission is—by the convention that we have been following—that the Parliament of India does not step into that area. The Government of India can step in. The Parliament of India does not step in.

There has been a ruling in this House that where the matter concerns directly a State, then it cannot be made a subject matter of a Resolution here. Now I am only analysing this. The implication is, you are treating Shri Bansi Lal as a simple individual, an individual who is a Member of the Rajya Sabha, and you want an enquiry against him. It is not in his official capacity, but in some other capacity. His official capacity is quite clear. If you had merely said, Government of India, one can understand. My analysis will clearly show that there is absolutely certain clumsiness of thought about it. You say about ‘numerous illegalities committed by Shri Bansi Lal’. Sir, before we pass a Resolution that there should be an enquiry, this House must be satisfied that there is a conspiracy. The House must be satisfied that there are certain irregularities. If this House is to be satisfied that there are certain irregularities, the House must know what those irregularities are. The House must be in possession of facts to establish that these acts are acts of irregularities. Without having that data, is it proper for this House to make an

assertion that there is a conspiracy? Is it proper for this House to make an assertion that there are irregularities? Can we pass a resolution on hypothetical propositions or on hypothesis? My humble submission is that this is not in conformity with the parliamentary conventions which we have to observe. I can understand if there is a single line resolution saying that a commission of enquiry may be instituted with respect to this thing or that thing. I can understand such a thing. But all these ramifications here have brought in difficulties to my parliamentary mind and that is why I am raising my objection to it.

And finally, Sir, what is the sort of inquiry asked for? You want a commission consisting of Members of Parliament, officers, judges, publicmen,—a whole lot of them. Why should Members of Parliament be drawn into this? There is an Act. You can have an inquiry only under such an Act. Merely because you pass a resolution. You cannot have an inquiry which is having a legal sanction. You can have it only under the Commission of Inquiry Act. Therefore I object to the composition of the commission. My objection is with respect to the assertion that there is a conspiracy. My objection is with respect to the assertion that the Government of India is involved in a conspiracy against the country. I have very sound objection on all these grounds. I would plead with my friends on the other side that this is too far-fetched an assertion to make that the Government of India, erstwhile or present or the forthcoming, is, or going to be in a conspiracy against the country. And, what is the conspiracy? That a company has been handling things in such a manner as to make some money. To call it a conspiracy against the country is a misstatement of fact.

Sir, even conceding that certain things have happened, to characterise it as a conspiracy against the country and against the people of the country is a statement which would have no

validity at all, which will completely denude the implication of the phraseology of conspiracy against the country.

You say, numerous irregularities committed by Shri Bansi Lal. He is a Member of Rajya Sabha. The resolution should come there, not here. Our Parliamentary convention is that no allegation against a member of a particular House is permitted to be raised in the other House. That we should not contravene. That is why I am pleading this. We have had enough discussion. It is open to the Government of India to order an inquiry if they want it. As far as we are concerned—and as time will prove—our hands are clean and that will be proved to be clean, I have no doubt.

I oppose the Resolution on the grounds which I have stipulated, not because I oppose an inquiry, but because this House should not be a party to passing a resolution so clumsily drawn up. These are the respectful submissions which I wanted to make.

MR. SPEAKER: I have not called the other parties. Two of them who have already spoken are from the Janata Party and two from this side. The C.P.M. and other groups are also there. My only worry is whether this second resolution can be taken up or not. We can talk it over. There is absolutely no difficulty. I am only worried that the second resolution will get lost.

Therefore, may I request the hon. Home Minister to reply? Would you not give him ten minutes. (*Interruptions*).

If two from this side and two from that side want to speak, I have no objection. I shall go on allowing it and then adjourn the House. I am here saying this for the convenience of the House; let me ask the Home Minister to speak and let Shri Kanwarlal Gupta reply. Thereafter, we shall take up the second Resolution. So, may I ask the Home Minister to speak?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Mr. Speaker, Sir,...

MR. SPEAKER: If I were to call you, then I may have to call everybody who wants to speak. I do not know whether I have done justice. I have to do justice to all sides.

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. SPEAKER: No, please. I am on my legs. I cannot allow, you. I have no objection absolutely if I have to call one from here and one from the other side. If I allow from this side, I should call those who are accused. You are accusing them; they are also accusing you. I think that I have done justice and I have not done any injustice to anyone. May I call the Home Minister?

SEVERAL HON MEMBERS: Oh, yes.

गृह मंत्री (बोधरी चरण सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ा छोटा सा बयान अंग्रेजी में देने जा रहा हूँ। मैं यह समझना हूँ कि उस बयान के सुनने के बाद दोनों पक्षों के किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत नहीं रहेगी।

I have heard patiently and with due attention the debate on the Resolution tabled by the hon'ble Member demanding a probe into various matters relating to the Maruti Ltd., the Nagarwala Case and the complaints against Shri Bansi Lal, former Chief Minister of Haryana and former Defence Minister of India.

The matters raised are of considerable public importance and do require a thorough probe. The present Government is committed to give a clean administration to the people and it stands for the observance of the highest traditions of probity, morality and integrity in public life.

Although the resolution refers only to one basic issue of corruption and conspiracy against the country, the illustrations refer to three distinct matters. Therefore, the Government propose to institute separate enquiries. The Government took office recently and has not yet got adequate time to determine the terms of reference and the mode of the enquiries.

I can, however, assure the House that these matters are engaging the urgent attention of the Government and effective action will be taken soon having due regard to the views as expressed in the House.

I hope, in view of what I have said, the hon'ble Member will be pleased to withdraw his Resolution.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेसी मित्रों को इस पर ऐतराज हो सकता है कि इस प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है। उन्हें इस बात पर भी ऐतराज हो सकता है कि यह एनक्वायरी पार्लियामेंट के मेम्बर्स और जजों के द्वारा न होकर एक कमीशन आफ इनक्वायरी के द्वारा की जाये। इस बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन जो तथ्य मैंने सदन के सामने रखे हैं, उनमें से एक को भी झुठलाया नहीं गया है। गृह मंत्री ने यह विश्वास दिलाया है कि इन तीन केसों की अलग-अलग एनक्वायरी की जायेगी और मोड आफ एनक्वायरी सरकार तय करेगी। मुझे इसमें कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आती है। गृह मंत्री ने जो कुछ कहा है, मैं उसको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ।

श्री साठे ने कहा है कि यहां पर और लोग भी हैं—बादल साहब हैं, दूसरे हैं। कांग्रेस का शासन इस इलैक्शन से पहले तीस साल तक रहा। उसने बादल साहब के खिलाफ एक कमीशन बिठा कर एनक्वायरी भी करा ली। कई दूसरे लोगों के बारे में भी उसने ऐसा ही किया। लेकिन बादल साहब के खिलाफ तो केवल एक

लेजिस्लेचटर के कहने पर एनक्वायरी कराई गई, और 125 एम० पी० के कहने और पार्लियामेंट तथा विधान सभा में मांग होने पर भी बंसीलाल के खिलाफ एनक्वायरी नहीं कराई गई। सी० पी० आई० के एक मेम्बर के कहने पर बादल साहब के बारे में एक कमीशन बिठाया गया, मगर जनता ने यह साबित कर दिया कि वह कमीशन एक पोलिटिकल वेन्डेटा के तौर पर बिठाया गया था, वर्ना जनता उनको कामयाब न करती। वह लाखों वोटों से जीते हैं।

अगर हमारी तरफ का भी कोई व्यक्ति गलती करता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। माननीय सदस्य रेजोल्यूशन लायें और सरकार के सामने तथ्य रखें। सरकार उनको देखे और उनके आधार पर कार्यवाही करे, मुझे इस पर खुशी होगी।

मैं आपके सामने वाशिंगटन पोस्ट को वोट करना चाहता हूँ :

“Washington Post of November 10, 1976, with dateline New Delhi, quotes a man with good contacts in Government of India: “The public believes a vast swindle is going on. The bureaucrats say they can do nothing. Sanjay calls up Ministers and Secretaries and says, ‘give the contract to so and so’. He has Ministerial sanction and the Prime Minister supports him. Whether it is Defence Ministry contracts or civil service appointments, the hand of Sanjay is visible.”

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन कामों से देश के माथे पर बदनामी का जो धब्बा लगा है, वह धुलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का हित भी इसी में है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में से गन्दे एलिमेंट्स का सफ़ाया होना चाहिए।

यह प्रस्ताव रखते हुए मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। मैंने एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य समझ कर यह प्रस्ताव रखा है, ताकि हमारी पब्लिक लाइफ़ और एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन रहे और हमारे देश में डेमोक्रेसी की जड़ें और भी गहरी हों।

यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि बड़े से बड़ा आदमी भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। श्री साठे यह स्वीकार करेंगे कि किसी भी प्रजातान्त्रिक देश में प्रधान मन्त्री और साधारण व्यक्ति के लिए अलग-अलग कानून नहीं होते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने इसी सदन में एक तराजू जनता के लिए रखा और दूसरा तराजू प्रधान मन्त्री के लिए रखा। जनता पार्टी एक ही तराजू रखना चाहती है, जिसमें प्रधान मन्त्री और जनता साथ साथ तोले जायें—सब के लिए एक ही मेज़रिंग राड हो। अगर हमारा प्रधान मन्त्री गलती करेगा, तो उसको एक मुलजिम की हैसियत से कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा।

कांग्रेस पार्टी ने यह कानून पास कर दिया कि प्रधान मन्त्री पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। वह यह भूल गई कि उसकी सरकार बदल सकती है और वह कानून भी बदला जा सकता है। जनता सरकार इस कानून को बदलेगी, और अगर प्रधान मन्त्री का जवाब लेने के बाद उनको दोषी पाया गया, तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन को सजा भी दी जायेगी। उनको सजा भी दी जानी चाहिए। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। मैं इन शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों का कि उन्होंने टेकनिकल चीजों पर ऐतराज उठाया, इसके सबस्टैंस पर ऐतराज नहीं उठाया। जैसा गृह मन्त्री जी ने कहा है, उनके बयान के बाद मैं सदन की आज्ञा चाहता हूँ कि मुझे यह प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag): The hon. Minister has made a statement that he would have three separate enquiries for three items mentioned in the Resolution. There are actually four matters which have been mentioned in the Resolution, namely.....

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I have accepted Mr. Madhu Limaye's amendment.

MR. SPEAKER: I think Government will take a final decision on that matter and you can leave it to them to decide finally. Now, I shall have to put amendments first.

SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV: I withdraw my amendment.

MR. SPEAKER: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment?

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER: Shri Limaye is not here. So, it has to be put to the vote of the House. I shall now put the amendment of Shri Madhu Limaye to the vote of the House.

Amendment No. 2 was put and negatived.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I have already said that I want to withdraw my resolution.

MR. SPEAKER: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.48 hrs.

RESOLUTION RE: PROBE INTO ATROCITIES COMMITTED DURING INTERNAL EMERGENCY

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I beg to move:

"This House calls upon the Government to forthwith constitute a high powered Parliamentary body to probe into the alleged misdeeds, malpractices and atrocities committed by Central Government and State Governments, between 25th June, 1975 and 20th March, 1977 when the internal emergency was in force."

This period under Shrimati Indira Gandhi during the internal emergency is the blackest and darkest chapter in Indian history which has no parallel. Everything was done in order to benefit one person. Volumes could be written on it and mere few hours debate is inadequate. The catalogue is very long and I would recite it now and shall deal with it at length later. Firstly, the genesis of emergency was illegal. Certain immediate follow-up action was taken to silence people who opposed it. There was gagging of the Press and even the telephones, teleprinters and electric lines of the news papers were cut. Fourthly, freedom to publish, that is, freedom of expression, was drastically cut and taken away. News agencies were wound up and even the late Fakhruddin Sahib's speech was censored. SAMACHAR was converted into a political P.I.B. and political censor and intelligence officers took journalism as cover jobs. There was indiscriminate use of MISA, DIR and sections of I.P.C. such as 107 and 109. False specific prosecutions were launched against all political opponents and many others who did not curry favour with the people in power. Unheard of torture, atrocities and repression in jails, in Police lock-ups and outside, irrespective of age or background were committed. In the name of beautification, 50,000 houses in Turkman Gate and Ajmal Khan Road were acquired

and at least 25,000 houses where people had been living for generation were bulldozed. People were beaten to death. In the name of family planning, force was used all over North India. Inconvenient officials were transferred, humiliated and demoted. Judiciary had been reduced to mockery from inside and outside. Price rise remained unabated and there has been a rise of 15.5 per cent between March 1976 and January 1977 at the level of wholesale price index. Between 1971 and 1976, the price rise had been 300 per cent. Monopolists grew by leaps and bounds. The Emergency was wholeheartedly supported by tycoons headed by Mr. K. K. Birla. There were retrenchment, lay-offs and lock-outs. About 15 lakh workers were retrenched, dismissed and thrown out of jobs and the workers have been starving on the pavement of the streets. About 4,000 medium and small factories were closed. About 80,000 jute workers were laid-off. Sanjay, the heir apparent, had made hay while the sun shone. In fact, he

assumed all powers and he became the super Prime Minister. He made a mountain of ill-gotten wealth both in Indian and foreign currencies. He endangered the national security. In fact, he succeeded in making the Indian Air Force strike a deal with a Swedish firm for the purchase of unsuitable WIGAN aircrafts involving about 400 crores of rupees. The ONGC had purchased a crane worth about Rs. 9.0 crores from DEMAG of West Germany and through this deal, Mr. Sanjay got a cut at the rate of 21 per cent for himself. Sir, I have got a catalogue of these misdeeds to reveal today. I shall resume at the next session and give you the facts and figures.

MR. SPEAKER: Now, we adjourn to meet again on Monday at 11 a.m.

17.53 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 4, 1977/Chaitra 14, 1899 (Saka).